राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का छठा दिवस [संख्या ६

रविवार, दिनांक १८ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० १० बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री भीमसेन !

अनधिकृत काश्त करने पर सरकारी भूमि से बेदखली व तावान की वसूली

१२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा ९१ के अन्तर्गत अनधिकृत काश्त करने पर सरकारी भूमि से बेदखल करने एवं तावान (penalty) लगाने का प्रावधान है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्यवाही सम्बन्धित काश्तकार से बिना पूछे नहीं की जा सकती ?

(३) क्या यह सही हैं कि तहसील बीकानेर के नापासर, बड़ा वास, हेमेरां, राजेरां, सेरेरां, जामसर, -मालासर, कतरियासर आदि गांवों में काश्तकारों से बिना पूछे without show cause Notice तावान लगा दिया गया है ?

(४०) अगर हां, तो सरकार इस नाजायज़ तावान को माफ़ (write off) करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्डा) : (१) जी हां ।

(२) राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, ५६ की धारा ९१ (३) के अनुसार बेदखल किये जाने के लिए नोटिस देना जरूरी है; परन्तु तावान लगाने के लिये नहीं ।

Page No 2

(श्री रामप्रसाद लड़्ढा)

(३) तावान लगाने के लिए शो कॉज़ नोटिस का प्रश्न नहीं उठता ।

(४) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि जो तावान लगाया गया वह बेदखल करने के बाद और नोटिस देने के बाद में बेदखल किया गया और जब बेदखल आज्ञा के माफिक नहीं हुआ तब तावान लगाया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसी को बेदखल नहीं किया गया ।

श्री विजयसिंह झाला : तो फिर तावान कैसे लगाया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ट्रैसपासर माना गया इसलिये ।

श्री विजयसिंह झाला : नोटिस देकर कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं था ।

श्री विजयसिंह झाला : यह तावान लगाना किस कानून के अन्तर्गत जरूरी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : धारा ९१ के अन्तर्गत ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इसको खातेदारी के अधिकार दे दिये गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : (कोलायत) : क्या उपमन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नेचुरल जस्टिस का मूल सिद्धान्त यह है कि नोटिस दिये बिना आप किसी के साथ कोई तावान या पैनल्टी इम्पोज़ नहीं कर सकते । हमारे देश के सभी कोर्टों ने भी इस बात को अपने फैसलों में माना है । तो उनको बेदखल करने से पहले क्या आपके सरकारी अधिकारियों, एस० डी० ओ० वगैरह ने इस सिद्धान्त का पालन किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कह रहा हूँ किसी को बेदखल किया ही नहीं गया तो नोटिस देने की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जहां तक तावान का सवाल है आपने नोटिस क्यों नहीं दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बारे में दफा ९१ स्पष्ट है । इसमें नोटिस की जरूरत नहीं, फिर भी उन गांवों के लिये तावान लगाने अथवा वसूल करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता महोदय की ओर से एक रिप्रेज़ेन्टेशन दिसम्बर ६१ में प्रस्तुत किया गया था और उसके ऊपर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है और उसके आने पर इस विषय को कतई तौर पर निश्चित किया जावेगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या तावान लगाने के बाद किसी प्रकार का जमीन में उनको राइट दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो भी रिप्रेज़ेन्टेशन दिया जाता है मेरिट पर वह डिसाइड किया जाता है। गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का अधिकार है और इसी आधार पर सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। आने पर फैसला किया जावेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तावान की तादाद कितनी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं गया, यह तो जनरल क्वेश्चन था। स्पष्टतया अलग अलग गांवों के लिये तावान की रकम पूछी जाने पर मैं जानकारी करके उत्तर दे सकूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : फिर भी क्या आप यह सूचना देने का कष्ट करेंगे कि इस प्रकार के कितने किसान हैं जिन पर तावान की कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या माननीय उप मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार की आम नीति क्या है ? जहां पर भूमिहीन किसानों ने काश्त की है तो उनसे भी क्या तावान सरकार वसूल करना चाहती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि कोई भी व्यक्ति बिना इजाजत काश्त कर ले तो वह ट्रैसपासर माना जावेगा और इसके लिये जैसा कि नियम है तावान भी वसूल किया जा सकता है और इजेक्टमेन्ट का ऑर्डर भी दिया जा सकता है।

श्री विजयसिंह झाला : कितने अर्से से वे उस जमीन पर काश्त करते आ रहे थे और आपका क्या क्राइटेरिया है कि कितने अर्से से जमीन पर काश्त करते आने वाले किसान को आप खातेदारी का हकदार मानते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो टीनेन्सी लॉ में स्पष्ट है।

श्री विजयसिंह झाला : इसमें कितने अर्से से काश्तकारों का कब्जा था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस जमीन पर ?

श्री विजयसिंह झाला : जिन पर तावान वसूल किया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शायद आपको मालूम होगा कि बीकानेर डिविज़न में गंगानगर और उसके आसपास के इलाकों की एक विशेष परिस्थिति है। वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है और इसके कारण वहां उनको खातेदारी राइट्स नहीं दिये जा सकते और गवर्नमेन्ट का ६० में यह ऑर्डर हो चुका है कि they will not be treated as khatadar. इसके बाद रिप्रेज़ेन्टेशन किया गया कि गैर खातेदार ट्रीट किया जावे। यह जो रिप्रेज़ेन्टेशन हुआ उस पर वाकयात की रिपोर्ट मांगी जा रही है और अभी नहीं कहा जा सकता कि उनको क्या ट्रीट किया जा सकेगा ? रिपोर्ट के आने पर ही सरकार कोई निर्णय करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का पूरा उत्तर नहीं दिया। मैं यह

Page No 4

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे काश्तकार जो भूमिहीन हैं, उन्होंने ऐसी जमीन काश्त कर ली है और उन लोगों के लिए भी जो कि भूमि वाले हैं और उन्होंने नाजायज़ काश्त कर ली उनको भी तावान में करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह एक डिस्क्रिशनरी चीज है इसलिए १ गुना से लेकर १५ गुना तक तावान लिया जा सकता है । इसमें विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित अधिकारी ही ऐसा करते हैं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सेक्शन ६१ में बिना कार्यवाही किये हुए कोई तावान कायम हो सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, दफा ६१ को आप पढ़ें तो शो कॉज़ का नोटिस केवल इजेक्टमेन्ट के लिए जरूरी है न कि तावान के लिए ।

एक माननीय सदस्य : अगर माननीय मंत्री महोदय इस दफा को अच्छी तरह से देखें तो मालूम होगा कि तावान लगाने के बाद नोटिस देना जरूरी है और उसकी सुनवाई होने के बाद ही तावान लगाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : जो कानून है उसके बारे में यहां बहस नहीं होगी । मंत्री महोदय ने उस कानून के ऊपर अपने विचार रखे । अगर आप उसको चैलेन्ज करते हैं तो अदालत में आप जायें, वह खुली है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन लोगों के ऊपर तावान की कार्यवाही की गई है वे कितने वर्षों से भूमि में काश्त कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह बहुत सामान्य प्रश्न है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन काश्तकारों से लगान वसूल किया जा रहा था या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, तब ही तो पैनल्टी ली जा रही है ।

श्री भीमसेन : प्रश्न संख्या ३ में जो काश्तकार बतलाये गये हैं वे जागीरी के समय के काश्तकार हैं या पुरानी स्टेट के समय के हैं, नये नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वास्तव में बात यह है कि आपने प्रश्न इस प्रकार का पूछा नहीं और न आपने यह पूछा कि किन किन सालों का तावान लगा दिया है । आपका जो प्रश्न है अब इस बात की इन्क्वायरी करनी पड़ेगी कि इनके कब्जे में आई जमीन जागीरी के समय से है या ५६ के बाद की है । इसकी जानकारी करने पर ही मैं आपको उत्तर दे सकता हूं ।

प्रश्न संख्या १३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १४

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह राठौड़ ।

तहसील भवन का निर्माण, नाचना

१५. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नाचना तहसील का हैडक्वार्टर नाचना में इसलिए नहीं रखा गया कि नोखा में इमारतें मौजूद हैं ?

(२) क्या सरकार नाचना में तहसील की इमारत बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं । क्योंकि नाचना का पानी खारा है, जब कि नोखा का पानी मीठा है ।

प्रश्न संख्या १६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

(१०. १० म. पू.)

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूँ:—

(१) राजस्थान डिवीज़नल कमिश्नर, (पद उन्मूलन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ६, सन् १९६१)

(२) राजस्थान डिविज़नल कमिश्नर (पद उन्मूलन) संशोधन अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ८, सन् १९६१)

(३) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ६, सन् १९६१)

(४) राजस्थान अराई तहसील (कन्टीन्यूड एग्ज़िस्टेंस) वैलिडेटिंग ऑर्डिनेन्स, १९६१ (अध्यादेश संख्या ११, १९६१)

(५) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या १३, सन् १९६१)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा एवं समाज कल्याण मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूँ:

(१) राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ७, सन् १९६१)

(२) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या १०, सन् १९६१)

(३) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या १, सन् १९६२)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : On behalf of the Finance Minister, Mr. Kaul, I, Mathuradas Mathur,...

मैं अनुपूरक अनुदान की मांग....

श्री अध्यक्ष : ठहरिये ! अभी दो-तीन विधेयक और हैं।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या १२, सन् १९६१) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या १४, सन् १९६१) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९६१-६२, द्वितीय खण्ड के विवरण का उपस्थापन

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९६१-६२ (द्वितीय खण्ड) का उपस्थापन करता हूँ।

(१०. १९ म. पू.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एवं माननीय सदस्यगण, आज चौथे दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद चल रहा है। चार दिन से मैंने यह महसूस किया कि यहां पर जो भाषणों का वाद-विवाद का स्तर रहना चाहिए वह कतई नहीं रहा।

आमतौर से जो सदस्य गण मेरे जीमनी (Right) तरफ बैठे हुए है उन्होंने यह विरोध किया और साथ ही साथ यह कहते भी गये कि भाषणों का स्तर बहुत नीचे गिर रहा है और ऐसा वातावरण बनाये रखना चाहिए जिससे कि स्तर कुछ ऊंचा रहे और असेम्बली का डेकोरम भी बना रहे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिन सदस्यों ने यह कहा उन्होंने ही इस स्तर को अधिक से अधिक नीचे गिराने की कोशिश की और यहां तक कि जितने भी भाषण हुए हैं उनमें एक-दो को छोड़ कर एक भी भाषण ऐसा नहीं हुआ कि जो बात सामने रखी गई थी उसके लिए सही

Page No 7

(श्री भगराज चौधरी)

सुझाव और सही टीका—टिप्पणी की हो ।

इसके मुताल्लिक मैं सिर्फ इतना ही कहते हुए राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन के सम्मुख रखा है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और जो बातें उन्होंने सदन के सम्मुख रखी हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने ६० प्रतिशत सही बातें रखी हैं । और देश का विकास जो हो रहा है वह सही माने में और सही ढंग से और काफी तरक्की के साथ हो रहा है । हालांकि हमें यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान जो इतना लम्बा—चौड़ा प्रान्त है उसमें कई छोटे—मोटे गांव हैं । कहीं की जनता पढ़ी-लिखी है, कहीं के सदस्यगण जो चुने हुए आये हैं वे विकास में काफी ज्यादा भाग लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं और कहीं पर से जो आये हैं वे शायद नहीं लेते है । इन कारणों सेवे इसके अलावा कुछेक और कारणों की वजह से कहीं पर तरक्की ज्यादा हुई हो और कहीं पर कम इसकी जिम्मेवारी हम सभी माननीय सदस्यगण की ही है ।

सरकार ने विकास संबंधी जो रीति-नीति अपनाई है उसमें किसी प्रकार की भिन्नता की भावना को पनपाने की कोशिश नहीं की गई है; मेरे ख्याल से आप सभी सदस्यगण यह मानते होंगे । इस लोकतान्त्रिक प्रणाली के अन्तर्गत सभी को समान अधिकार हैं और समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें सतत कोशिश और प्रयत्न करने पड़ते हैं ।

इसके बावजूद मैं मेरी तरफ से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का सहर्ष स्वागत करता हूँ और साथ में यह बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन मुख्य विषयों और मुद्दों पर किस किस प्रकार से और किस किस कदम से तरक्की हुई है । सही मायने में तरक्की का अन्दाज लगाने के लिए सन् ४७ के पहले की स्थिति जो थी उससे आज की स्थिति की तुलना करनी पड़ेगी । पहले देखते थे कि किसी गांव में स्कूल नहीं मिलता था, पानी के कुंए नहीं मिलते तालाब कहीं देखने को नहीं मिलते थे, यहां तक कि काश्तकार लोगों को १०-१२ मील पानी के लिए ऊंटों पर या अन्य साधनों पर जाते थे और पानी लाते थे ।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : मैं प्रार्थना करूंगा कि राज्यपाल महोदय के भाषण ५० से लेकर ६२ तक के लिए हैं सन् ४७ के बारे में हाउस का ध्यान दिलाना गैरमुताल्लिक है ।

श्री भगराज चौधरी : बाद की नहीं, अध्यक्ष महोदय, अगर सही स्थिति को मालूम करना है तो सन् ४७ की स्थिति से आज की स्थिति की तुलना करनी पड़ेगी । आजादी मिलने के बाद कांग्रेस सरकार होने के बाद कितनी तरक्की हुई ? मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है....

श्री अध्यक्ष : आप ऑब्जेक्शन का उत्तर नहीं दें, अपना भाषण दें । यहां तो कई ऑब्जेक्शन उठेंगे ।

श्री भगराज चौधरी : पहले की स्थिति जो हमारे सामने थी वह यह थी कि काश्तकार के पास पूरा शरीर ढकने के लिये कपड़ा नहीं

(श्री भगराज चौधरी)

मिलता था, खानेके लिये अनाज नहीं मिलता था, उनके ऊपर नाना प्रकार की ज्यादतियां की जाती थीं। आज जो टैक्स लगाये जाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि यह टैक्स इस प्रकार से लगाये जायं कि फूल भी नहीं कुम्हलायें और भंवरा भी मस्त हो जाय ! वे ही लोग उस वक्त आधा लाटा लेते थे और वह सब उनके निजी एशो-आराम में बिताया करते थे। उस वक्त फूल ही नहीं कुम्हलाते थे बल्कि मानव भी कुम्हला गये थे। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो चोरियां और डकैतियां उस वक्त हुआ करती थी वे उनके खुद के आदमियों के द्वारा की जाती थीं। यहां तक कि जरा जरा सी बातों पर लोगों को बुरी तरह पीटते थे और दण्ड भी बसूल करते थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। मेरे पास के एक गांव में कुछ औरतें इकठी हुई थी। वहां एक घोड़ा जागीरदार का चला गया। औरतों की तरफ दौड़ा तो औरतों ने इससे बचनेके लिये उसकी पूंछ पकड़ ली, जिससे उसके कुछ बाल खिर गये। तो बाल बिखरने के कारण उन पर ५००) रु० जुर्माना किया गया। उन्होंने कहा कि यह घोड़े के बाल नहीं हैं, मेरी मूछ के बाल हैं। इस प्रकार की घटनाएं जो उस समय हुआ करती थीं और आज रात-दिन का अन्तर है। पहले मानव जाति की इज्जत नहीं हुआ करती थी। आज मैं समझता हूँ, जब से हमारा संविधान बना है उसी के मुताबिक राजस्थान सरकार कार्य संचालन कर रही है और उसी लोकतांत्रिक प्रणाली का ढांचा चल रहा है।

पहले सन् ४७ में जब हमारे यहां करीब ३८ करोड़ की जनसंख्या थी उस वक्त १ करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ा करते थे। आज पढ़ने वालों की संख्या १ करोड़ से बढ़ कर ६ करोड़ हो गई है जब कि जनसंख्या ३८ करोड़ से ४३ करोड़ हुई है। इधर ५ करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो उधर पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ी है। ५ करोड़ बच्चे शिक्षा पा रहे हैं; तो शिक्षा में विस्तार हो गया है। तो मैं देखता हूँ कि विस्तार करीब १४ पर्सेंट बढ़ गया है जब कि पिछले वर्षों में ८ पर्सेंट था।

इसके अलावा कुछ स्वतंत्रपार्टी के सदस्यगण और नेता यह आवाज उठाते हैं कि कर अधिक लगा रहे हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब वे चारों तरफ विकास भी चाहते हैं, स्कूलें भी बनवाना चाहते हैं, तालाब भी खुदवाना चाहते हैं तो आखिर इनके लिए पैसा कहां से आयेगा ? आप लोग पैसा देते नहीं हैं।

फिर हमारे एक माननीय सदस्यगण ने कहा था कि प्रिवीपर्स नहीं लें; तो यह आप सोचिये, यदि आप प्रिवीपर्स नहीं लेना चाहें। दूसरी बात यह है कि........

एक माननीय सदस्य : मुआवजा भी नहीं लें।

श्री भगराज चौधरी : मुआवजा कानून के अन्तर्गत दे दिया गया है। अगर जागीरदार चाहें तो भले ही नहीं लेवें। वह कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार किस बात का है ? साथ ही साथ वे कहते हैं कि

Page No 9

(श्री भगराज चौधरी)

पक्षपात बढ़ रहा है। राजाओं का एडमिनिस्ट्रेशन था उस वक्त उन्होंने जागीरें बांटी थी, तो भाई-भतीजों को मिली थी, गरीब काश्तकारों को क्यों नहीं मिली? इससे पता चलता है कि पक्षपात की जो नीति है वह शुरू से चली आ रही है।

तो यह भाई-भतीजे वाद की नीति खुद ने ही अपनाई है और अपनाते आ रहे हैं। आज केवल बातों से ही समाजवादी समाज की या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक राजा-महाराजा अपने दिल, दिमाग और विचारों को नहीं बदलते तब तक केवल बातों से समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना कतई नहीं हो सकती। कल्याणकारी राज्य की स्थापना केवल बातों से नहीं होती। राजा-महाराजा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की आड़ में सत्तारूढ़ होना चाहते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं और जनता को धोखा देना चाहते हैं।

अब मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा जिससे पता चलेगा कि किस प्रकार से सही मायने में विकास हुआ है। कृषि सम्बन्धी जो आंकड़े हैं हालांकि वे सिंचित जमीन के हैं उनसे पता चलता है कि केवल ११ पर्सेंट सिंचित जमीन बढ़ी है; लेकिन राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, जैसलमेर और बाड़मेर में जो बड़े २ धोरे हैं, उदयपुर जैसे इलाके में पथरीली जमीन है; जिस राज्य में भौगोलिक स्थिति ऐसी है उसमें हमें परिवर्तन लाने के लिए कुछ समय चाहिए, और परिवर्तन लाने के बाद सारी स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। दूसरी बात यह है कि हमारा लेबर मोबाइल नहीं है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और समय पर काम भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि लेबर को मोबाइल किया जाय। जैसलमेर और बाड़मेर में लेबर है और टेम्पोरेरिली उनको शिफ्ट किया जा सकता है। जालोर में एक छोटा सा बांध बनरहा है, उसका उदाहरण दूँगा कि वहां पर ५ रुपये तक की मजदूरी बढ़ गई है और मजदूर नहीं मिलते हैं। कारण यह है कि आस-पास के मजदूर खेतों में लगे हुए हैं और बाहर से मजदूर आते नहीं हैं। यह हमारी हालत है! तो इन सारी बातों को देखना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of informatian, Sir ५) रु० मजदूरी कहां पर मिलती है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया भाषण के बीच में इस तरह से नहीं बोलें। पूछना है तो भाषण समाप्त होने के बाद पूछ सकते हैं।

श्री भगराज चौधरी : इन सारी बातों को ध्यान में रखें; क्या लेना-देना है, क्या स्कीमें इम्प्लीमेंट करनी हैं? जो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं उन पर किस ढंग से काबू पा सकते हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब जहां तक सहकारिका का सवाल है, सहकारिता राज्य की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए एक आवश्यक अंग है। यहां

Page No 10

(श्री भगराज चौधरी)

के ८० पर्सेंट लोग खेती करते हैं। जितने काश्तकार खेती करते हैं उनमें से ६० प्रतिशत कर्जे में डूबे हुए हैं। किसान जो अनाज पैदा करता है वह महाजन या मनीलैंडर लेलेते हैं। इसलिए कुछ राज्य की ओर से पैसा दिया जाय ताकि उसके मार्फत पैसा पैदा करें जिससे उनकी आय बढ़ सके और जिससे उनका पुराना ऋण है उसको भी चुका सकें और निर्वाह के लिए अपनी रोजी भी कमा सकें।

दूसरी बात यह है कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में जो कुछ बातें हुई हैं पिछले तीन दिनों में उनके मुत्तालिक मैं यह कहना चाहता हूं कि हालांकि खेती में काफी सुधार हुआ है, सरकार ने जो कदम लिया है वह सराहनीय है, लेकिन सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि जब हम यह मान कर चलते हैं कि राजस्थान कृषि प्रधान प्रान्त है, जहां पर ८० प्रतिशत लोग खेती करते हैं; लेकिन खेती की तरक्की में इतना सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिये था। आज लैंड रेवेन्यू कानून बना हुआ है, उसको अगर गौर से देखें तो काश्तकारों को खास राहत नहीं मिली। हम यह मानते हैं कि खेतों के पट्टे दे दिये गये हैं, बीघोड़ी बांध दी गई है, बेठ, बेगार नहीं रही; लेकिन फिर भी सरकार को लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी है और तरीका है वह सन्तोषजनक नहीं है। जैसे पटवारी बीघोड़ी ठीक समय पर लगाने नहीं जाते हैं तो क्या होता है कि मयाद होती है उसमें तो जाते नहीं हैं और बाद में जाकर सीधा ब्याज उगाने की कोशिश करते हैं। तब काश्तकार उनसे कहते हैं कि ब्याज किस बात का, हम तो बीघोड़ी देने के लिये कभी से तैयार थे? समय पर नहीं उगाहने की गलती पटवारी की है। इसके लिये एक निश्चित तारीख मुकर्रर करनी चाहिये या सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया जाय कि एस. डी. ओ. और तहसीलदार टाइम पर बीघोड़ी वसूल करने की व्यवस्था करें। उस टाइम में पटवारी ढाल-बाछ बनाने में नहीं रहें। इस तरह से ठीक समय पर बिघोडी वसूल हो सकेगी और काश्तकारों को भी तकलीफ नहीं होगी।

दूसरी बात है लैंड सीलिंग एक्ट की। जब यह बात आती है तो राजा-महाराजा जो स्वतन्त्र पार्टी में हैं चुप बैठे रहते हैं। मैं समझता हूँ, उनकी जन कल्याणकारी नीति नहीं है। वे चाहते हैं कि किसी प्रकार से इस मामले में सरकार का विरोध किया जाय। लेकिन खाली विरोध से काम नहीं चलेगा' क्योंकि यदि आप जहां से चुन कर आये हैं वहां के लोगों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं, सरकार की रीति-नीति से वाकिफ होना चाहते हैं तो आपको सही ढंग से सोचना चाहिये, गलत बात को ही नहीं कहना चाहिये जैसे अदालत में वकील लोग कहा करते हैं। इसलिये मैं सबसे निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने यहां पर जो अभिभाषण दिया है उसका हमें स्वागत करना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

श्री केसरीसिंह (पाली) : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद हो रहा है वह हमने सब ने सुना। दोनों पक्षों से जो बातें कही गई उनमें से कुछ ऐसी थीं जो अच्छी भी थीं। यह कहा गया कि राजस्थान के हित को मद्देनजर रख कर आपसी सहयोग की भावना से इस भाषण के बारे में कहा जाय। नीतियों के बारे में कहा जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिये जा सकते हैं, ऐसी बातें कही गई। ऐसी बातें भी कही गई जिनसे एक दूसरे पर लांछन लगाये गये जिनसे सदन का वातावरण कुछ क्षुब्ध भी हुआ, कुछ अप्रिय भी हुआ। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का अप्रिय वातावरण बने। मैं जो कुछ अर्ज करूंगा वह सहयोग की भावना से अर्ज करूंगा और यह उम्मीद रखूंगा कि मैं जिस भावना से अपनी बातें सदन के सामने रखने जा रहा हूं वे उसी भावना से सुनी जायेंगी और मनन की जावेंगी और यदि वाजिब प्रतीत हों तो ग्रहण भी की जावेंगी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है और बाद में जो सत्तासीन पक्ष की तरफ से बोलने वाले सदस्यों ने जो भी भाषण दिये हैं उनसे भी यह बात स्पष्ट रूप से जाहिर हो रही है कि कांग्रेस दो बातों के लिये कमिटेड है, प्लेज्ड है, कृतसंकल्प है। एक तो सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी और दूसरी डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग। मैं ठीक तरह से नहीं समझते कि सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ठीक क्या मायने हैं, लेकिन यदि उसका उद्देश्य ऐसा है कि जिससे आम जनता में खुशहाली आवे तो बेशक मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थक हूं और डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग का यदि यह मतलब है कि लोगों के लिये, लोगों की स्वीकृति से, लोगों के द्वारा व्यवस्था बने तो अच्छी बात है, मैं उसको भी मानता हूं।

अब जो सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है उसको पाने के लिये या एस्टेब्लिश करने के लिये जो तरीका कांग्रेस या सत्ताधारी दल या राज्य ने अपनाया है वह है पंचवर्षीय योजना। उसके बारे में मुझे कुछ बातें कहनी हैं, वे ये हैं कि ऐसा लगता है कि जो योजना बनाते हैं वे महसूस करते हैं कि हम सब परिस्थितियों को भली-भांति जानते हैं और लोगों की जो कठिनाइयां हैं उनकी हर बात को ठीक तरह से जानते हैं और शायद दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिये योजनाओं में ऐसी बातें, ऐसी नीतियें अख्त्यार कर ली जाती हैं जो वास्तव में जिन लोगों के लिये होती हैं उनके लिये हितकर न होकर अहितकर सिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिये अर्ज करूंगा कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बहुत बातें अभी कही गई उनमें से कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज को ही लीजिये। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ अच्छी चीज है, उससे फायदा होता है। बेशक उससे फायदा होता है यदि छोटे होल्डिंग्ज हैं, १ बीघा या २ बीघा या ५ बीघा के होल्डिंग्ज़ इधर उधर बिखरे हुए हैं और उनको कंसोलिडेट करके एक जगह कर दिया जाय तो बेशक उससे फायदा होगा और यदि जमीन एक सरीसी है जहां बारह मासी नहरें हैं वहां भी यदि बिखरे होल्डिंग्ज़ को कंसोलिडेट किया जावे तो काश्तकारों को फायदा होगा और वहां चकबन्दी काश्तकार चाहते भी हैं। लेकिन राजस्थान में ऐसा भी इलाका है जहां कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंगज़

(श्री केसरीसिंह)

खास फायदा नहीं कर सकता। पाली जिले में कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ खास फायदा नहीं कर सकता। पाली जिले में कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज का कानून लागू किया गया है। यह एक ऐसी जगह है, हमने यहां देखा, आप भी देखिये कि जागीरदार वैस्टेड इन्ट्रेस्टके थे अपना मतलब जब आताहै; उसको पहले देखते हैं तो यहींसे देखिये जब भाई बांट, या बंटवारा होता है, जब छुटभाई अपना हिस्सा लेते हैं तो वे भी चूंदड़ी बंट मांगते हैं। चूंदड़ी बंट का मतलब यह है कि कुछ जमीन इस तरफ की मांगते हैं कुछ उस तरफ की मांगते हैं। इसका कारण यह था कि जमीन सब जगह इकसार नहीं होती है। बरसात कभी इधर अच्छी होती है, कभी उधर अच्छी होती है। इसलिये सोच-समझ कर चूंदड़ी बंट लिया जाता था। अब आपने जो किया है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ उससे दो-तीन नुकसान होते हैं। एक तो यह हुआ कि जो भूमि कई बंटों में चल रही थी उसका एक होल्डर बनने में जो जमीनों की अदला–बदली हुई उनमें जो चलते पुर्जे किसान थे उन्हें तो फायदा हुआ, लेकिन जो गरीब थे उनको इधर से उधर बदलने में नुकसान हुआ। सब से हार्डेस्ट सेक्शन वीकेस्ट लोगों का रहा है। यह मुझे मालूम है, बिल्कुल वजूहात के साथ अर्ज कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिये, एक आदमी के पास ५० बीघा जमीन इधर थी और ५० बीघा जमीन उधर थी और एक दूसरे आदमी के पास भी ५० बीघा इधर और ५० बीघा उधर थी। दूसरी तरफ के ५० बीघा जमीन उससे बदल दी गई और अब १०० बीघा जमीन एक ही तरफ की एक के पास रह गई। और दूसरे आदमी के पास जिस के पास पहले ५० इधर और ५० बीघा उधर थी अब उसके पास भी १०० बीघा एक तरफ की रह गई है और दूसरे के पास १०० बीघा उधर की रह गई। अब मान लीजिये बरसात एक तरफ हुई और दूसरी तरफ नहीं हुई। मैं ठीक अर्ज कर रहा हूं इधर पहले वह आदमी १०० बीघा में खेती न करके ४०, ५० बीघा में ही खेती करता था जिधर बरसात होती थी। अब एक ही तरफ की जमीन रह जाने से जिधर बरसात नहीं हुई उधर उसको नुकसान होगा। इससे आगे चल कर गिरदावरी में भी झगड़ा होता है। सच्चे होते हुए भी भले आदमी झगड़े में पड़ जाते हैं और लालची आदमी गैर वाजिब कब्जा करने की कोशिश करते हैं, यह भी देखने को मिलता है। वास्तव में किसानों को फायदा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप इसकी जांच करवालें। पाली जैसे इलाके में कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा यह हुआ कि कंसोलिडेशन फीस जोकि बीघोड़ी से कहीं कहीं तीन-तीन, चार-चार गुना अधिक ही ली जाती है। पिछले साल तो अकाल पड़ गया था अब इस साल, पिछले साल और इस साल की बीघोड़ी और उसके उपरान्त तीन-चार गुनी कंसोलिडेशन की फीस जो है वह सब एक साथ वसूल की जा रही है। इससे उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी।

कंस्ट्रक्टिव सजेशन के तौर पर मैं यह अर्ज करता हूं कि यह बात अलग है कि फीस कितनी होनी चाहिये, इस पर अलग विचार करेंगे लेकिन मैं मानता हूं कि कंसोलिडेशन किसी किसी परिस्थिति में तो अच्छी बात है लेकिन हमारे यहां जिस तरह की हालत है उसमें यह ठीक नहीं है। इसको

(श्री केसरीसिंह)

जबर्दस्ती सब पर क्यों लागू करते हैं ? मुझे मालूम नहीं है कि यह इन्डिस्पेन्सिबल अंग हैं या नहीं सोशियलिस्टक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का; लेकिन साथ ही आप डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग के लिये भी प्लेज्ड हैं। तो लोग जिस चीज को नहीं चाहते हैं उनको जबर्दस्ती क्यों लागू करते हैं ? आप कहते हैं कि इसमें काश्तकारों का हित है। मैं कहता हूँ कि काश्तकार अपना हित खुद समझते है, लेकिन आप कहें तो कि वे अपने हित को नहीं समझते हैं, वे अपनी भलाई की बात नहीं जानते हैं; इसलिये हम उनको बताना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनको अपना हित बताना चाहते हैं तो आप अपनी एक्सटेन्सिव एजेन्सीज़ के ज़रिये किसानों को कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ के फायदे समझावें। उनमें से जिनको यह मालूम हो जाय कि इससे फायदा है तो वे वॉलेन्टियरिली पंचायतों में दरख्वास्त कर दें कि हम चाहते हैं कि हमारे इस इस तरह कंसोन्लिडेशन करदिया जाय, उसी तरह से कर दिया जाय। म्युटेशन उसके अनुपूरक करके फिर कन्सोलिडेशन की फीस भी वाजिब ले ली जावे। इससे यह तो नहीं होगा कि राज्य उनको परेशान करे। उनको अगर इसमें फायदा नहीं दिखाई देता है, नुकसान दिखाई देता है तो उनके वहां जबर्दस्ती इसे लागू नहीं किया जाय। यह मेरा कंस्ट्रक्टिव सुझाव है कि जहां कंसोलिडेशन कर दिया सो तो कर दिया, वहां तो फीस कम करने की सोचें लेकिन जहां लागू नहीं हुआ है वहां वॉलेन्टियरिली लागू करने का कहें तभी किया जाय।

दूसरी बात मैं लैंड सीलिंग के विषय में अर्ज करूंगा। यह बिल्कुल समझ में नहीं आता कि सीलिंग से किसका हित होगा। किस मकसद से बना, मैं नहीं समझ पाया। जब यह कानून बना था उस समय रिपोर्ट आई थी उसमें एक मि. खेरी नाम के रिटायर्ड ऑफिसर थे। उन्होंने राय दी थी कि इसकी आवश्यकता नहीं। मेरे ख्याल से इससे खास फायदा यह हो सकता है कि कइयों के पास बहुत जमीन है और कइयों के पास बिल्कुल नहीं है और उनके जीविका का आधार खेती है वैसों को जरूर जमीन मिलनी चाहिये; शायद यह मकसद सोचा होगा। हम भी यह कहते हैं कि जिनका धंधा खेती है और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन अवश्य मिलनी चाहिये। खास बात लोगों को जमीन मिलना है। अब यह सोचना है कि ऐसे आदमी राजस्थान में कितने हैं और अभी गवर्नमेन्ट के पास एलोटेबल लैंड कितनी है ? फिगर्स उस समय मालूम किये गये थे। १० साल की पर्मिशनें लैंडलेस लोगों को दी भी गई। मैं चाहूंगा कि सदन को इन्फार्मेशन दी जाय कि अब क्या पोजीशन है ? पंचायतों से फिगर्स मंगा सकते हैं, इससे मालूम होगा। फिर देखें कि कितने लोगों के पास जमीन नहीं है। सीलिंग से यह हो सकता है कि एक आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा इतनी जमीन होनी चाहिये। अपर सीलिंग तो फिक्स की लेकिन फ्लोर भी फिक्स करिये कि कम से कम इतनी जमीन एक आदमी के पास होनी चाहिये। एक फेमिली के लिये पर्मीशनों के हिसाब से तो १५ बीघा जमीन फिक्सड है।

इस विषय में मैं आपसे अर्ज करूं कि

(श्री केसरीसिंह)

यदि उतनी जमीन अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास में तो वह लैंडलेस लोगों को अलॉट कर देनी चाहिए और अगर फिर भी लैंडलेस लोग बच जाते हैं तो फिर उनके लिए कितनी जमीन चाहिये इसे मद्दे नजर रख कर सीलिंग अप्लाई करिये जिसमें ऊपर से चलिये कि तीन हजार बीघा से ज्यादा के फार्म नहीं रहने देंगे, फिर आप दो हजार के ऊपर के ले लीजिये या एक हजार के ले लिए जांय या फिर आठ सौ के ले लीजिये। इससे जो जमीन राज्य में आवे उसे जो लैंडलेस लोग हैं उनको वह जमीन अलॉट कर दीजिये। केवल दूसरों से जमीन छीन लेने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह सही है कि जो जमीन ली जायगी उसका कम्पेन्सेशन जरूर दिया जायगा। लेकिन जो कम्पेन्सेशन फिक्स करने का तरीका है, वह आर्बीट्रेरी तरीका है और कान्स्टीट्यूशन के अमेंड हो जाने के बाद वह न्यायालयों में जस्टी-फायेबल भी नहीं रहा।

अब सीलिंग का असर कैसे होता है, यह मैं अर्ज करूं। जहां तक मैं समझता हूँ यह बात है कि जिसके पास ज्यादा जमीन है वह सरकार ले ले और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें दे दे। इससे पांच—पचास आदमियों को तकलीफ हो और सैकड़ों आदमियों को फायदा हो। अगर यह बात है कि इससे सैकड़ों आदमियों को फायदा है और पांच—पचास को नुकसान है तो यह जरूर करना चाहिए। लेकिन हमें देखना है कि किसको और कैसे फायदा होता है? जिनके हाथ में बड़े बड़े फार्म हैं, आपके कानून में ऐसे एग्ज़ेम्शन्स हैं, ऐसी गली—कूचियां हैं कि जिनके पास बड़े बड़े फार्म हैं उनकी जमीन बच सकती है। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि एक काश्तकार, मान लीजिये एक फेमिली है, वे तीन भाई हैं और उनके पास तीन सौ बीघा जमीन है और उनके घरमें रामराज्य है। अब अगर सीलिंग लागू होती है तो तीस स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। अब आप अन्दाज लगाइये कि उनको इससे कितनी तकलीफ हो जायगी? यह आप किसी काश्तकार से पूछिये। मुझे अफसोस है कि काश्तकारों की तरफ से मुझे कोई रिप्रेज़ेन्टेशन यहां नहीं दिखाई देता। मुमकिन है कि उधर बैठने वाले लोग हैं वे काश्तकारों के इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड कर सकते हों, लेकिन उनके यहां भी ऊपर से नीति निर्धारित हो जाती है तो किसी में उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा, जिसके पास आज जमीन है, जो और आराम से खेती करता है अगर उसकी जमीन ले ली जायगी तो उसका नतीजा यह होगा कि पहले जहां आराम से खेती करके गुजर बसर कर सकता था अब वह खेती उसे पूरबेगी नहीं; क्योंकि एक आदमी को आप कितनी जमीन देंगे? मेरे ख्याल से जैसा कि आपके परमिशनों का रूल है पीवल जमीन हुई तो ५ बीघा और बारानी हुई तो उससे तिगुनी यानी १५ बीघा देंगे। तो १०—१५ बीघा में किसी पांच मेम्बर की फेमिली का पेट भी भर सकता है, इसमें शक है। मेरा तो यहां तक कहना है कि एक जोड़ी बैल अपने पास रख कर पन्द्रह बीघा में घरू काश्त करे तो उसकी अपेक्षा वह किसी के हाली रहे तो उसकी हालत ज्यादा अच्छी

(श्री केसरीसिंह)

रहेगी, यह काश्तकार निश्चित रूप से महसूस करते हैं। अभी पंजाब में एक बोर्ड अपोइन्ट हुआ था। उसकी फाइंडिंग्ज़ हैं, वे भी यही हैं। इसका नतीजा क्या होगा कि सीलिंग से जो जमीन ले ली जायगी (घंटी) वह लेकर जिस आदमी को जमीन देंगे वह इतनी कम होगी कि उसको खेती पूरवेगी नहीं और जिस आदमी से जमीन ली जायगी उनके पास भी इतनी कम जमीन रहेगी कि उसको भी खेती पूरवेगी नहीं। उसका नतीजा यह होगा कि उनको सहकारी खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा। आप सहकारी खेती को वॉलेन्टियरी कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। उनको उस तरफ मजबूरन जाना पड़ेगा। एक बात जरूर है कि जैसा हमारे कांग्रेसी मित्र, कॉम्यूनिस्टों के बारे में कह रहे थे कि हमारी नीति जो है उसमें जमीन हासिल करने का तरीका दूसरा है। यह बात सही है कि साम्यवादी देशों में वायोलेन्स से जमीन लेकर लक्ष्य अचीव किया गया है और हमारे यहां कानून के जरिये करना चाहते हैं। कानून के जरिये लोगों को ऐसा बांध देंगे जिससे दूसरा रास्ता उनके सामने नहीं रहेगा और मजबूरन उनको इस रास्ते पर जाना पड़ेगा। जो सहकारी खेती है उसको मैं ईमानदारी के साथ महसूस करता हूं कि उसमें काश्तकार की हैसियत हाली से ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। पेट भराई तो हाली भी करता है। वह भी कपड़े पहिनता है, खाना खाता है केवल उसके पास जमीन की धणियाप जैसी चीज नहीं रहती है; यद्यपि कहा यह जाता है कि सहकारी खेती वॉलेन्टियरी है। उसमें उनकी मिल्कियत बराबर बनी रहेगी और पांच साल के बाद में यदि चाहें तो जमीन को बाहर निकाल सकते हैं। पेराफेरी पर उस कीमत की जमीन दे देगा। परन्तु मुझे यकीन नहीं है, मुझे भरोसा नहीं; इन बातों में कोई तथ्य नहीं। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इसका काश्तकारों पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे यह मानते हैं कि शामलात खेती से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, नेशनल प्रोडक्शन बढ़ जायेगा। लेकिन यह वाजिब बात नहीं है। वास्तव में कुल मिला कर घटेगा क्योंकि एक आदमी जितनी लगन और तवज्जोह के साथ में अपने खेत पर काश्तकारी कर सकता है उतनी लगन और तवज्जोह सहकारी खेती में नहीं आ सकती है। यह सबका तजुर्बा है और मैंने देखा है।

अब जो दूसरी बातें हैं, उन्हें मैं संक्षेप में अर्ज कर देता हूँ। यह जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन है, उसके विषय में संक्षेप में एक बात अर्ज कर दूं। मैंने एक बात देखी है और मैं यह बात मानता हूं कि पंचायतों में तब ही एक्टिवनेस और वाइटेलिटी रह सकती है जब कि वे अपने अफेअर्स को देखने के अन्दर दिलचस्पी लें और पूरी तरह से क्रियाशील हों। इसके अन्दर आज कमी है और इसका मूल कारण यह है कि उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं। इसका इलाज बताते हैं, उनको कोई टैक्स लगाने के लिये कहा जाता है; मैं इस बात को वाजिब नहीं समझता हूं, गलत समझता हूं। इसके लिये मैं आपके सामने एक कन्सट्रक्टिव सुझाव रखता हूं। आप पंचायतों को एड देते हैं। मैं नहीं कहता कि आप उनको एड नहीं देते। मगर जब आप उनको एड देते हैं तो वे समझते हैं कि यह उनको

Page No 16

(श्री केसरीसिंह)

एक तरह से बख्शीश दी जाती है और इससे उनमें हीनता की भावना पैदा होती है । मैं यह अर्ज करुंगा कि हो सके तो लैन्ड रेवेन्यू पूरा का पूरा पंचायतों और पंचायत समितियों की लेवल पर रखना चाहिये। जिस गांव की लैन्ड रेवेन्यू हो वह उसी गांव में खर्च हो । गांव वाले लोग यह समझें कि यह हमारा रुपया है और हम चाहें तब इस रुपये को जिस काम में लेना चाहें खर्च कर सकते हैं । जब यह रुपया उन गांव वालों के पास होगा और उनको खर्च करने का अधिकार होगा तो वे लोग उनमें दिलचस्पी लेंगे । फिर यह हो सकता है कि किसी हद तक ये यह देखें कि उनके पास कम रुपया है और हमें डेवलपमेन्ट के कार्यों को तेजी से तय करना है तो वे अपने आप जरूरत के मुताबिक अपने पर टैक्स लगावेंगे और हर कोई व्यक्ति राजी-खुशी से पैसा देगा । अभी जो टैक्स लगाते हैं वह राजी खुशी से नहीं देते हैं । यही बात मैंने उदयपुर में अर्ज की थी । उस समय मुख्य मन्त्री ने कहा कि आप कहते हो सो बात तो ठीक है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितना रुपया डेवलपमेन्ट के कामों में खर्च होता है वह कुल मिला कर लैन्ड रेवेन्यू से आमदनी होगी उतना खर्च होगा, मगर कई कई डिस्ट्रिक्ट तो लैन्ड रेवेन्यू के हिसाब से ठीक हैं और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो लैण्ड रेवेन्यू के हिसाब से कमजोर रहेंगी । ऐसे पिछड़ेहुए डिस्ट्रिक्ट हैं, इलाके हैं उनके लिये क्या बात हो सकती है ? मैं अर्ज करूंगा कि इसके लिये यह बात हैकि ८०प्रतिशत इन्कम पंचायतों व समितियों के पास रहे और २० परसेन्ट सरकार में पूल में जा सकती है । और जो कमजोर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको equalising funds के रूप में सहायता दी जा सकती है । यह मेरा कन्सट्रक्टिव सजेशन है ।

एक बात और मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतें, पंचायत समितियें और जिलापरिषदें जो रिकमन्डेशन्स लिख देती है उनको यथा संभव माना जाना चाहिये । उनकी प्रेस्टिज को बनाने के लिये उनकी रिकमन्डेशन्स को मानना और हैल्दी ट्रेडिशन्स कायम करना बहुत जरूरी है । इसलिये उनकी तरफ से जो रिकमन्डेशन्स आती है उनकी तरफ जो ध्यान नहीं दिया जाता है वह दिया जावे । जैसे किसी जिला परिषद ने किसी प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाने के लिये लिख दिया; उनकी रिकमन्डेशन्डेशन को बिना किसी कारण दिये ही स्वीकार नहीं करें और व्यक्तिगत रूप से पोलीटीशियन्स जहां कहीं कोई स्कूलखुलवाना चाहें या अपग्रेड करवाना चाहे वैसा कर दिया जाता है । इसलिये इससे यह होता है कि लोग पोलीटीशियन्स की तरफ देखते रहते हैं । वे लोग यह समझते हैं कि इसके अलावा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती । मैं एक छोटा सा नमूना दूसरी प्रकार का आपके सामने रखना चाहता हूं । एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में सिंचाई के लिये जमीन एलॉट की गई । वहां के लिये available water का utilisation कैसे हो; इस पर विचार करके उस एरिया में किन्हीं किन्ही खेतों में तो ४ पीण ले ली जावे और किसी किसी में दो पीण से ही काम चल सकता है; पंचायत व गांव की वाटर यूजर्स होने से काश्तकारों को

(श्री केसरीसिंह)

३३ प्रतिशत excess सिंचाई करने की इजाजत दे दी। जो दस बीघा बो सकता है उसने ३ बीघा ज्यादा जमीन बो दी यानी १० बीघा के बजाय १३ बीघा जमीन बो दी। इसके बाद उन लोगों पर तावान लगाया गया। बाद में पंचायत समिति की तरफ से यह लिखा गया कि यह गल्ती है तो पंचायत की है इसलिये इन पर तावान नहीं लगाया जावे। इसके लिये आपको चाहिये था पहले पंचायतों से जवाब मांगते, फिर उन लोगों पर तावान लगाते। जिला परिषद में तो वह चला नहीं। पंचायत समिति ने जरूर रिजोल्यूशन पास किया इस आशय का। आप पंचायतों का तो जवाब लीजिये, मगर यह उनके अधिकार के बाहर की चीज है। इस पर गौर नहीं किया जावे। तो ऐसी बातों से इन संस्थाओं पर से लोगों का विश्वास हटता है; यह ठीक नहीं है।

मैं यह कहूंगा कि आपको इन इन्स्टीट्यूशन्स की प्रेस्टिज को बढ़ाना है और इसके लिये यह जरूरी है कि जो ये रिकमन्डेशन्स भेजें उनको मानना चाहिये ताकि लोगों को यह विश्वास रहे कि ये हमारे इन्स्टीट्यूशन्स हैं और इनके जरिये हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं।

एक बात और अर्ज कर दूं। कहा गया कि लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया। परन्तु कोई कोन्क्रीट सजेशन्स नहीं दिये गये। मैं इसके लिये कोन्क्रीट सजेशन्स अर्ज करना चाहता हूं। यदि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह महसूस करे कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो मैंने कहीं पढ़ा था कि स्केन्डिनेविया में तो Ombudsman या फ्रान्स Counsel d' Etat नामक एक इलेक्टेड बॉडी होती है। यह नोन पार्टी होती है; इसमें बहुत कानूनी योग्यता रखने वाले होते हैं, एक्स्ट्राओर्डिनरी क्वालिफिकेशन वाले होते हैं। चुनाव इनका सभी विधायकों द्वारा होता है। यहां सभी M. L. As. व सरपंचों की इलेक्टोरेट बना लीजिये। इस तरह की एक बॉडी बना कर यहां पर जरूर रखनी चाहिये कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह महसूस करें कि उनको न्याय नहीं मिला है और उनके साथ अन्याय हुआ है तो वे वहां पर अपनी दरख्वास्त कर सकें। इस बॉडी के बडे वाइड पॉवर्स होने चाहिये। बड़े से बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के फैसले की अपील सुनाने एवं उन्हें रद्दोबदल करने का अधिकार होना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि अमेरिका में पब्लिक डिफेन्डर्स होते हैं वे भी चुनाव से आते हैं। उनका कार्य है कि सरकार की तरफ से लोगों पर किसी तरह का जुल्म होता है तो वे उन लोगों को डिफेन्ड करते हैं। Americans के पब्लिक डिफेन्डर्स की तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में या ब्लोक में कोई प्रबन्ध हो तो न्याय लोगों को ज्यादा सुलभ होगा। अगर ऐसा होगा तो लोगों में विश्वास प्राप्त भी पैदा होगा कि न्याय हमें भी मिल सकता है। और आज प्रशासन में जो खामिया है। वे नहीं रहेंगी और सुधार हो सकेगा। तो इसकी भी यहां पर आवश्यकता है।

Page No 18

(श्री केसरीसिंह)

एक बात कोऑपरेटिव के बारे में अर्ज करूं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री हरिप्रसाद (झुंडावा) : माननीय अध्यक्ष, इस सदन में मैंने नये सदस्य के नाते पिछले दिनों में वाद-विवाद हुआ उसको बहुत ध्यान से सुना। इसके पहले ऑपोज़िशन के विभिन्न लीडर्स ने आश्वासन दिया था कि इस हाउस की डिबेट सुचारू रूप से चलाने के लिये पूरा सहयोग देंगे। उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें बांध रखी थीं। हमने सोचा कि ये लोग बजाय छोटी छोटी बातों के आगे बढ़ने के कोई सुझाव रखेंगे जिनसे अगले पांच वर्षों तक जो हमारा शासन का काम चलेगा उसको सुधारने में हमको कोई ठोस मदद मिलेगी। लेकिन पहले तो मैं जिक्र करूं, स्वतन्त्र पार्टी के लीडर से हमको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वे कोई खास, नया प्रोग्राम सदन के सामने रखेंगे। उन्होंने दो चार बातें कन्स्ट्रक्टिव कहीं जिनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ जैसे कल और पहले भी दो मर्तबा सुन चुका हूं जब वे इस स्तर पर आ गये कि एक तालाब खुदवाया गया मगर वह तालाब नहीं खुदा, घुटनों घुटनों तक खुदा है और उसमें पानी नहीं है और लोग लघुशंका करते हैं, इस प्रकार की बात कहीं तो इस स्तर पर जब हम इस सदन की डिबेट को ले जाते हैं तो यह कहना पड़ता है कि हमें जो उनसे आशा थी वह निराशा के रूप में ही रही।

(११ म० पू०)

दूसरी ओर पी० एस० पी० है, उसके नेताजी ने सारा निचोड़ कांग्रेस के शासन-काल का यह बताया कि आप किसी आदमी का सिर काट कर एक हाथ में लटका लीजिए और दूसरे हाथ में चांदी के टुकड़े ले लीजिये और किसी भी शहर से गुजर जाइये, आपको कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा। उनके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस को फुल अधिकार हैं, उनके पास जंजीरें होती हैं, वे किसी भी घर में घुस जायं और रिश्वत ले लें या चाहें जो ऐंठ सकते हैं। इन बातों से मेरा नम्र निवेदन माननीय अध्यक्ष, यह है कि सदन की कार्यवाही में बहुत बड़ी मदद नहीं मिलती। हमें तो सोचना चाहिये कि हमारे देश के सामने यह बहुत ही नाजुक समय है। अभी दो दिन पहले नेहरूजी ने कहा है कि अगले पांच साल हमारे देश के लिए बड़े क्रिटिकल और डिसीसिव टाइम के हैं; इसमें या तो हमारा देश हमेशा के लिए सही रास्ते को पकड़ लेगा या हमारी नौका डूबनी होगी तो डूब जायेगी ऐसे समय में और जो खतरे देश के सामने हैं वे आपके सामने हैं। पाकिस्तान से जो हमारे मसले चल रहे हैं, उत्तर में चीन से जो हमारी दिक्कतें हैं वे भी सदन के सभी माननीय सदस्यों को जाहिर हैं; लेकिन ऐसे समय में भी यदि हम अपनी डिबेट का स्तर इस ओर ले जांय तो इसमें कोई खूबसूरती नहीं है।

जनसंघ के माननीय नेता ने जो सुझाव

(श्री हरिप्रसाद)

पेश किये, उनको भी हमने बहुत ध्यान से, उम्मीद से सुना। उन्होंने जयपुर शहर की गन्दी बस्तियों का जिक्र किया, कहीं दो टूंटियां पानी की लगीं, नहीं लगीं या गलत टाइम पर लगीं उनका उन्होंने जिक्र किया। पहले तो मैं निवेदन कर दूं, उनकी शिकायतों के खिलाफ मेरी शिकायत नहीं। कॉन्स्टीट्युएन्सी के जिम्मेदार सदस्य की हैसियत से कॉन्स्टीट्युएन्सी में जो जो खामियां हों, जो जो दिक्कतें हों उनको सदन के सामने लाना हमारा फर्ज है। जहां तक यह सवाल है उन्होंने ठीक ही किया, पर मेरा निवेदन है कि इसका समय सदन में पांच साल तक आता रहेगा, पर यह समय तो सदन में एक बार आता है।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : ५ साल में पांच बार यह समय आता है।

एक माननीय सदस्य : १० बार आता है।

श्री हरिप्रसाद : मेरी गलती है, मैं इसको मानता हूं। ऐसे समय पर तो हम ऐसे सुझाव की बातें, सजेशन्स की बातें कहते कि जिससे ठोस सुधार की बातें होती।

मोटे तौर से विपक्ष की ओर से जो क्रिटिसिज़्म हुआ उसको मैं दो तरह से देखता हूं। एक तो चुनाव में इरेगुलेरिटीज़ बताता है कि एक थानेदार को जहां रहना चाहिये था। वहां से ट्रांसफर कर दिया गया या जिसको वहां नहीं होना चाहिए था उसको वहां भेज दिया गया। तो इन चीजोंके सिलसिले में मैंभी स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं कि चुनावों के सम्बन्ध की इरेगुलेरिटीज़ वे चाहे सदन के इस तरफ से हुई हों या उस तरफ से; दोनों तरफ से निंदनीय हैं। हम किसी भी करप्ट प्रेक्टिस को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हैं। हमें पार्टीबाजी को भूल जाना चाहिये और जहां तक करप्शन को मिटाने का सवाल है हमारे सब के विचार एक ही हैं। इस समय आवेश, में गुस्से में कुछ भी कह लें परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों की इच्छा है कि करप्शन हमारे राज्य से हट जाय।

तो मैं निवेदन कर रहा था दो तरह की शिकायतें हुईं; एक तो जैसा कि मैंने निवेदन किया चुनावों की और दूसरी हैं यह कि किन्हीं महोदय ने कहा कि हमारे यहां नहर पर पुलिया नहीं है, किन्हीं ने कहा कि हमारे यहां सड़क का दो मील का टुकड़ा पूरा नहीं हुआ है। ये बहुत ही सही और जायज मांगें हैं। ये चीजें पीछे भी हो सकती थीं। पर इस समय हमें उम्मीद थी कि विपक्ष सही क्रिटिसिज़्म, कॉन्क्रीट सजेशन पेश करेगा, उसमें हमें निराशा हुई है।

यह कहा गया कि प्रजातंत्र की हत्या की गई है, लोकतन्त्र को दफना दिया गया है। कॉम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने केरल की बात कही, पर मेरा निवेदन है कि केरल में, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हां, हां; घबराइये नहीं।

श्री हरिप्रसाद : घबरायेंगे तो आप। अभी टाइम मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहां राजस्थान में ४० प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिले और कांग्रेस गवर्नमेंट बना कर बैठ गई।

(श्री हरिप्रसाद)

यह जनतन्त्र की हत्या है। मैं निवेदन करूं कि केरल में ४१ परसेन्ट वोट लेकर कॉम्युनिस्टों ने कॉम्युनिस्ट गवर्नमेन्ट बनाई थी और कहा गया कि यह लोकतन्त्र की जीत है; वहां ४० पर्सेन्ट वोट्स पाकर कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई वहां तो जनतन्त्र की हत्या हो गई और लोकतन्त्र का खून हो गया....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो मैंने कहा उसको गलत तौर से रखा गया। मैंने कहा था कि ४० परसेन्ट वोट्स के आधार पर कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई वह तो ठीक है और जहां ४१ परसेन्ट पर कम्युनिस्टों ने हुकूमत बनाई उस हुकूमत को नहीं ठहरने दिया। इसलिए जनतन्त्र की हत्या हुई।

श्री हरिप्रसाद : ठहरने देना, ठहरने न देना; यह जनता के अख्त्यार की बात है। इसके लिए हमारे सदन में दवा नहीं।

एक माननीय सदस्य : जनता का कहां सवाल है, राष्ट्रपति रूल कर दिया ?

श्री हरिप्रसाद : वहां के उस समय के चीफ मिनिस्टर नम्बूद्रीपाद ने यह बात कही–

"It is well known that the Communist Party was returned as the majority party during the last elections on a minority of vote (41%). What is more its majority in the Assembly was slender-only 2". यहां अगर हम १ मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाते हैं तो जनतन्त्र का खून होजाता है ४० परसेंट वोट्स पर हुकूमत बनाते हैं तो जनतंत्र की हत्या हो जाती है और जहां कॉम्युनिस्ट ४१ परसेंट पर हुकूमत बनाते हैं तो वह जनतंत्र की रक्षा होती है! मेरा मतलब इन चीजों को कहने का यह था कि एक जगह एक चीज का स्टेन्ड आप एक तरफ से लें और उस चीज का दूसरी जगह दूसरी तरफ का स्टेन्ड लें तो यह ठीक नहीं।

स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों ने भी इस बात पर छींटाकशी की। पहले तो यह ख्याल आता है कि जिनकी तरफ से छींटाकशी हुई उन दोनों पार्टीज को डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं....

राजा श्री मानसिंह (डीग): I strongly challenge this statement, Sir, that we do not believe in democracy.

श्री अध्यक्ष : It is an expression of opinion.

श्री हरिप्रसाद : मैं तो इस समय केवल आपकी हिस्ट्री से यह कह रहा हूँ। एक मिनट यहां एक्सप्रेशन हुआ, उसके बजाय १००० साल तक हुआ उसको मानेंगे। डेमोक्रेसी की दुहाई दी दोनों दलों ने, उनमें से किसी को डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। दोनों ही तरफ बुनियादी विश्वास नहीं है।

इसके बाद में यह कहा, जैसा, जो डिबेट का रुख चला उसमें यह चीज कही गई कि बराबर १० साल में कोई काम नहीं हुआ ऑलमोस्ट कोई काम नहीं हुआ। इतना स्वीपिंग जनरेलाइजेशन कर देना, मैं तो समझता था कि बड़ी जिम्मेदारी से माननीय सदस्य बातें करेंगे! यहां की फूड प्रोब्लम है, खाद्य समस्या है जिसको सोल्व कर दिया गया और इस माने में राजस्थान को सरप्लस स्टेट कर दिया गया। उसके बारे में भी विपक्षियों की तरफ से कोई एप्रीसियेशन नहीं हुआ। कई महानुभावों ने

(श्री हरिप्रसाद)

तो कह दिया कि हो गया तो हो गया होगा। मैं निवेदन करूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष, १० साल पहले की बात कहूँ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन्स का एक सेमी ऑफिशियल फोरम था, उस में चर्चा हो रही थी कि १० साल पहले जो हमारे सामने खतरे का टाइम था. जिस तरह हमारी वस्तुस्थिति थी वह सब माननीय सदस्यों को मालूम है। उस फोरम में वहां हिन्दुस्तान के बारे में जिक्र हो रहा था। उस समय सवाल यह आया कि नम्बर एक प्रोब्लम हिन्दुस्तान की किस चीज़ को माने। कुछ का सुझाव था कि यहां पोपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है कि चाहे हम कुछ भी करें सब बेकार हो जावेगा। दूसरों का कहना यह था कि जब तक यातायात नहीं खुलते हैं, ट्रान्सपोर्टेशन के साधन उपलब्ध नहीं होते है और सारी कन्ट्रीडेवलप नहीं होती है तो वहां पर कुछ नहीं कर पावेंगे। मतलब यह था, उनके कहने का मतलब यह था कि डेवलपमेन्ट हो, ट्रान्सपोर्टेशन हो, फूड को या किसको प्राथमिकता दें; उस वक्त माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूं कि मेरे ऊपर यह सवाल आया और यह कहा गया कि आप बताइये उस देश के रहनेवाले हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि उस वक्त मैंने अपने ऊपर बहुत जबरदस्त बोझा पाया। हमारे यहां हजारों वर्षों को समस्या है। राजे–महाराजे और तरह तरह की गलतियां चलती रही हैं, इन्डस्ट्रियलाइजेशन में पिछड़ गये, इतनी समस्यायें हैं उनमें से निकाल कर यह कह दूं कि एक यह समस्या है। सब की राय थी, मेरी अपनी नहीं कहता हूँ, कि जब तक फूड प्रोब्लम सोल्व नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा चाहे हम स्टील प्लान्ट लगा लें। लेकिन यह बुनयादी सवाल हल करने में सफलन होंगे तो कामयाबियां मुश्किल हो जावेंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इस कठिन सवाल को अच्छी तरह से हल किया। मैं जरा सा जिक्र करूं, नाराज न हों तो। हमारा छींटाकशी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं कॉम्युनिस्ट पार्टी की ओर कहता हूँ। केरल में कॉम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेन्ट बनी। मैं कहता हूँ कि जब जिम्मेदारी का टाइम आता है तो हर चीज बडी मुश्किल हो जाती है। क्रिटिसिज्म करते हैं तो आधा मिनट लगता है। उसमें डेमोक्रेटिक डीसेन्टेलाइज़ेशन, ट्रान्सपोर्टेशन आदि सब आ जाते हैं। कुल दो मिनट लगते हैं सब चीजों को क्रिटिसाइज़ करने में। लेकिन जब जिम्मेदारी उठानी पड़ती है तो वह रास्ता दूसरा हो जाता है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यह समस्या केरल में खड़ी की थी और उसके सामने वह आयी तो वहां के चीफ मिनिस्टर महोदय ने कहा; मैं लिखा हुआ पढ़ देता हूं........

एक माननीय सदस्य : अमेरिका से पढ़ कर आये हैं।

श्री हरिप्रसाद : हमारे देश में हमारा राज्य बहुत ही अच्छा अंग है और वहां की जनता ने अच्छा कार्य अदा किया है तो माननीय अध्यक्ष, वहाँ के चीफ मिनिस्टर महोदय ने यह बात कही। जरा सुन लीजिये। किसी का क्रिटिसिज़्म नहीं है।

"As a matter of fact, it would be no exaggeration to state that food deficit and un-employment are the two

(श्री हरिप्रसाद)

biggest problems which the State of Kerala has to face, it is to the extent to which these twin problems are sought to be successfully tackled that any Government would be Judged by the people of Kerala".

अब उसी क्राइटेरिया को यहां भी लगाइये। यहां की गवर्नमेंट ने इतनी जबरदस्त समस्या साल्व कर ली। उनके बारे में एक चीज और पढ़ देता हूं :

"As for un-employment, the opposition was insistently asking questions in the legislature as to how many new industries have been established and how many new Jobs created? In this respect too, they characterise our performance as full of failures".

यह नम्बूदरीपाद साहब का है : "Let me readily admit that we cannot claim any notable success in respect of either of these two important problems. I cannot claim that food production in the State has made any sizeable advance during our regime." मतलब फूड और इन्डस्ट्रियेलाइजेशन। "Nor do I claim that the effort at establishing new industries has had any sizeable increase in employment opportunities."

उस गवर्नमेंट की बुराई करने की मेरी कतई मंशा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Can't you be so truthful as we have been there?

श्री हरिप्रसाद : मैं आपके चीफ मिनिस्टर साहब का कहना ज्यादा सही समझता हूँ।

एक माननीय सदस्य : हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं।

श्री हरिप्रसाद : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों की loyalty ऐसी बनी रही है यहां भी और सेन्टर में भी।

मेरा कहना यह है कि जब जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, फर्जी नहीं; मैं कोई हाउस में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ........

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : आप यदि जिम्मेदारी छोड़ने के लिये तैयार हैं तो हम जिम्मेदारी उठाने के लिये तैयार हैं।

(घंटी)

श्री हरिप्रसाद : माननीय अध्यक्ष, इस समय हमारे सामने समस्यायें हैं और माननीय सदस्यों ने सुझाव पेश किये हैं। एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव पेश किया कि अनएम्प्लॉयमेन्ट को हटाने के लिए बिस्कुट या चॉकलेट की फेक्ट्री क्यों न शुरु कर दें? उनके दिल का दुःख मैं समझता हूँ उन्होंने तो यह अच्छा समझ कर ही कहा कि एम्प्लॉयमेंट को खत्म करें। सुझाव बुरा नहीं समझता हूं। लेकिन हमें हमारी लिमिटेशन्स को देखना होगा। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं। देश के सामने खतरा है। मैंने ब्रीफ में निवेदन किया था। पाकिस्तान की ओर से और उत्तर में चीन की ओर से खतरा है। दो दिन से अखबारों की

(श्री हरिप्रसाद)

हैडिंग्स देखी होंगी। हम defence में ३५० करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। हम इनसे हजारों बिस्कुट फैक्ट्रीज़ खोल सकते हैं। लेकिन साथ साथ कौन ऐसी हजारों की बजाय ५० लाख बिस्कुट फैक्ट्री खोलना चाहेगा जब कि उसका प्राइस यह हो कि हमारी डिफेन्स कमजोर हो जाय ? मेरा निवेदन यह है कि सेन्स ऑफ प्रोपोर्शन रखना चाहिये। आपको मालूम होना चाहिये कि करीब ८० पर्सेन्ट बजट सेन्टर का ऐसी चीज में लगता है जिससे बिस्कुट और कपड़ा नहीं बनता है ? कर भी लगाना लाजमी है। डेम्स में या मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेन्स में लग रहा है। उनको काट कर कौन कहेगा कि बिस्कुट फैक्ट्री में लगा दीजिये ? स्टील की फेक्टरियां बन रही हैं। आज हमारे सामने दुनिया के दो बड़े मुल्क हैं। मुझे उनको देखने का मौका मिला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में खत्म कर देता हूँ।

यहां भी ये समस्यायें मौजूद हैं। रूस एक जबरदस्त पॉवर है और मैं उसकी कद्र करता हूं। लेकिन दिक्कतें आज भी हैं वहां ! रूसी भाई यहां आते हैं। यहां से चमड़े के जूते लेकर जाते हैं। एक आदमी दस दस जूते ले जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर देश के रिसोर्सेज़ लिमिटेड होते हैं। चाहे बिस्कुट का या जूते का कारखाना खोल दीजिये। तो हमें यह देखना होगा कि कहां किस समय रुपया खर्च करना है। तो इन चीजों को जैसा कि मैंने कहा डिफेन्स में हम कभी नहीं कर सकते; स्टील प्लान्टस वगैरह की इन्डस्ट्रीज़ को हम बेस बना रहे हैं वैसी ही हालत में जिस प्रकार की बुनियाद हम इन्डस्ट्रीज़ की रख रहे हैं वह सेल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी हो जाती है। इसके लिये अधिक से अधिक दूसरे देशों की मदद लेकर हम इस प्रकार के कामों को करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे नाजुक वक्त में जब कि बाहर की तरफ का खतरा है, देश के अन्दर सेभी है; ऐसे समयमें जैसा कि मैंने कहा विरोधी दल से उम्मीद थी कि वे कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देंगे। अगर डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन उनको पसन्द नहीं था तो वे ऑल्टरनेटिव स्कीम्स पेश करते। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, आज तक उनकी तरफ से कोई ऑल्टरनेटिव चीज सामने नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्य करप्शन की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, करप्शन को मिटाने के लिये आपसे भी ज्यादा इच्छुक ट्रेज़री बेन्चेज़ है। वह चीज किसी भी तरफ से प्रोत्साहन दी जाने वाली नहीं है। ये बुनियादी चीजें हैं, जिनके बारे में विरोधी पक्ष की ओर से कोई भी कन्स्ट्रक्टिव सजेशन्स नहीं आये। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय बहुत कम है, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल महोदयके अभिभाषण पर डिबेट चलते हुए चौथा दिन है। कई तरफ से कई शिकायतें आयीं। एक

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

तरफ लोग हरा चश्मा लगा कर बैठे हैं, दूसरी तरफ लाल चश्मा लगाकर बैठे हैं, किसी तरफ पीला चश्मा लगाकर बैठे हैं। लेकिन सफेद चश्मा किसी को नजर नहीं आया। मैं मेरी ओर से जो एक स्वतन्त्र सदस्य हूं व इस हाउस में और जितनों से मैं सम्पर्क कर पाया हूँ निर्दलीय सदस्यों के लिये मैं महसूस करता हूं इस सफेद चश्मे की जरूरत को हम पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष, एक तरफ हम देखते हैं; जो लोग कांग्रेस में बैठे हुए हैं। वे बड़ी कुर्बानियों की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि हमने देशके लिये बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा आप कुर्बानियों के नाम से बहुत फसलें काट चुके और अब भी आप उन्हीं कुर्बानियों के नाम पर फसलें लेना चाहते हैं। अब आपकी वे कुर्बानियां ज्यादा नहीं चलेंगी और न उनके नाम पर फसलें ही मिलने वाली हैं। गांधीजी ने कहा था कि कुर्बानियों के नाम पर फसलें काटी जाने वाली हैं इसलिए अब इस कांग्रेस संस्था को खत्म करो। अध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि नई स्कीम्स के आधार पर कन्स्ट्रक्टिव बातें कीजिये। अपोज़िशन के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनका एक इतिहास रहा है जो बहुत खराब इतिहास है। मैं पूछना चाहता हूं, साथ में बैठे कांग्रेसी भाइयों से, आज वे भी जनता से चुन कर आये हैं उसी तरह से घर घर जाकर वोट मांग कर चुन कर आये हैं। ऐसी हालत में उनके लिये पुराने इतिहास को दोहराना उचित नहीं, वे भी हमारे भाई हैं और जिस तरह से आपको यहां बैठने का हक है उसी प्रकार उनका भी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा। वे यह सोचते हैं कि ऑपोज़िशन के लोग हैं वे बिखरे हुए हैं और एक दूसरे से झगड़ने-वाले आदमी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारी तरफ चाहे कांग्रेसी हों, चाहे कॉम्युनिस्ट हों, चाहे स्वतंत्र पार्टीके लोग हों, चाहे निर्दलीय हो उन सबके लिये हम कोशिश करेंगे कि एक कॉमन प्रोग्राम बना कर हम एकसाथ रहें, उसमें हम स्वतंत्र पार्टी के लोगों को भी ले सकते हैं। आपने सोचा होगा, जिस प्रकार से आपने एक निर्दलीय सदस्य को अपने साथ मिला कर बहुमत बना लिया; लेकिन आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम भी अपने आठ–दस आदमी कांग्रेस में रखते हैं; जिनको हम किसी भी समय अपने में मिला सकते हैं। जहां हम साफ दिमाग लेकर चल रहे हैं वहां हमारा दल दोनों तरफ देखेगा। हमारा सफेद चश्मा दूर की बातें भी देखने के काम में आयेगा और नजदीक की भी देखेगा। हम भी प्रजातंत्र में यकीन रखने वाले आदमी हैं। लेकिन इस प्रजातंत्र को जिस प्रकार से इस कांग्रेसी शासन ने झकझोर कर रखा है उसके कारण मैं उधर बैठने वाले सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आपके चारों तरफ खतरा है। चुनाव के जो नतीजे आये वे इस बात को स्पष्ट इंगित करते हैं। अब आपकी तरकीबें लोग पसन्द नहीं करते। आप नाराज मत होइये, आप इस चुनाव के दौरान में जो जो बातें हुई उनको देखते हुए अन्दाजा लगाइये कि आपका आगे का भविष्य किस प्रकार का रहने वाला है ? आपका जनता

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

ने विरोध किया, फिर भी आप लोगों को मत मिले, लेकिन उन लोगों के मिले जो बहुत कम समझने वाले हैं। आपने भी आंकड़े दिये हैं, लेकिन हम आपके दिये हुए आंकड़ों को नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग साफ दिमाग लेकर आये हैं। हम भी राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का दिमाग रखते थे। मगर हमने पाया एज़ ए मैटर ऑफ कोर्स आपने पेड़ की कोपलें देख कर आंकड़े तैयार किये हैं, आपने वास्तव में देखा नहीं कि पेड़ की जड़ों में दीमक लग गई है। आपने तने को देखा है, लेकिन जड़ें नहीं देखीं; उस हिसाब से पेड़ उखड़ने वाला है। आपको चाहिए पेड़ को मजबूत करें और उसमें लगी हुई दीमक को हटायें। आपका कहना है कि ऑपोज़िशन छोटे कुंए, तालाब आदि छोटी बातों को लेकर क्रिटीसाइज करते हैं; लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिये कि हम छोटी छोटी बातों से निकल कर आये हैं।

बड़े बांध बनते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ यदि भूख से कोई आदमी मरता है तो हमारा यह मानना है कि ये बड़े बड़े बांध भले ही पड़े रह जायं लेकिन भूख से एक भी इन्सान मरने नहीं पाये। आप भूख से मरते हुए को पहले बचाइये चाहे उसके लिए आपकी योजना भी पड़ी रह जाय तो कोई बात नहीं। आपके सामने इन्सान की कीमत ही नहीं, जिसके पास आप वोट मांगते फिरते हैं! हम प्रजातन्त्र की कद्र करने वाले हैं, हम भी प्रजातन्त्र की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। हम भी जनता के वोट लेकर आते हैं। हम भी अपने दिमाग में एक नक्शा लेकर सामने आये हैं और आपको यह आगाह करना चाहते हैं कि आप अपने सामने के खतरे को महसूस करिये। आप चाहते हैं कि सारी पार्टीज़ आपकी मदद करें। लेकिन हम यहकहना चाहते हैं कि आपके शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को आप मजबूती के साथ दूर करिये। यह भी कहा गया कि हमें नये नये आदमीआये हैं इसलिये हमेंकुछसीखना है। यह ठीक है, नये होने की कमजोरी हम भी महसूस करते हैं। इसीलिये मैं तीन दिन से बोलने का इन्तजार करता था। लेकिन इतना मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम जो भी बात कहेंगे दिल से कहेंगे, सच्चाई से कहेंगे। वे बातें प्रजातंत्र को मजबूत करने वाली बातें होंगी, यह हमारी कोशिश रहेगी।

सदन में बहुत सी बातों का हवाला दिया गया। यह बात सही है; विरोधियों ने जो इस दफा चुनाव लड़े वे खास तोर से सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और खास तौर से वे सदस्य जिन्होंने मंत्री महोदयों के खिलाफ चुनाव लड़ा उनकी सीधी टक्कर सरकार से थी। उनमें से एक मैं भी हूं, मुझे भी आपके एक मंत्री महोदय के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा। इन चुनावों में जो भी ताकत सरकार की थी उन लोगों ने उसको लगाया; फिर भी जनता ने अपने दिमाग को सही रखा और जिस व्यक्ति को चुन कर भेजना था उसे भेजा। आप इस बात को महसूस कीजिये जो आपके तरीके अब लोगों को पसन्द नहीं। इसलिये आप आयन्दा के लिये उन तरीकों को काम में मत लाइये, उनको छोड़ कर आप सार्वजनिक कामों की तरफ ध्यान दीजिये, जनता की भलाई की ओर निगाह डालिये। ऐसी सूरतमें चाहे आपकी गवर्नमेन्ट रहे, चाहे

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

लाल हो, चाहे पीली हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि मिनिस्टरों का चुनाव व्यक्तिगत योग्यता का आधार न होकर क्षेत्रीय भावना के आधार पर कर रहे हैं और यह ख्याल नहीं कि कहां से पैसा आयगा। आपको बड़े बड़े काम करने हैं, रिसोर्सेज़ छोटे हैं। लेकिन मिनिस्टरी बढ़ाते वक्त आपको यह ध्यान नहीं रहता। चालीस आदमियों की गवर्नमेन्ट बना रहे हैं; यह इसलिये कि आप अपने लोगों को सेटिसफाइ करना चाहते हैं; यह आपका अजीब नाटक है। आप जनता का पैसा कर के रूप में लेते हैं। आपको यह ध्यान में रखना चाहिये कि आम आदमी को यह ख्याल न हो कि जो पैसा उनसे कर के रूप में लिया जाता है उसको बर्बाद तो नहीं करते हैं। सब से पहले करप्शन की बात कहना चाहूंगा और इधर उधर की गोलमाल बात न कह कर एक कन्स्ट्रक्टिव सुझाव रखना चाहूंगा। करप्शन है, आप भी मानते हैं। मगर आप यह कहते हैं कि आप इसे मिटा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आज आपकी इस बात पर गांव का आदमी विश्वास नहीं करता। आज करप्शन की वजह से और आप द्वारा इसे नहीं रोक सकने के कारण आम लोगों का इस डेमोक्रेसी में से ही विश्वास उठ रहा है। वे आज वोट मांगने वालों को ही गलत आदमी मानते हैं। अंग्रेजी में कहावत है: "Wars begin in the minds of men." लड़ाइयां जब शुरू होती हैं तो पहले लोगों के दिमाग में उसका वजूद पैदा होता है। किसी भी गवर्नमेन्ट को जब उखाड़ने का काम होता है तो उसका वजूद पहले लोगों के दिमाग में आता है। मैं उसी खतरे को आज सामने देखता हूं। आप नीचे के दर्जे के आदमियों को देखेंगे; कॉमन मैन आज कहता है कि यह डेमोक्रेसी नहीं चलेगी और शायद दूसरी बार वोट पड़ने का मौका ही न आवे। जिन्होंने परमिट ले रखे हैं, लाइसेन्स ले रखे हैं वे बड़े खुश हैं, वे कहते हैं अच्छा राज चल रहा है, बहुत तरक्की हो रही है। मगर कॉमन मैन और दूसरे आदमी जो विचारक हैं वे जो सोचते हैं और कहते हैं उनकी बातों को आप समझिये। यह बात आज लोगों के दिमाग में शुरू हो गई है कि यह प्रजातन्त्र जो इतनी मुश्किल से और बड़ी कुर्बानियों के बाद इस देश में आया है, कहीं ऐसा न हो कि आप लोग जो आज सता में बैठे हैं उनके द्वारा कॉमन मैन के दिमाग की बातों को समझ नहीं सकने के कारण, यह मुश्किल से आई डेमोक्रेसी दस-पन्द्रह साल के बाद खत्म हो जावे। हम इसकी रक्षा के लिये आपके साथ कन्धे से कन्धा लगा कर दौड़नेवाले हैं। तो जो यह आपका करप्शन है, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट है, वे उस आदमी को शिकायत करने को कहते हैं। जिसकी ताकत नहीं इस सारी तवालत में जाने की। एक अफसर रिश्वत लेता है एक छोटे आदमी से। आपका एडमिनिस्ट्रेशन उससे यह चाहता है कि वह एक बड़े अफसर के खिलाफ मुकदमा चलाये। आप इसके लिये अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस तरह से बनवाइये कि वे इन हर शहर और हर स्थान पर आजादी से खुले घूमने वाले छद्म डाकुओं को अपनी पकड़ में ले सकें। आपकी सरकार इन डाकुओं को क्यों बर्दाशत कर रही है? आप अपनी सी० आई० डी० को मजबूत

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

करिये ताकि वह इन डाकुओं को पकड़ कर जेल के सींखचों में डाल सके। कोई सताया गया आदमी उस पर मुकदमा चलाये, प्लॉट बनाये, गवाहियां दे; वह इस तवालत में जाने वाला नहीं है। जन साधारण फलां अफसर बेईमान है, रिश्वत लेता है, जुल्म कर रहा है जानता है पर उस पर मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपके कानून की वजह से वे खुले घूमते हैं। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं, एक कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देना चाहता हूं आप अपनी सी० आइ० डी० को कठोर बनाइये। यह चाणक्य का कथन है कि जिस शासन की सी० आई० डी०, गुप्तचर मजबूत नहीं वह शासन ज्यादा नहीं चल सकता। आप अपने गुप्तचरों से पूछिये कि कौन अफसर पैसा लेता है, कौन भ्रष्टाचार करता है? आप जिन डाकुओं का पीछा करते हैं और बड़ी सतर्कता से उनको पकड़ते हैं उन से जनता इतनी परेशान नहीं है। वे इन्डिविजुअल का पैसा लूटते हैं। एक दो पर डाका डालेंगे; पर ये लोग तो गरीब से गरीब पर जो बछिया बेच कर आया है तो उससे भी पैसा छीनने से नहीं चूकेंगे, अपने गहने गिर्वी रख कर आया है तो उस गरीब से भी पैसा लेंगे। तो वे सब पर डाका डालते हैं रिश्वतखोर। आप अपनी जिम्मेदारी समझिये। इसकी जिम्मेदारी बिना पढ़े-लिखे, नासमझ, कमजोर लोगों पर मत छोड़िये, नहीं तो यह करप्शन नहीं मिटेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कहा गया कि बड़ी चेतना आ गई आज जनता में। यह बात सही है। कई तरह के वोट डालने का उसको मौका मिला, पिछले पांच सालों में; पंचायतों में, नगरपालिकाओं में और आम चुनावों में भी। पर आपने इस चेतना का नतीजा देखा? पिछले साल हमने यह देखा कि शहरों में कहीं भी वोट पड़े वहां कांग्रेस को वोट अपेक्षाकृत कम मिले। और ज्यों ज्यों यह चेतना आगे गांवों और छोटे शहर तक फैली आपने उसका भी नतीजा देखा। आप आज यहां बहुत कम संख्या में आ पाये हैं। यह आपके लिये एक नोटिस है। इसे समझिये दूर देहातों में जहां चेतना कम फैली, आपको वोट ज्यादा मिले। कभी आप यह महसूस करते हैं कि चेतना आई तो उसका नोटिस लेकर अपने आपको कुछ सुधारें! अगर इस नोटिस को लेकर आप ठीक बात पर आते हैं तो हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे और आपके साथ कन्धे से कन्धा लगा कर चलेंगे; यह मैं अपनी ओर से और जो मेरे निर्दलीय साथी हैं उनकी ओर से आप को विश्वास दिलाता हूं।

न्याय के सिलसिले में दो शब्द और अर्ज करना चाहता हूं। हमारे अलवर का जो इलाका है बहुत दूर पड़ गया है हाईकोर्ट से। हमारे लिये न्याय महंगा ही नहीं हो गया, बल्कि पैसा लगाने के बाद भी दुर्लभ हो गया। हम निवेदन करेंगे कि केपिटल जैसे बीच में रखी और इसकी जो पहिचान है कि यहां सरकार की सीट होगी, असेम्बली होगी, हाईकोर्ट होगा और अन्य बड़े बड़े विभाग होंगे तो अगर आप उनको बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर में रख दें और फिर जयपुर को केपिटल कहें भी तो मैं

Page No 28

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

इसे केपिटल नहीं समझूंगा। फिर सभी जगह इस तरह से है, वहां भी देश के दूसरे हिस्सों में भी हाईकोर्ट की बेंचें हैं। इसी तरह से मैं कहूंगा कि यह हमारी जिन्युआइन डिफिकल्टी है। हम परेशान हैं। न्याय के लिए दुर्गम जगह हो गई वह हमारे लिए। इसलिए ख्याल करके आप हाईकोर्ट की बेंच यहां स्थापित करने की कोशिश करें। और न्याय के ही सिलसिले में और कहना चाहूंगा कि न्याय आप चुने हुए लोगों को देते हैं। आप न्याय जैसी चीज चुने हुए लोगों को न दें, वास्तव में यह योग्य आदमियों के हाथों में है क्योंकि हम देखते हैं कि जहां असेम्बली में बैठे हुए हम एक दूसरे की भूलें निकालने की बातें करते हैं, आपस में सहयोग नहीं देते तो क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि देहातों में चुन कर आये हुए लोग निष्पक्ष होकर न्याय देंगे? मैं उनकी बात कहता हूं, वहां अजब वातावरण है। वे आपस में काफी रोष में हैं। उनको पता है कि किसने किसको वोट दिया। अजीब वातावरण है। अब जिसका पांच रुपये का मुकदमा है तो उसकी हैसियत के हिसाब से वह तो पांच लाख का मुकदमा समझेगा। आप न्याय को निष्पक्ष बनावें। वोट वाले आदमियों को न्याय नहीं दें तब तक जब तक कि स्तर आपका ऐसा नहीं हो जावे कि किसने किसको वोट दिया है इसका कतई ख्याल नहीं करके मेरिट्स पर न्याय दें।

एक बहुत छोटी सी बात एक सैकंड में ही अर्ज करूंगा। हमारे अलवर में मत्स्य का विलय हुआ उस समय पोस्ट ग्रेजुएट क्लासें थीं। पर बाद में हटा दी गई और हटाते वक्त कहा गया था कि यहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम है इसलिए नहीं करते।

आज आप संख्या देखेंगे तो काफी मिलेगी। शिक्षा मन्त्रीजी देखेंगे कि हमारे सैकड़ों विद्यार्थीगण जयपुर में भी हैं और और जगह भी एडमिशन लेते हैं। एल एल. बी. की क्लासेज़ नहीं हैं, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ नहीं हैं। तो संख्याको देखते हुए और भी जगह जैसे५-६ जगह आपने क्लासें खोल रखी हैं वैसे आप यहां भी खोलने की तरफ ध्यान रखेंगे तो हम आपके कृतज्ञ होंगे। तो इन कामों में जितना सहयोग आप चाहेंगे हम आपको देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जगनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बराबर चलती हुई बहस के दौरान में इस पक्ष की ओर से एक प्रकार का विरोध प्रदर्शित किया गया है। वह राज्य कर्मचारियों के खिलाफ है। यदि इसको सही माने में देखा जावे तो यह राज्य कर्मचारियों से नाराजगी प्रतीत होती है। उसे प्रशासनिक नाराजगी कहा जा सकता है। लेकिन सही मुद्दे पर उनका कोई मतभेद नजर नहीं आता। सरकार की मौलिक राज-नीतियों से उनका कोई मतभेद नजर नहीं आया। रीति से मेरा मतलब लोक कल्याणकारी राज्य और नीति से मतलब समाजवाद या आर्थिक समाजवादी ढांचे में समाज को ढालना। यह ध्येय राज्य का स्पष्ट है।

मैं केवल यही सिद्ध करना चाहूंगा कि गत दस वर्षों में कांग्रेस सरकार ने इस ओर वाकई में उसके वे कदम सही हैं या नहीं,

(श्री जगनसिंह)

वाकई में समाजवादी समाज रचना की पृष्ठ भूमि यह सरकार बना सकी है या नहीं। यह दूसरी बात है कि हालत क्या थी, क्या नहीं थी यदि इस ओर सरकार बहुत हद तक कामयाब हुई है तो इसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिये।

प्रशासनिक गलतियां आपस में साथ साथ बैठ कर आसानी से सुधारी जा सकती हैं। यह ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं किया जा सकता हो। इसलिए मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम चाहे कितनी ही पर कैपिटा इनकम बढ़ा लें, हम चाहे कितनी ही योजनाओं को सफल बना लें लेकिन जब तक समाज में आर्थिक विषमता को नहीं मिटा दिया जायेगा, जब तक समाज में शोषण होता है इनको जब तक खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक हमारा समाज सुखी नहीं हो सकता, हम उस समाज को सुखी नहीं कह सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे इतने उतावले न हों, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने वे कदम उठाये हैं जिनसे मैं साबित करूंगा कि एक मजबूत समाजवाद की पृष्ठ भूमि राजस्थान सरकार बना सकी है जिसको आने वाला इतिहास अंकित करेगा और हमारी पीढ़ियां उसको पढ़ कर खुश होंगी। मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह है भूमि सुधार, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सहकारिता। जागीर उन्मूलन करके हमारे गांवों में बसने वाले ८० प्रतिशत गरीबों को राजस्थान सरकार ने राहत दी है। मैं उन भावनाओं को जाग्रत नहीं करना चाहता। राजस्थान में जिस समय कांग्रेस ने सरकार संभाली थी उस समय काश्तकारों की क्या हालत थी? उस समय जिस जमीन पर काश्तकार बसता था, वह जमीन उसकी नहीं थी, जिस खेत में अपना हल खड़ा करता था वह खेत उसका नहीं था और अपने पसीने की कमाई से जो वह अन्न पैदा करता था उस पर भी उसका कोई अधिकार नहीं था। उसकी हालत फ्रांन्सिसी क्रान्ति के पहले जो एक सर्फ की हालत होती थी वह काश्तकार की हालत थी। वह गुलामों से भी बद्तर हालत में था। यदि सामन्तवाद की कहानी हमारे सामने आती है तो वह एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन मैं इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की भावनाओं को उभारना नहीं चाहता। मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि यदि आप उस सामन्तवादी कहानी को याद करना चाहें तो जो छोटी-मोटी पहाड़ियों पर गढ़ देखने को मिलते हैं उनको देख लीजिए। वे आज भी अत्याचार और जुल्म का इतिहास बताते हैं। आज राजस्थान का काश्तकार जब उन गढ़ों की तरफ देखता हैं तो उसके मन में पीड़ा होती है और उधर बैठने वाले सदस्यों को अतीत की याद आती है। यह कटुता प्रदर्शित करता है, इसलिए मैं उन भावनाओं को नहीं उखाड़ना चाहता लेकिन जागीर उन्मूलन करके जो भूमि-सुधार किये, काश्तकार को आजादी मिली, झौंपड़ी की जगह पक्के मकान बनाने शुरू किये, जो उसके पास खेत हैं उनको वह अपने खेत कह सकता है, जो पसीने की कमाई से वह अन्न

Page No 30

(श्री जगनसिंह)

पैदा करता है वह आज उसका मालिक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है ? आज आप कैसे कह सकते हैं कि यह राजस्थान सरकार ने क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया ? यह सब राजस्थान सरकार ने किया और इसलिए राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है उसको देहात में वोट मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है। लेकिन केवल इतना ही कर देने से वह काफी नहीं हुआ, राजस्थान सरकार उससे भी आगे बढ़ी है। ठीक है उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, लेकिन लोगों को आजाद कर देने से मानव पूरा नहीं हो जाता, उसको जिम्मेदारियां भी मिलनी चाहिए और वे जिम्मेदारियां उसको मिली हैं, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के जरिये और उसके जरिये उसमें चेतना आई है। आपको क्या नाराजगी है जब कि गांव वाले बैठ कर अपने गांव की समस्या परस्पर सुलझाते हैं, अपनी समस्या पर स्वयं ही फैसला लेते हैं ? सब परस्पर बैठते हैं तो आपको क्या नाराजगी है और क्यों इस तरह की जो विकेन्द्रीकरण की सुविधायें हैं, जो ग्रामीणों को मिली हैं उनको भ्रष्ट अधिनायक साबित करते हैं ? मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण वह सीढ़ी है जिसके जरिये हम अपना डेमोक्रेटिक ढांचा मजबूत कर सकेंगे और जो क्रान्ति और राजनैतिक चेतना देहातों में पिछले १० वर्षों में आई है और जो इस स्कीम से मिली है उतनी इससे पहले कभी नहीं आई। जो जनतंत्रवाद है उसके लिए राजनैतिक चेतना आवश्यक है और वह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण ने दी है। वे अपनी समस्यायें अपने आप संभालते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी भी मानते हैं अपने आप और सरकार को चलाने की जिम्मेदारी भी मानते हैं और अपनी योजनाओं को जो कि विकास की योजनायें हैं उनको चलाने की जिम्मेदारी समझते हैं। यह बहुत बड़ा कदम है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए और सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।

इससे आगे मैं सहकारिता की ओर बढ़ता हूं। इतना ही नहीं जिम्मेदारी संभालने से आदमी काफी नहीं हो जाता, लेकिन जो कमियां थीं उनको भी हमारी सरकार ने पूरा किया है सहकारिता के द्वारा। सहकारिता से शोषण मिटा है और वह शोषण मिटा है मिडलमैन्स प्रॉफिट खानेवालों का। उन आदमियों को जो अब तक उनकी मजदूरी खाते थे, मिडलमैन्स प्रॉफिट पर जीवित रहने वाले आदमियों को भी सहकारिता के द्वारा हटाया गया है, यह बहुत बड़ा कदम है। इसका फल आगे नजर आयेगा। यह प्रारम्भिक काल है, इसमें बहुत सी कमियाँ नजर आती हैं। वे प्रारम्भिक काल की कमजोरियां हैं, वे इस अवस्था की कमजोरियां हैं लेकिन हम मूलतः यह नहीं कह सकते कि स्कीम की, सहकारिता की और डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन की कमजोरियां हैं। यह बहुत बड़ा कदम है जो राजस्थान सरकार ने पहले पहल कदम उठाया है और इसकी राजस्थान कद्र करेगा, आज से १० वर्ष बाद आने वाले कद्र करेंगे। हिन्दुस्तान के इतिहास में जब विकास का इतिहास लिखा जायेगा तो पहला श्रेय उस समय राजस्थान को मिलेगा। यह हमारी सन्तति पढ़ेगी और उनको ज्ञान होगा। तो

(श्री जगनसिंह)

आप कैसे कह सकते हैं कि यह साधारण बात है और हम समाजवाद की ओर नहीं बढ़े हैं ? इन तीन चीजों की ओर मैं आपका ध्यान अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये दिलाना चाहता हूँ कि ये तीनों कदम ऐसे हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि समाजवाद की रीढ़ की हड्डी तैयार की है और बड़ी मजबूत हड्डी तैयार की है जिससे हम और भी मजबूती से काम चला सकेंगे। तो हमारे भाई कैसे कह सकते हैं कि यह कमजोरी है या हमने कुछ भी नहीं किया ? मैं मानता हूँ, स्वतंत्र पार्टी भी मानती है, जनसंघ और दूसरी पार्टियां आलोचना करें, लेकिन मुझे दुख होता है कि प्रगतिशील कहलाने वाली कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी इस पर अटेक करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं । उनकी शिकायत हो सकती है शिकमी काश्तकारों की, उनकी शिकायत हो सकती है भूमिहीन काश्तकारों की जमीन नहीं मिलने की, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाने की; उनकी और भी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन आलोचना करते समय यह भूल जाते हैं कि यह प्रारम्भिक काल है। इस प्रारम्भिक-काल में इतनी कमजोरियां चलेंगी, वे यथार्थवाद के सिद्धान्त को भूल जाते हैं जो कि कॉम्युनिस्ट पार्टी का एक उसूल है कि जो चीज जिस रूप में है उस चीज को उसी रूप में देखा जाये। वे इस चीज को भूल जाते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी एक समय माना है पोलीटेरियट टाइम को माना है । उन्होंने माना है पोलीटेरियट डिक्टेटरशिप रहेगी, पर पता नहीं वे यहां पर कैसे मानने को तैयार नहीं हैं....

श्री हरिराम (तिजारा) : सर्वहारा वर्ग की डिक्टेटरशिप थी, न कि राजा-महाराजा वर्ग की । कोई मानने को तैयार नहीं है ।

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने बताया कि हमारे यहां राजस्थान में भूमि सुधार हुए, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ, सहकारिता हमारे सामने आई और इससे हमारे प्रान्त की ८० प्रतिशत जनता प्रभावित हुई है और उसको मानते हैं और आप भी बखूबी मानते हैं कि शहरों में हमको वोट नहीं मिलते देहातों में मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है, मैं यह भी कहता हूँ कि शहरों में बसने वाली जनता मुनाफाखोर जनता है मिडल-मैन्स प्रोफिट पर जीवित रहने वाली जनता है । समाजवाद में मैं समझता हूं कि उसका क्या स्थान होगा; यह मेरे दाहिनी तरह बैठने वाले साथी अच्छी तरह जानते हैं। जो कोई भी रहनुमाई या समाजवाद के सिद्धांतों का मानने वाला है वह जानता है कि ये सिद्धांत सफल नहीं हो सकते हैं। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उन चीजों को जो समाजवाद की और ले जाने वाली हैं, जो लोग मुनाफाखोरी को पनपाने वाले हैं, जो लोग दूसरों की मेहनत पर पनपने वाले हैं उन लोगों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है और उन लोगों की रहनुमाई नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे और करने में सफल भी नहीं हो सकते हैं।

मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि मंहगाई और दूसरी दूसरी चीजों का सवाल उठाया गया है उनको मेरे दाहिनी तरफ बैठने वाले साथियों ने केवल विरोध के आधार पर उठाया है। उनमें कितना विरोधाभास मिलता

Page No 32

(श्री जगनसिंह)

हैं; एक ओर वे कहते हैं कि सरकार ने इन चुनावों में अपनी मशीनरी का उपयोग किया तो कितना बड़ा विरोधाभास है ? वे यह मानते कि सरकारी पक्ष के बहुत से मन्त्री चुनाव हार गए । वे इन बातों को मानते हैं कि विरोध के बावजूद वे चुनावों में सफल हुए हैं । तो कौन सी उनकी चीज उचित मानें? यदि उन्होंने सरकारी कर्मचारीगणों का उपयोग किया होता या सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी पक्ष का पक्ष किया होता तो चुनावों में तो वे आने में सफल नहीं होते और इधर के मन्त्रीगण हारते नहीं । लेकिन यह बहुत विरोधाभास की चीज है ।........

श्री रामानन्द (अलवर): जमानतें भी जब्त हो सकती थीं ।

श्री जगनसिंह : हो सकती हैं । दूसरी ओर हम विकास में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब हमारे पास साधन नहीं हैं तो साधन जुटाने में विश्वास नहीं रखते हैं । कहीं से कर्ज लिया जाता है; कहीं से टैक्स लिया जाता है तो उनमें हम विश्वास नहीं रखते ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी खूबी के साथ कह सकता हूं कि यह बात, यह विरोध उनका केवल विरोध के लिए है । यह हमारी प्रजातंत्र की प्रणाली और समाजवाद को निरन्तर आगे बढ़ाने वाली चीज नहीं है । कोई सजेशन्स देने चाहिए और कॉन्क्रीट सजेशन्स देने चाहिए । तो मैं उधर बैठने वाले भाइयों से कह सकता हूं, बड़े अदब के साथ कह सकता हूं कि जितनी नाराजगी आज के प्रशासन से आपको है उतनी ही नाराजगी हमारी भी है ।

(विराम)

लेकिन इसका एक तरीका है । वह तरीका यह है कि यदि आपकी नाराजगी है तो सदन में कोई भी दिन ऐसा रख लें कि जिस दिन उसकी रोक थाम के लिए विचार कर सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): स्वीकार है ।

श्री जगनसिंह: भूलें सोचने के लिए एक दिन नियत किया जा सकता है जिसमें एक ऐसी समिति का गठन किया जा सकता है जो बखूबी बैठ कर जो भूलें हैं उनके लिए सोचे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आप अपनी पार्टी मीटिंग में यह तय कर लें । सदन के सदस्य तो सहमत हो जायेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जगनसिंह : कोई कारण नहीं पाता कि इधर से आश्वासन मिल जाता है कि जो शासन की भूलें हैं उनको दूर करने के लिए हम आपका सहयोग मांगते हैं । इधर महत्व की बातें और असली मुद्दे हैं और समाजवाद को ओर हम आगे बढ़ रहे हैं तो विकास के इतने बड़े बड़े काम हुए हैं उनको मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और सहयोग का हाथ बढ़ाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए ।

(१२ मध्यान्ह)

श्री मथुरेशबिहारी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, आज तीसरे रोज राज्यपाल महोदय के इस धन्यवाद-प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर मिला है । इस प्रस्ताव के

Page No 33

(श्री मथुरेशबिहारी)

ऊपर बहस में माननीय सदस्यों ने समर्थन भी किया तथा उसकी आलोचना भी की व अपने अधिकार व अपने २ क्षेत्रों की कमियां भी बतलाई। किसी भी प्रस्ताव के समर्थन या विरोध के लिए आवश्यक यह है कि उसमें जिन नीतियों और योजनाओं की चर्चाएं की गई हैं क्या उन नीतियों और योजनाओं की जनता में कोई सराहना है ? सराहना तभी सम्भव हो सकती है जब कि उन नीतियों और योजनाओं का एक्ज़ीक्यूशन उनका पालन भी उसी रूप से किया गया हो जिससे कि उसके लिए जनता के अन्दर उसका लाभ पहुंचा हो। मेरी मान्यता है कि आज किसी भी योजना, किसी भी नीति की तारीफ की जाय, उसके आदर्श बतलाये जायं, उसकी अच्छाइयां बतलाई जायं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि आज हमारी सरकार की योजनाओं और नीतियों का एग्ज़ीक्यूशन इतना डिफेक्टिव है, इतनी उसमें कमियां हैं कि उसकी वास्तविक कीमत भी जनता की आंखों में गिर चुकी है। आज देखते हैं कि किसी भी योजना, किसी भी नीति का पालन करने के अन्दर पूर्ण रूप से पक्षपात और भ्रष्टाचार है। जब किसी योजना और नीति के ये दोनों रूप आपके सामने आयें और जनता के सामने आयें तो उसकी सराहना कैसे सम्भव हो सकती है ? इसी का कारण है कि इन योजनाओं के १५ वर्ष के संचालन के पश्चात् भी जनता में इसकी सराहना न मिल कर गिरावट आई है। सत्तारूढ़ दल के लिये आज बराबर का पलड़ा आपके सदस्यों के सामने आया, जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों का। तो आवश्यकता यह है कि इसका एक सबक लेकर उन उदाहरणों और उन कमियों को पूरा किया जाय तभी सराहना किसी चीज की हो सकती है। चाहे सदन के अन्दर प्रस्ताव पास हो या गिरे; लेकिन जनता ने अपना सुबूत आपके सामने जरूर पेश किया है।

आज जहां तक पक्षपात का सवाल है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि गये १५ वर्षों में हमने देखा है कि एक्सेसिव इन्टरफियरेन्स एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर इतना है कि आज बगैर मंत्री या ऊंचे अधिकारियों के सहयोग या इन्टरफियरेन्स के कोई नौकरी सम्भव नहीं, कोई कार्य सम्भव नहीं और कोई काम अपने मेरिट्स पर निष्पक्षता से नहीं होता। हर चीज़ के लिए समर्थन चाहिए और जब तक समर्थन इतना पक्षपातपूर्ण नहीं होता है कि आलोचक या विरोधियों की तरफ उसकी निगाह नहीं होती और अपने साथियों का अपीज़मेंट करने के लिए, उनके फायदे के लिए जा और बेजा सब काम किये जाते हैं। इतना ही नहीं, उसमें अपने बनाये हुए नियमों का पालन नहीं किया जाता है। उनके लिए कई सारे नियमों को तोड़ कर, उन सारे नियमों को संशोधित करके आज किसी को नौकर रखा जाता है तो किसी को प्रमोशन दिया जाता है और फिर उसके ऊपर आज यहां सराहना की जाती है। उसके जरिये अपने साथियों की मनमानी होती है। यह आपके सुशासन का प्रमाण है ! उसी तरह से आपकी इन सारी कार्यप्रणालियों का द्योतक है कि किस तरह की ये हैं। जब यह चीज आपके सामने है तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के

(श्री मथुरेशबिहारी)

अन्दर सुशासन की जो तारीफ की गई है वह तारीफ कैसे की जा सकती है ?

आज आपके सामने एक चीज़ मिलती है कि जो राज्य का संचालन करने वाले हैं, जो नीति का संचालन करने वाले हैं आज, इसको सराहना चाहते हैं इन प्रस्तावों को पास करवा कर, वे क्या सबक देते हैं जनता के सामने। उनका जो तौर-तरीका है वह आज यहां चाहे भाषणों में आदर्श की बात करें, चाहे समाज कल्याण की बात करें, चाहे सोशियलिस्टिक पैटर्न की बातकरें, लेकिन आज उनको अपनी जगह कायम रखने के लिए, अपने साथियों को कायम रखने के लिए, उनका मन रखने के लिये सब कुछ नियमों के विरुद्ध और उदाहरणों के विरुद्ध करना पड़ता है और रोज करते हैं। जो आपके सामने उदाहरण दिये गये, आज यह कहा गया कि चुनावों में निष्पक्षता की गई तो मैं आपके सामने अपने क्षेत्र की बातें रखूं कि २७ मील लम्बी लाइन केवल चुनावों के टाइम में उस एक महीने के अन्दर बिजली के खम्भे लगाकर और तार लगा कर बांदीकुई पहुंच गई, जब कि ८ वर्षों से गंगापुर और लालसोट में खंभे लगे हुए हैं वहां केवल तार लगा कर कनेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन वहां पर होने वाले विरोध के लिये और वहां के एक साथी की इस आवाज पर कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, जो काम १० वर्षों में नहीं हुआ, यहां पर कोई काम नहीं हुआ है इसलिये अब एक आध काम चमत्कार का बताया जाय और एक महीने में करके बताया गया। एक महीने पहले २३ तारीख को चुनाव था और २५ को गृह मंत्रीजी ने बिजली जला कर उद्घाटन किया। मैं कहूंगा कि जनता के हित में कोई काम किया जाय वह अच्छा है; लेकिन यह उदाहरण है चुनाव में वोट लेने के लिये और जनता के सामने इस तरह का जब कि दस-दस वर्षों में काम नहीं हुआ, लेकिन चुनाव के टाइम पर वही काम किया जाय तो यह उनके लिये सरकार की ओर से रिश्वत देना ही है। यदि यह काम अच्छा था, करना था तो क्यों नहीं पहले किया गया ? इसी तरह से विकेन्द्रीकरण के लिये कई बातें कही जाती हैं। वहां के लिये जो रकम सरकार की ओर से दी जाने वाली थी १० हजार, २० हजार या ४० हजार रुपये रोक कर चुनाव के समय अपने पक्ष को मजबूत करने के लिये दिये गये। यह सुबूत आपके सामने पंचायत समितियों का मौजूद है। मैं यह कहूंगा कि आदर्शों से काम नहीं चलेगा, प्रेक्टिकल साइड देखने की बात है और आप संचालन करनेवाले प्रेक्टिकल साइड को देखेंगे पूरा पिक्चर सामने आवेगा।

आज यह देखने को मिलता है कि अभिभाषण में तारीफ की गई है कि विकेन्द्रीकरण किया गया, सहकारी समितियों के द्वारा काम किया गया और भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार में एकीकरण का काम हाथ में लिया गया। अच्छी बात है, काश्तकारों की जमीन को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाय। लेकिन उनका वास्तविक रूप या प्रेक्टिकल साइड यह है कि दो दो बीघा के चक बना कर एक एक काश्तकार को दस दस चक दिये हैं। क्या यह कंसोलिडेशन है ? जिस जगह इस तरह को राहत दी गई क्या उन लोगों की सराहना आप ले सके हैं ? जिन काश्तकारों

(श्री मथुरेशबिहारी)

को यह राहत दी गई, जिनकी आप तारीफ करते हैं उनके दिल में तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने इसकी सराहना नहीं की।

आपके सामने जयपुर जिले का पूरा नक्शा है जहां पर खुले तौर पर संचालन करने वालों को खुल कर कहने का मौका था, राजाओं के खिलाफ कहने का मौका था, विकेन्द्रीकरण के गुणगान करने का मौका था लेकिन जनता ने इस सबको ठुकराया। आपके कर्मचारियों ने बेशक आपके लिये काम किया। लेकिन १६ हजार से आपके आदमी हारे। यह तो केवल एक ही जिले की बात है।

आज मैं सदन से अर्ज करूंगा कि इन सारी बातों से सबक ले लिया जाय तो हमारे सत्तारूढ़ दल के लिये और विरोधी पक्ष के लिये, दोनों के लिये लाभदायक है। इन जाति भावनाओं को मिटा दिया जाय। लेकिन इससे यह सबक लिया जाय कि इस जयपुर जिले की जनता आपकी इन सारी नीतियों से, कार्य प्रणालियों से असंतोष रखती है और उनके हृदय को जीतने के लिए आप अपने अन्दर संचालन करने वाले सुधार करें तो लाभ हो सकता है। कहा यह जाता है कि सदन के अन्दर गये तीन दिनों के अन्दर जो भाषण हुए उनके अन्दर बड़ी कटुता आई है और उनके अन्दर गिरावट देखी गई है; जब कि हमारी नीतियां बड़ी अच्छी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि भाषणों में चाहे कटुता रही हो; अगर एक्शन के अन्दर, काम करने के अन्दर कटुता नहीं रहे और आप एक्शन से जनता के सामने या सदन के सामने कोई उदाहरण पेश कर सकें तो जनता का लाभ कर सकेंगे और आप अपना भी लाभ कर सकेंगे। इसलिए मैं आपके सामने दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं। एक चीज और देखने को मिलती है कि इन बातों से, इन भाषणों से विरोधी पक्ष की ओर से कोई बात कहने के अन्दर कटुता आती है और अवहेलना आती है और सरकार की नीतियों के अन्दर एक जिद आती है। आज आप देखेंगे, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूँ सरकारी नीति की जिद का। हाई कोर्ट की बैंच का सवाल आपके सामने है। वह केवल एक प्रमाण है सरकार की जिद का जो किसी रीज़न के ऊपर, किसी दलील के ऊपर नहीं टिक सकता। जब आज हिन्दुस्तान में दूसरे प्रदेशों में, एक प्रदेश में तीन तीन जगह बैंचे चलती हैं और जिस दिन से यह आन्दोलन हुआ उसके बाद में भी मध्य भारत के अन्दर दूसरी बैंच इन्दोर में खुली है। आज जिस वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आये जयपुर के अन्दर तब उनके सामने प्रमाण रखे गये, उनके सामने ज्योग्राफिकल पोज़ीशन रखी गई, उनके सामने दूसरी मिसालें रखी गई। केरल जैसे छोटे प्रदेश में भी दो दो जगह बैंच चली है, बम्बई में तीन तीन जगह चली है, मध्य भारत में भी दो-दो जगह चलती हैं और यू. पी. में तीन तीन जगह बैंच चलती है। लेकिन राजस्थान जो इतना बड़ा है, जहां साधनों की कमी है, जहां की ज्योग्राफिकल पोज़ीशन डिफरेन्ट है वहां केवल जिद के कारण बैंच तब्दील नहीं करना चाहते और बार बार इसके लिए आवाज उठाने पर, बार बार आन्दोलन

(श्री मथुरेशविहारी)

उठने पर, दिल में समर्थन रखते हुए भी किसी को अपील करने के लिए, किसी की जिद्द को कायम रखने के लिए आप न्याय नहीं दे सकते । यह आज आपको जिद्द करने की आदत है ! मैं बड़ा नम्र निवेदन करूंगा कि आप भी सदस्यों से, विरोधी पक्ष के सदस्यों से, चाहे वे किसी पक्ष से जीत कर आये हों, आप सबक ले लें कि जनता में हमारी नीति, कार्य-प्रणाली से कोई क्षोभ था, कोई नाराजगी थी, उसके कारण ही यह हुआ है । अब न्याय करने के साथ ही सबका एक जैसा ट्रीट किया जाय तब ही यह बात सम्भव है और इसके साथ ही हाई कोर्ट बैंच की सरकार ने जिद्द पकड़ रखी है, उसको छोड़ने से ही काम चल सकता है । मैं स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने गया था और उन्होंने मेरे सामने ये शब्द कहे थे । जब हमने उनके सामने यह दलील रखी कि जब दूसरी जगहों में तीन तीन बैंच चलती हैं तो आप राजस्थान में अपने दौरे के अन्दर एक बैंच के लिए आदेश दे दें । उन्होंने कहा था कि पोलिटिकल पार्टी कशमकश में हैं, वह सरकार नहीं करना चाहती, हम क्या कर सकते हैं ? आज यह सरकार केवल अपनी जिद्द के ऊपर है । आप विकेन्द्रीकरण को न्याय के लिए गांव में ले जाना चाहते हैं, आप कहीं दफ्तरों को अपने मनमाने तरीके से बदलना चाहते हैं, कहीं कोई दफ्तर इसलिए ले जाया जाना बताया जाता है कि सब एरियाज़ को फायदा होना चाहिए । बड़ी अच्छी बात है कि सब जगहों के फायदे के लिए आप विकेन्द्रीकरण करें, दफ्तरों का विकेन्द्रीकरण करें, और और का करें; लेकिन एक न्याय की चीज के लिए, अच्छे न्याय के लिए आज विकेन्द्रीकरण करना सरकार अपनी जिद्द के कारण नहीं चाहती, देश के अन्दर दूसरी मिसालें देख कर भी नहीं करना चाहती । मैंने इस विषय में आपका ज्यादा समय ले लिया । मैं उम्मीद करता हूँ इस सरकार को और सदन को, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से निवेदन करूंगा कि वह इस पर निष्पक्षता के साथ विचार करे और अपनी नीति को बदलने की आवश्यकता महसूस करे ।

अब आपके सामने दो विषय में समयाभाव के कारण रखूंगा । एक है शिक्षा । आज जैसा सदस्यों ने कहा कि शिक्षा के अन्दर बढ़ोतरी हुई है इसके लिए बहुत से आंकड़े दिये गये हैं । मान लीजिये कि आंकड़े दिये गये, लेकिन मेरा शुरू से सब्जेक्ट इसकी प्रेक्टिकल साइड का है । आज प्रेक्टिकल साइड यह है कि अपनी ही चलाई हुई शिक्षा की प्रणाली के अन्दर यहां के उच्चाधिकारी विचार न करके आज सेंट जेवियर्स को अपनाते हैं और अपने खुद की स्कूलों की प्रणाली के ऊपर वहां के डिसिप्लिन को देख कर कुछ क्षुब्ध होते हैं; आज उसकी तारीफ करते हैं और अपनी तारीफ नहीं कर सकते । तो वास्तव में यह चीज आवश्यक है कि उसकी प्रेक्टिकल साइड देखी जाय । आज पंचायत समितियों के अन्दर इनको देकर, स्कूलों को देकर आपने जो आने वाली सारी पीढ़ीयें हैं, मैं तो यह अर्ज करूंगा कि उसका एक बड़ा भारी नुकसान किया है । आप आजकी क्वालिटी देखिये । आज बी.ए., मैट्रिक पास व्यक्ति हिन्दी और इंग्लिश में डिक्टेशन नहीं ले सकता और साथ ही यह

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

कहा जाता है कि जब उसको कमी बताई जाती है, कोई ट्रान्सलेशन की कमी बताई जाती है तो वह कहता है कि हमें ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है । आज ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती । जिस भाषा को पढ़ाते हैं उसके कैरीकुलम के अन्दर ग्रामर नहीं रखी जाती । फिर कहा जाता है कि शिक्षा का प्रसार किया है । आज हमारे यहां इतने लड़के शिक्षा प्राप्त करते हैं । लेकिन वे ही अफसर शासन को चलाने वाले, जब नये रिक्रूटमेंट होते हैं क्लर्कों के, इन लड़कों को देख कर भौंहें चढ़ाते हैं । बी० ए० पास लड़के डिक्टेशन नहीं ले सकते हैं । लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि जिनकी कलम नीति बनाती है, जिनकी कलम प्रणाली बनाती है वे उस टाइम पर विचार नहीं करते हैं कि हमें अपने कैरीकुलम में शिक्षा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम करने हैं । यह आज सब से बड़े दुःख की बात है । उसी तरह प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनकी ऐसी दशा बिगाड़ दी है कि उस क्षेत्र के पंच और सरपंच के रहम के ऊपर, उनकी वकालत के ऊपर वे अध्यापक रहते हैं । हमें फैक्ट्स एण्ड फिगर्स ये बताये जाते हैं कि इतने स्कूल खोल लिये, यहां तीस लड़के हैं, यहां ६० लड़के हैं; लेकिन सारे लोग इस बात को दिल के अन्दर जानते हैं कि जो आंकड़े दिये जाते हैं वे कितने गलत हैं और स्कूलों को इसलिए चलाया जाता है कि नाम के लिए गांव में स्कूल को रखने दें । हमारे वे अध्यापक महोदय जो वहां के हैं ज्यादातर सरपंच और पंच के सर्टीफिकेट को पाने के लिए उनकी वकालत और समर्थन में समय लगाते हैं और बच्चों को पढ़ाने में समय नहीं लगाया जाता है । हालत यह है कि सेशन खत्म हो जाता है तब तक सामान नहीं पहुंचता । वे शिकायत करते हैं बोर्ड न मिलने की, वे शिकायत करते हैं भवन न मिलने की, वे शिकायत करते हैं पट्टियां न मिलने की । ये जो आप के आंकड़े हैं वे केवल दिखाने के लिए हैं कि हमने इतने हजार स्कूल खोल लिये हैं, इतना परसेन्टेज बढ़ गया है लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि शिक्षा के अन्दर इतनी सारी कमियां हैं:—वहां पढ़ाई नहीं होती, वहां पढ़ाने वालों का स्तर नहीं है और अध्यापकों का समय सरपंच और पंच के घर पर अपने स्थान पर तब्दील कराने की फिक्र में लगा रहता है ।

इसके बाद एक बात मैं और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं यद्यपि उन विषयों पर सदन के माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है । बांदीकुई के अन्दर इस वक्त हमारी सत्तारूढ़ पार्टी के मूलभूत सिद्धान्त की ओर बड़ी दुहाई दिलवाई जाती है और वह है अहिंसा । लेकिन हमारे चुनाव में कांग्रेस ऑफिस के नीचे कांग्रेस के सदस्य और भाइयों ने प्रोसेशन के टाइम के ऊपर गाड़ियों से बच्चों को खींच लिया और छुरे मारे जिनके केस चले और जिनके केस दायर हैं । यह है आपकी अहिंसा का पालन और यह है हिंसा की नीति । उसके बाद इतना ही नहीं हुआ; आज उनके केसेज रजिस्टर्ड हैं । उन बच्चों के एक्सरे हैं, हॉस्पिटल में इन्ज्योर्ड आदमी एडमिटेड हैं जिनके चेहरे पर जख्म लगे हैं लेकिन उन सब बातों की परवाह न करके उनका चालान नहीं किया जाता और उसके बाद, एक घंटे के बाद में

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

दूसरी पार्टी की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, गृह मंत्रीजी के जाने के बाद भी, उनकी मौजूदगी में, इस सब घटना की जानकारी होते हुए भी उनके पहुंचने से एक रोज पहले ये सारे वाकयात होने के बावजूद और मुलजिमों को पकड़वाने के बाद में भी थानेदार उनको छोड़ देता है। उनकी शिकायत होती है डिप्टी एस०पी०, नाजिम के सामने। वह वाकयात को सही मान कर तफतीश हटा कर दूसरे को देता है। लेकिन आज तक कोई भी चालान पेश नहीं होता, कोई तफतीश नहीं होती और जबाब के लिए एक घंटे के बाद रिपोर्ट लिखाई जाती है कि कांग्रेस के झंडे को फलां व्यक्ति ने फाड़ दिया और उस झंडे को फाड़ देने के ऊपर चालान होता है; उस पर दफा ३६२ का, डकैती का केस बनाया जाता है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, कौनसी दफा है, कौनसा जुर्म है कांग्रेस के या किसी पार्टी के झंडे को फाड़ देना? आई० पी० सी० में यह जुर्म नहीं है। हां, राष्ट्रीय झंडा है, उसे कोई फाड़ देता है तो अवश्य जुर्म है। हमें राष्ट्रीय झंडे की कद्र करनी चाहिये। लेकिन जब भी उनके सामने यह कहा जाता है कि आप इससे कौनसा जुर्म बनाते हैं तो वे नहीं सुनते क्योंकि केवल सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से जबाब में रिपोर्ट ली गई है। यह आपके न्याय का सुशासन है, प्रमाण है। आपके सामने जो पक्षपात के बहुत से उदाहरण माननीय सदस्यों ने दिये, मैं तो अपने क्षेत्र के लिये अर्ज करूंगा, आप अपने क्षेत्र के लिए अर्ज करेंगे....

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह माननीय सदस्य ने कहा कि छुरे मारे और दफ्तर के नीचे यह हुआ....

श्री अध्यक्ष : (श्री मथुरेशबिहारी की ओर संकेत कर) आप बैठ जाइये।

श्री हरिश्चन्द्र : यह कहां हुआ?

श्री अध्यक्ष : (श्री मथुरेशबिहारी की ओर संकेत कर) जब माननीय सदस्य बोल रहे हों तो केवल एक माननीय सदस्य बोल सकते हैं, दूसरे माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिए। आप क्या पूछ रहे थे?

श्री हरिश्चन्द्र : On a Point of Information, Sir, I would like to know which offence and at what place this incident took place?

श्री मथुरेश बिहारी : मैं अर्ज करूं I am sorry. In future I shall maintain that. मेरा अर्ज करना यह है कि आपने अभी उदाहरण चाहा। बांदीकुई के क्षेत्र की चर्चा है। बांदीकुई में २० तारीख को जिस वक्त हिज़ हाइनेस की विज़ीट हुई और उनकी गाड़ी के पीछे जो गाड़ी थी उस समय कांग्रेस ऑफिस के नीचे, कांग्रेस के सदस्य और उनके भाई मौजूद थे उन्होंने दो लड़कों को खींच कर छुरे मार दिये और उनके चेहरे पर जख्म आये। उनकी इन्जरी रिपोर्ट हुई, उनका एक्सरे हुआ। यह होता है, किसी दूसरे स्थान पर नहीं, बिल्कुल कांग्रेस ऑफिस के नीचे जहां पर कि उन्होंने दूसरे कुछ लड़कों को इकट्ठा कर रखा था और कटुता का स्लोगन करने का प्रयास किया जा रहा था। उस मुजरिम रिपोर्ट के अन्दर वे ही

(श्री मथुरेशबिहारी)

और उनके भाई हैं और उनके साथी हैं और उनको उस वक्त पकड़ कर छुरे के साथ पकड़वाया गया है । यह प्रमाण है ।

अब आपके सामने दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं । मैं अर्ज कर रहा था सुशासन के मुत्तलिक, जिससे मेरा ताल्लुक है । लेजिस्लेशन के मुत्तलिक में जरा आपकी तवज्जेह दिला दूं । आज इस सरकारी पक्ष की ओर से लेजिस्लेशन की तारीफ की जाती है, सरकारी नीति की और कानून की तारीफ की जाती है । लेकिन जरा आप इन लेजिस्लेशनों देखें जो टिड्डी के अंडों की तरह से पैदा होते हैं, उनकी तरफ देखिये । आप एक्ट बनाते हैं, पर उनके तहत रूल्स नहीं बनते ! वे एक्ट फोर्स में नहीं आते और जब वे फोर्स में आते हैं तो एक महीना या दो महीना होता नहीं कि उसके पहले ही अमेंडमेंट आते हैं । यह आपके यहां के लेजिस्लेशन का ड्राफ्टिंग का नमूना है । मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा आपके सामने कि कुछ लेजिस्लेशन को इम्प्रूव करने का, ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करने का तरीका होना चाहिए । आप कुछ एक्सपीरियन्स्ड आदमियों को, रिटायर्ड आदमियों को लेते हैं, उनको आप अवश्य लीजिये । मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं उनके अनुभव को कद्र करता हूं । आज एक माननीय सदस्य ने उस पर आपत्ति उठाई थी । मैं तो यह कहता हूं कि एक्सपीरियेन्स्ड आदमी प्रोपर जगह पर इस्तेमाल करने के लिए रखे जायं तो सरकार का और लेजिस्लेशन का ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि वे ज्यादा अनुभवी हैं और उनके द्वारा सही ड्राफ्टिंग हो सकता है । आज ड्राफ्टिंग होता है वह बड़ा डिफेक्टिव होता है और हर साल जब कभी कोई एक्ट पास होता है तो उसके एमेंडमेंट, एक सेशन में तीन–तीन संशोधन आ जाते हैं; जबकि आप पिछले एक्टों को देखिए, उनको बने ५० या १०० वर्ष हो गये मगर उनमें कोई एमेन्डमेंट नहीं आता क्योंकि वे सोच समझ कर ड्राफ्ट किये जाते थे और जिन पर अच्छे से अच्छे न्यायाधीश अपने फैसले देते हैं । मैं उनकी बड़ी इज्जत करते हुए अर्ज करुंगा कि ड्राफ्टिंग को सुधारने के लिए कोई तरीका अपनाया जाये । ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कोई आपत्ति उठाई तो फौरन एमेन्ड-मेंट रख दिया । उन पर ड्राफ्टिंग के लिए अच्छी तरह से क्यों नहीं विचार किया जाता ?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं एक बात यह भी अर्ज करुं कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया था कि अतीत की याद करने वाले लोगों का जिक्र किया, उसके लिए मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बत-लाया कि एक पार्टी में राजा और महाराजाओं का जोर है लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि क्या कारण है कि आज आपके यहां राजधानी में और आपकी राजधानी के जिले में भी वे लोग, महलों में रहने वाले वे अतीत की याद करने वाले पब्लिक के सहयोग से आपके मुकाबले में अनेक स्थानों से विजयी होते हैं । तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप उनका विरोध करने के बजाय इस बात की चेष्टा करें कि किन कारणों से यह ऐसा हो रहा है, इसके लिए आप ही अपने दिल को टटोल लें और

(श्री मथुरेशबिहारी)

सबक ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा और वह स्तर ज्यादा अच्छा होगा और आप अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिये सोचेंगे । क्या कारण है कि आज ८८ पर ८८ बराबर की मिसाल आपके सामने आती है ? मैं उनका किसी तरह से समर्थन या किसी चीज के लिए विरोध नहीं करता । लेकिन मैं यह अर्ज करुंगा कि बजाय किसी पर छींटाकशी करने के अपने ही दिल में सबक लेकर दूसरों की भी इज्जत करते हुए जनता के बहुमत से जीते हुए लोगों की इज्जत करेंगे और उनके सुझावों की कद्र कर लेंगे तो भविष्य में जरूर अच्छा वातावरण उत्पन्न होगा ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उस पर बहस का दौर चल रहा है और आज चौथा दिवस है जबकि इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाने वाला है । इस सदन के समक्ष माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया वह पिछले १० वर्षों में इस राज्य की ओर से अपनाई गई दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के ज़रिये जो जो प्रगति हुई है उसको सामने रखा गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें सब के सहयोग की आवश्यकता है । राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर होता जारहा है और पिछले वर्षों में अपनाई गई नीतियों के फलस्वरुप जो भी विकास हुआ है वह बताया गया है और तथ्यों के आधार पर और उसके आकड़े भी दिए जा चुके हैं । इसके विपरीत दूसरे पक्ष की ओर से तथ्यों के तथ्य नहीं होने के प्रमाण भी दिये गये हैं । लेकिन इस हाउस में जो भी वाद–विवाद का स्तर रहा है उससे यह भी मालूम हुआ है कि जो तथ्य हैं उनको तथ्य नहीं कहा जावे और जो विकास हो रहा है उसको एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि वह विकास नहीं हो रहा है; वह तो विनाश है । उन्होंने विकासको विनाश का रुपदिया है । मुझे समझ में नहीं आता कि विकास को विनाश कैसे कहा जा सकता है ? राजस्थान में जो भी काम हुए हैं वे जगह जगह पर विकास का कार्य हुआ है वहां मौजूद हैं और इससे जनता को विश्वास हुआ है कि विकास के कार्य जहां जहां पर हुये हैं वे वास्तव में हुए हैं और वे मौजूद हैं । आज जहां पर यह कहा गया है । कि खेती बाड़ी के कार्यों में प्रगति हुई है तो मैं यह कहूँगा कि वास्तव में खेती बाड़ी के कार्यों में प्रगति हुई है । पहले जो जमीन बिरानी थी, जहां रेगिस्तान था और जहां रेत की नदियां बहती थी वहां पर आप देखेंगे कि हरे हरे खेत लहलहाते हुए मौजूद हैं तो इसको विनाश–कार्य नहीं कहा जा सकता । खाद्यान्नों की जो समस्या १० वर्ष पहले मौजूद थी वह समस्या आज मालूम नहीं पड़ती है । जिन जिन जगह पर खाद्यान्नों को बढ़ा कर जो समस्या हल की गई है वह समस्या हल नहीं हुई; ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य जो विराजमान हैं और विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने तो सरकारी नीतियों की कड़ी आलोचना और विरोध किया है । उन्होंने यह भी फरमाया कि उन नीतियों में कोई विश्वास नहीं करने वाला है । वे मर्जी आवे वह बात कहें परन्तु जिन नीतियों को अपनाया गया है वह बड़े सोच

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

समझ कर अपनायी गयी हैं। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना बड़े सोच समझ के बाद और जब बहुमत प्राप्त होता है तो मंजूर की जाती है और बाद में उस पर काम होता है। यदि इसमें कहीं कम काम होता है और कहीं ज्यादा काम होता है तो यह लोगों के सहयोग देने की बात है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में सहयोग की भावना की बात कही है, उसके लिए मैं कहूंगा कि अगर पब्लिक और सदन के सभी माननीय सदस्य मिल कर सहयोग दें तो राजस्थान पिछले वर्षों में जो तरक्की कर पाया है उससे ज्यादा तरक्की कर सकेगा और राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें किसी प्रकार का विरोध हो। अगर विकास कार्य में विरोधी दल के लोग यह कहते हैं कि हमारे साथ पक्षपात किया गया है। तो इस बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि यह विकास की योजना है; यह श्रमदान और राज्य से अनुदान मिलता है उससे काम होता है। राज्य से जितनी ग्रान्ट-इन-एड मिलती है उसके अनुसार श्रमदान भी होना चाहिए। अगर इसमें दूसरे सदस्य विरोध करते हैं तो वहां काम किस प्रकार से हो सकता है। क्योंकि श्रमदान इतना होना जरूरी है, जितनी कि गवर्नमेंट ग्रान्ट–इन एड–देती है? अगर दोनों पक्ष से सहयोग नहीं मिलेगा और पब्लिक को उभारा जावे, क्योंकि यह योजना कांग्रेस ने बनाई है इसमें सहयोग नहीं दिया जाना चाहिये, कोई विकास कार्य नहीं होना चाहिये तो मैं यह कहूंगा कि इसमें ऐसे सदस्यों का दोष है जो विरोध करते हैं। मेरे ख्याल से राज्य की कोई ऐसी नीति नहीं जिससे कोई विरोध होता है।

माननीय अध्यक्ष, अगर किसी जिले में कार्य कम होता है तो इसका दोष विरोधी पक्ष के लोगों की तरफ ही जाता है; क्योंकि जनता का सहयोग दिलाने में जो पब्लिक उन पर विश्वास करती है, जो पार्टी का नेता बता कर विश्वास दिलाना चाहता है और दूसरी तरफ विकास कार्यों में सहयोग नहीं देते हैं और फिर यह कह कहते हैं कि सरकार ने कार्य नहीं किया; यह उनका कहना उचित नहीं है। ये लोग श्रम को बेगार कहते हैं। मैं यह कहूँगा कि पुराने जमाने में बेगार तो राजा–महाराजाओं व जागीरदारों द्वारा ली जाती थी और उसमें कोई मेहनत का पैसा नहीं दिया जाता था और न कोई इन्कार कर सकता था। उनको बेगार में कुछ मिलता नहीं था। आज श्रमदान के जरिये काम होता है और वह गांव में सब के हित के लिए होता है। तो मैं यह कहूँगा कि वे श्रमदान और बेगार में कोई अन्तर नहीं समझते; यह बहुत ही अजीब बात है। तो इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्र पार्टी के नेता, आसपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि फलां जगह काम नहीं हुआ, पैसे भी लग गये और काम नहीं हुआ; जब उनको बताया गया कि उदाहरण पेश करें तो उदाहरण पेश करने से मजबूर रहें।

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आप ठीक तरह से नहीं समझे, उदाहरण जरूर पेश किया जायगा। जो कहा उसकी असली स्पिरिट नहीं समझे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सभापतिमहोदय,

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : Sorry, अध्यक्ष महोदय, उनके पीछे जो भावना थी; मालूम पड़ता था कि एक तरफ तो कहते हैं कि विकास के कार्य करने चाहिये और दूसरी तरफ कहा कि ये विकास कार्य विनाश कार्य हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, विकास ठीक तरह से नहीं हो तो मेरी बुद्धि के अनुसार विनाश ही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : किसी गांव में स्कूल बनता है तो वह गांव में मौजूद है। रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में परिणत किया गया है या किया जा रहा है, तो वह विकास कार्य है विनाश-कार्य नहीं कहा जा सकता।

एक माननीय सदस्य : स्कूल के लिये या विकास-कार्य के लिये पैसा दिया जाता है वह पैसा ही खा जाय तो वह विकास है या विनाश ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कोई स्कूल का रुपया खाता है तो कानून के जरिये एन्क्वायरी कराई जा सकती है।

श्री अभयसिंह (बस्सी): अगर कोई सुनवाई ही नहीं करे तो ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पर इस तरह करना बहुत हैरानी का तरीका है। कानून बना हुआ है, जिस विभाग का काम नहीं होता है तो उस विभाग के नोटिस में लाकर एन्क्वायरी कराई जा सकती है; न कि इस तरह से। कहीं पैसा नहीं लगा है तो इस बात को सम्बन्धित विभाग के नोटिस में लाकर एन्क्वायरी कराई जा सकती है; काम नहीं हुआ है, पैसा उठा लिया गया है तो बिना काम हुए, बिना स्कूल बने ही कोई अफसर ऐसा नहीं होगा जो कह देगा कि स्कूल बन गया है काम हो गया है। कायदे के अनुसार एन्क्वायरी कराई जा सकती है। इतना बड़ा काम है, चारों तरफ से विकास बड़े जोरों से किया जा रहा है, सारी जनता के सहयोग बिना किसी दबाव के, राजी खुशी से सहयोग लेकर कार्य किया जाता है। जो कदम उठाया जाता है बड़ी हिम्मत के साथ आलोचनाओं को सुन कर किया जाता है। इतना बड़ा काम है, देर लग सकती है, गलतियां हो सकती हैं पर गलतियों को सुधारते हुए इस राज्य की नीति के अनुसार राजस्थान दिन दिन प्रगति करता जा रहा है और निकट भविष्य में मुझे पूरी पूरी आशा है कि राजस्थान में और पूरे देश में बड़ी भारी प्रगति होने वाली है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस कल्याणकारी समाजवादी तरीके से, जो तरीका देश ने अपनाया है उससे जनता में विश्वास पैदा हुआ है। हमारे राजस्थान में विकेन्द्रीकरण की योजना लागू की है यह बहुत महत्वपूर्ण कदम था, लोगों की राय लेकर इसको लागू किया है और जनता में प्रशिक्षण दिया गया है और जनता को, उसके मत देने के हक को समझाने की कोशिश की है; इस बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसकी ओर

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

संकेत किया है और कहा है कि लोगों ने इस बार मतदान में बड़ी दिलचस्पी ली है क्योंकि वे अपना हक समझने लगे हैं। विकेन्द्रीकरण का...........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। इस कदम के कारण जरूर विरोधी पक्ष को मत मिल गये हैं तो भविष्य में वह मत मिलने में मजबूरी होगी। अध्यक्ष महोदय, जो तरीका राजस्थान में अपनाया गया है और राज्यपाल महोदय ने जो बातें कही हैं वे तथ्यों के आधार पर कही हैं; जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस तरह सब बातों का समर्थन करते हुए जो राज्यपाल महोदय को धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूँ कि इसे पास करें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जहां उन्होंने कहा है कि हम समाजवादी ढंग की समाज रचना करना चाहते हैं, इसके विपरीत जो काम हो रहे हैं मैं हाउस का ध्यान और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान भी उसओर दिलाना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ २ के ऊपर आखिरी पैरा में जहां विकास की कुछ बातों में उन्होंने कहा है कि उनके तरीके में हमने सुधार करने की कोशिश की है, वहां मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां कृषि के अन्दर उत्पादन का सवाल है और अनाज के उत्पादन-प्रोडक्शन में हमने तरक्की की है उसका सारा श्रेय उन किसानों को है जिन्होंने अपने खेतों में ज्यादा मेहनत करके उत्पादन को आगे बढ़ाया है। पर जो भी रवैया उन किसानों के प्रति सरकार का है उसको अगर हम देखें तो वह बिल्कुल समाजवाद के विरुद्ध है। जहां हम इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने की बातें करते हैं, इन्डस्ट्रीज़ लगाने वाले लोगों को जो पहले से ही काफी पैसे वाले हैं, उनको लाखों-करोड़ों रुपये सरकार इन्डस्ट्रीज़ लगाने के लिये उधार देती है परन्तु किसानों के साथ, जिन्होंने हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाया है, उन किसानों के साथ सरकार का क्या रवैया है यह मैं रखना चाहता हूँ। कुछजगह राजस्थानमें अभी नया सेटलमेंट हो रहा है। जहां पहले सेटलमेंट हुआ ८४ गट्टे की जरीब से सेटलमेंट हुआ; पर अब ६० गट्टे की जरीब से सेटलमेंट हो रहा है। ८४ गट्टे की जरीब की जगह ६० गट्टे की जरीब से सेटलमेंट होनेका नतीजायह होगाकि ४ बीघा जमीन है तो वह जमीन नये सेटलमेंट में सवा पांच बीघा हो जायगी और अब तक वह ४ बीघे का भू-राजस्व देता आ रहा था उसे अब सवा पांच बीघे का भू-राजस्व देना पड़ेगा।

एकीकरण का सवाल राजस्थान के कुछ हिस्सों में है। जहां से मैं आया हूँ वहां कुछ गांवों में एकीकरण हुआ है। नियम है कि गांववालों की एक कमेटी बनाई जाय, कुछ जगह कमेटीज़ बनाई गई पर किसी कमेटी को नहीं बताया गया कि एकीकरण का खर्चा गांव वालों से वसूल किया जायगा। पर आज सारा का सारा खर्चा गांव वालों से वसूल किया जा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

रहा है। यह प्रजातन्त्र के खिलाफ है। उस कमेटी में पेश नहीं हुआ फिर भी सरकार अमल करती है तो यह गलत बात है।

इसके अलावा आज बैटरमेंट लेवी का सवाल है। राजस्थान में बहुत सारी नहरें बनीं, उनसे पिलाई हो रही है वहां बैटरमेंट लेवी लगाई जा रही है। अगर आप इस दलील को लें कि नहरों से पिलाई के कारण किसानों की हालत अच्छी हो रही है, इसलिये उनसे बैटरमेंट लेवी वसूल की जाय। पर मैं दूसरी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत से शहर इसलिये आबाद हो रहे हैं कि वहां सरकार बहुत सी इन्डस्ट्रीज लगा रही है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर परे भी बता सकता हूं कि भीलवाड़ा के अन्दर आज के २० वर्ष पहले जो जमीन सरकार की ओर से पैसे वाले लोगों ने दो आना गज और चार आना गज में प्राप्त की थी आज उसी जमीन को वहां पर ५०), ६०) रु० पर स्क्वायर फुट का पैसा मिल रहा है। तो क्या शहर के रहने वाले पूंजीपतियों से बैटरमेंट लेवी विकास के लिए, जिन पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं ली जाती है ? विकास के कार्यों पर होने वाले व्यय के लिए तो आप किसानों से बैटरमेंट लेवी लेते हैं और पूंजीपतियों से नहीं। जो जमीन में खाद बीज डालकर मेहनत करके पैदावार बढाता है उससे बैटरमेन्ट लेवी लेते हैं और जो पैसे वाले लोग हैं, जमीनों की कीमतें बढ गई है क्या उनसे भी बैटरमेन्ट लेवी ली है ? नहीं उन पर कोई बैटरमेंट लेवी नहीं लगाते। खेती में नहर के पानी पर बैटरमेंट लेवी ली जाती है पर उन्हीं नहरों का पानी शहरों के पूंजीपतियों के बंगलों के बगीचों में और लोगों के आराम के लिए नलों के द्वारा पहुँचाते हैं। तो क्या उसकी वहां के निवासियों से बैटरमेंट लेवी ली जाती है ? नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपने शहरों और गांवों में बड़ा फर्क रखा है। वह कभी समाजवाद की ओर नहीं बढ़ाता। विकेन्द्रीकरण की बातें कही। मेरे से पहले बोलने वाले आदरणीय सदस्य ने कहा कि गावों का विकास किया गया। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि गांववालों से तो आप छोटे २ विकास के कार्यों के लिए श्रमदान व जन-सहयोग मांगते हैं। आज लाखों और करोड़ों की चीजें शहरों में हो रही है। क्या शहर वालों से भी कभी श्रमदान, जन-सहयोग मागते हैं ? नहीं यह पक्षपात कैसे चलेगा ? एक राज्य में रहने वाले, गांव वाले भी हैं और शहर वाले भी हैं। गांव वालों से भू-राजस्व, पंचायत और पंचायत समितियों का टैक्स, छोटे २ व्यापारियों पर नाना प्रकार के टैक्स हैं। विकास के छोटे २ कामों में श्रमदान के लिए पैसे वसूल करते हैं, मेहनत लेना चाहते हैं, ६ हजार की जन-संख्या वाले कस्बों और गांवों पर इस प्रकार से टैक्सेज़ का मार डाल रखा है; जब कि दूसरी तरफ शहरों के रहने वालों पर जहां उनके लिये लाखों और करोड़ों रुपयों का खर्चा किया जाता है उन से कोई श्रमदान, जन-सहयोग नहीं। क्या यही है आपका समाजवाद ?

राज्यपाल महोदय ने इसी भाषण में एक बात फरमायी है। आज राजस्थान के एक व्यक्ति की औसतन आमदनी ३१५) रु० है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब वे यह

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

महसूस करते हैं कि एक आदमी की चौदह आने आमदनी है उसी समजवादी ढांचे में एक बड़े अधिकारी को पांच हजार रुपया मिलता है यह कहां का समाजवाद है ? आदरणीय पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब और पंचायत मंत्रीजी ने फर्माया था कि आप लोग एक तरफ टैक्स का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ विकास चाहते हैं। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। हम विकास भी चाहते हैं और टैक्सों का विरोध भी करते हैं। इसके लिये रचनात्मक तरीका बताया जाय ? तो मैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उनसे कहना चाहता हूं कि प्रशासन में जो फिजूलखर्ची है उसको कम करिये। एक हजार से ज्यादा तनख्वाह किसी की नहीं होनी चाहिये। आपने विकास की बातें बतायीं, विकेन्द्रीकरण की बातें कहीं। मैं भी पंचायत समिति का प्रधान हूं। वहां वेक्सिनेशन के लिए २६०) रु० मिलते हैं और २८००) रु० वेक्सीनेशन के लिए तनख्वाह में खर्च किया जाता है। २६०) रु० की दवाई के डिस्ट्रिब्युशन के लिए २८००) रु० खर्च किया जाय, यह विकास नहीं है। डिस्पेन्सरी के कम्पाउन्डर को कहा जा सकता है कि वह साल में दो महीने काम करे। तो २८००) रु० बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्राइमरी स्कूल्स को पंचायत समितियों के सुपुर्द करिये। पंचायत समिति को जिस तरह के अधिकार सौंपे गये हैं वे उसी तरीके से ये सौंपे हैं; जैसे एक मकान मालिक है। रसोई का मकान जहां, सैकड़ों चीजें बनी पड़ी हैं उसकी चाबी एक आदमी के सुपुर्द करके वह कहता है कि इस रसोई का मालिक तू है, तुझे इसकी चाबी सौंपता हूँ लेकिन इसके अन्दर जो चीजें रखी हैं उनका उपयोग करना चाहते हो तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं कर सकते। ठीक वही हालत हमारे विकेन्द्रीकरण की है। सारी चीजें आपने दे दीं। पंचायत समिति यदि एज्युकेशन साइड में एक मास्टर रखना चाहे तो सरकार की इजाजत के बिना उसको ६ महीनें से अधिक नहीं रख सकती, पर्मानेन्टली नहीं रख सकती। आज शिक्षा की भी यह हालत है कि बजट मिलता है तो सिवाय मास्टरों की तनख्वाह के कोई नयी चीज एड करना चाहें, पंचायत समिति की तरक्की करना चाहें, विकास करना चाहें तो नहीं कर सकते। यह हमारे विकेन्द्रीकरण का नमूना है।

इसके अलावा कुछ बातें और कही गई हैं। माननीय मंत्री महोदय ने भी उत्तर दिया बिल्डिंग्स अधूरी रह जाती हैं। अधूरी रहने का कारण क्या है ? जहां तक मैं समझ पाया हूँ वह यह है कि जो सरकारी मशीनरी में बैठे हुए लोग हैं वे पार्टीबाजी के इतने शिकार हैं कि वे छोटे २ कामों में यह देखते हैं कि कौन सरपंच पार्टी इन पावर का है उसके काम किये जायं और जो विपक्ष के हैं उनका काम नहीं करते। यदि नमूना चाहें तो मैं कई नमूने पेश कर सकता हूँ। जिनको आप आज भी जाकर देखिये कि गांव के लोगों ने कितना श्रमदान किया, मेहनत की फिर भी सरकारी अधिकारियों और अहलकार लोगों ने उनको पास नहीं किया और वे अधूरे पड़े हुए हैं। इनको उच्चाधिकारियों के सामने भी मैंने

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

रखा लेकिन आज दिन तक ध्यान नहीं दिया। हमारे विकास अधिकारी की बात कहता हूँ। उनका ट्रान्सफर इसलिए किया गया कि २३. ८. ६१ को पंचायत समिति के अध्यापकों द्वारा इस तरह का नाटक खेला गया जो विकेन्द्रीकरण के खिलाफ था, जिसमें सरपंचों को यह कहा गया कि ये सड़ेपंच हैं। इसको शिकायत मुख्य मंत्रीजी से की गई जिसकी जांच हुई। इसकी कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है कि यह बात सही है। उसका ट्रान्सफर हुआ। २४ घन्टे में उसको चार्ज देने का ऑर्डर हुआ। २४ घन्टे में असिस्टेन्ट कलेक्टर ने उसका चार्ज दिलवाया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब यह मालूम हुआ कि यह आदमी दो हजार वोट कांग्रेस के केन्डीडेट को दिलायेगा तो तीन दिन के बाद ही उसका ट्रान्सफर ऑर्डर कैन्सिल कर दिया गया। आज भी वह विकास अधिकारी उसी जगह पर मौजूद है। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस से जो खड़े होने वाले सज्जन थे उनको हारना पड़ा। जहां हम इतनी बात कहते हैं वहां लोगों की जो भावनाएं हैं उसको हम समझने की कोशिश करें। आपने सहकारिता के मामले में कहा। मैं मानता हूं और दूसरे भी मानेंगे कि जिस देश में हम समाजवाद की कामना करते हैं, वहां जरूरी है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बहुत पवित्र हो। मैं आप से बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आज हमारे इस राजस्थान प्रान्त में हैं उनमें अगर आप किसी कमीशन को बैठाकर जांच कराएं तो जिस काम के लिए जितना पैसा जिन लोगों को दिया गया है मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं ७५ परसेंट ऐसे आदमी हैं जिन्हें पैसा जिस काम के लिए दिया गया है उस काम में खर्च नहीं किया और यही कारण है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को अपनी पॉलिसीज तीन-चार दफे यहां बदलनी पड़ी। आज जो हम नकद के रूप में किसानों को उधार देते हैं वह कैश के रूप में न देकर मेटीरियल के रूप में दें। एक सदस्य महोदय ने कहा कि बीच की जो एजेंसी है, बीच का जो दलालीपन था उसे खत्म करने के लिए कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं। पर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो वर्तमान तरीका है उससे मिडल क्लास की संख्या ज्यादा बढ़ी है और जो लोग बहुत समझदारी से इस बात को हैंडल करना जानते हैं और करते हैं; उन्हीं लोगों के हाथ में वह पैसा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से मेम्बरों को मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बहुत से ऐसे हैं जिन्हें यह भी पता नहीं कि हम लोग कभी दस रुपये देकर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर बने हैं। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज राजस्थान में मौजूद हैं इसलिए अगर आप वास्तव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा हमारे किसानों या गरीब जनता का भला करना चाहते हैं उनके अन्दर कोऑपरेटिव्ज के द्वारा सोशलिज्म लाने की बात करते हैं तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस काम को बहुत ही मुस्तैदी के साथ करें। इसके अन्दर बड़ी सतर्कता रखने की जरूरत है। यह काम हमें किस तरह करना है, आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं। सहकारी मंत्री महोदय यहां नहीं हैं तो भी अर्ज करना चाहता हूं। जनता

Page No 47

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सहकारी समिति जो भीलवाड़ा के अन्दर है और उस नाम से आर० जे० ई० ४७१ न० बस भीलवाड़ा से शाहपुरा तक चलती है जिसके ओनर जनता सहकारी समिति, भीलवाड़ा लिखा हुआ है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जनता सहकारी समिति का रेकॉर्ड मंगा कर जांच कीजिए कि चार साल से इस बस के मेम्बर्स की आमदनी उसके अकाउन्ट में जमा है या नहीं ? अगर नहीं है तो बस के ऊपर ओनर की जगह जनता सहकारी की आमदनी कौन लेते हैं ?

(घंटी)

इसके पीछे ऐसे तत्व काम करते हैं जो लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिए इसे भ्रष्ट करते हैं। चीज बहुत अच्छी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पर उस चीज को अच्छी तरह काम में नहीं लिया जाता। अब क्योंकि दो दफा घंटी बज चुकी है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। हमारे यहां जितने कानून बने हैं उनमें शहरी और गांवों के लोगों की बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। म्यूनिसिपैलिटीज़ और ग्राम पंचायतों के बारे में दो मिनट मैं अर्ज करना चाहता हूं। आठ हजार के ऊपर आपने म्युनिसिपैलिटी का अधिकार दिया, ग्राम पंचायतें आपने बनाईं लेकिन गांवों के अन्दर, बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं राजस्थान की ८० परसेंट पंचायतें ऐसी हैं जो माहवारी पैसा उन लोगों को नहीं चुका सकतीं, जो उनके यहां पर लोग काम करते हैं और दूसरी तरफ आप म्यूनिसिपैलिटीज़ को बीस बीस लाख सरकार की तरफ से उनके कामों के लिये उधार देते हैं; जहां पंचायतों को पांच हजार रुपये भी सरकार की तरफ से उधार नहीं मिलता; यह फर्क क्यों ? असमानता मिटाने व समाजवाद लाने का दावा कर सकते हैं पर उनके एक्शन्स के अन्दर बड़ा फर्क है। इसलिये उस राज्य को समाजवादी राज्य नहीं कहा जा सकता जहां यह पक्षपात मौजूद है। मैं इस बात को साबित करते हुए माननीय सदस्यों से अर्ज करता हूं कि जहां कहने में समाजवाद है वहां उनके एक्शन्स में समाजवाद नहीं है। ऐसे भाषण पर रखे हुए धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण पेश हुआ है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। राजस्थान ने गत दस वर्षों में जो आशातीत प्रगति की है उसका एक चित्ररूप हमारे सामने रखा है। कृषि की जो उन्नति हुई है, उद्योग की जो उन्नति हुई है, शिक्षा की जो उन्नति हुई है, स्वास्थ्य और बिजली के संबन्ध में भी जो उन्नति हुई है वे विभिन्न आंकड़े आपके सामने रखे हैं। मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहूंगा। राज्यपाल महोदय का विशेष तौर पर आभार इसलिए मानता हूं कि हमारे बाली जिले में सघन कृषि योजना लागू की गई, उसका भी उल्लेख उन्होंने अपने भाषण में किया है। मैं उन सारी बातों को आपके सामने अभी नहीं रखना चाहूंगा। हमारे यहां पर सघन कृषि योजना के अन्तर्गत किसानों में नई जान व नई जाग्रति पैदा हुई है और जो फेमिली फार्म

(श्री मोहनराज)

प्लान्स बन रहे हैं किसानों में होड़ सी लगी हुई है। एक दिन यदि आप फेमिली फार्म का वहां मुलाहिजा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि पिछले जमाने में किस तरह खेती करते थे और आज नए तरीकों के आधार पर कैसे करते हैं। वह डिमोन्सट्रेशन प्लान फार्म के आधार पर आपके सामने आएगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह निमन्त्रण देता हूं कि उस खेती के तरीकों के आधार पर की गई खेती को देखने के लिए हमारे उस इलाके में एक बार भ्रमण करने जरूर पधारें। जिस नौकरशाही को तरह तरह के उपालंभ देते हैं, जिस भ्रष्टाचार के आधार पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं मैं कहूंगा कि हमारे इलाके में आकर उनके द्वारा किए गये कामों को देखिए। जहां पर एक गांव के अन्दर सोई हुई और अत्याचारों से पीड़ित जनता कह-कहा रही थी वहां पर उसी जनता का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए उसी नौकरशाही ने और गैर सरकारी काम करने वाले लोगों ने बहुत बड़ा योग दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन, सर, माननीय सदस्य कहां आने को कह रहे हैं ?

श्री मोहनराज : दरअसल जो क्रान्ति हमारे यहां हो रही है और जिस युग से हम गुजर रहे हैं उससे हम सब लोगों को महरूम रखा जायगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग आंख खोल कर हो रही इस प्रगति को देखें और एक नया जीवन जो हमारी सोई हुई जनता में आ रहा है उसकी ओर आंख मूंद कर नहीं बैठे रहें। मैं इसलिए ही तो न्योता दे रहा हूं कि आप आकर देखें। पर यह कहना सही नहीं है कि तकावी लेकर कुंआ नहीं खोदा, गड्ढे पड़े हैं जो लघुशंका के काम में आ रहे हैं; जैसे माननीय सदस्य बयोवृद्ध विरोधी दल के नेता ने कहा है। हो सकता है, हर तकावी लेने वाले ने कुंआ नहीं खोद लिया हो, हो सकता है कुछ जगह जहां सामाजिक कार्यकर्त्ता इस तरह की रुचि नहीं लेते हों। गावों में जो पैसा उधार दिया जा रहा है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं; थानेदार, पटवारी, अहलकार और तहसीलदार की शिकायत महज जानते हों, हो सकता है उनके यहां पर गलती हुई हो लेकिन जहां सारे के सारे कार्यकर्त्ता जागरूक हैं और जो गावों में काम करते हैं

(१ म. प.)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर,....

श्री मोहनराज : दुरुस्त किये जाने के सारे साधन जुटाये गये हैं। मेरे साथी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उपालम्भ सरकार को देते हैं कि जहां इतना अधिक भ्रष्टाचार होता है वहां पर भला किस तरह से लोकतन्त्र सफल हो सकता है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम गहराई से इस पर सोचें। राज्य को पलटने से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। इसके लिये तो इन्सान को, मानव को पलटना होगा। इतिहास इस बात का साक्षी है। हर

(श्री मोहनराज)

जमाने में, हर शासन में भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, अत्याचार और अन्याय को मिटाने के लिये कानून बने हैं पर फिर भी चोरों, बेईमानों और भ्रष्टाचारियों से जेलें भरी गई थीं। वे खत्म तो तब भी नहीं हुई। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जब तक जो हमारा मौजूदा समाज है और जिसमें दो वर्ग रहते हैं; एक 'हैव्ज़' का और दूसरा 'हैव नोट्स' का उसमें यकीन मानिये वह वर्ग जो कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा संग्रह करने की प्रवृति का आदी रहा है मौजूद रहेगा तब तक ये बुराइयां और ये भ्रष्टाचार और चोरियां मिट नहीं सकती। इसलिये अगर हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो मैं अपने उधर बैठे हुए सम्माननीय सदस्यों को निमन्त्रण देता हूँ, वे आयें आगे और कांग्रेस द्वारा आयोजित योजनाओं में अपना सहयोग दें; समाजवादी समाज की स्थापना में वे अपना योगदान दें। हमारे यहां समाजवाद की स्थापना होते ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जावेगा।

जब तक निहित स्वार्थ, वेस्टेड इन्टरेस्ट कायम रहता है तब तक वे अपने पास जो कुछ है उसे अपने पास रखने और अधिक से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रह कर भ्रष्टाचार की ओर ले जाते रहेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। आज सीलिंग के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। पर यह कानून जब आ रहा था हमारे सामने तब जिनके पास बड़े बड़े फार्मस और बीड़ थे, हजारों बीघा जमीन जो पड़त थी जो सरकार के कानून से सरकार के कब्जे में चली जाती, उन निहित स्वार्थवाले लोगों ने हमारे नये नौसिखियों पटवारियों को चन्द चांदी के रुपयों की रिश्वत देकर रेकॉर्ड बदलवाये और इस तरह अपने फार्म कायम रखे। तो इसलिये भ्रष्टाचार को अगर हम मिटाना चाहते हैं तो हमें पहले वेस्टेड इन्टरेस्ट जो समाज में हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा और इसका रास्ता आपके सामने कांग्रेस ने रखा है समाजवादी समाज स्थापना के रूप में।

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यही हम कह रहे हैं। भ्रष्टाचार इसलिये बढ़ रहा है कि क्योंकि आज सत्तारूढ़ दल में जो 'हैव नोट्स' थे वे आज 'हैव्ज़' में बदल रहे हैं। यह कारण है भ्रष्टाचार का।

श्री मोहनराज : आपको इससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे ईर्ष्या नहीं है, पर जो वास्तविक बात है वह मैं अर्ज कर रहा हूँ।

श्री मोहनराज : आपका भी एक दिन हृदय परिवर्तन कराकर सही रास्ते पर लावेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपका तो हो गया हृदय परिवर्तन ?

श्री मोहनराज : क्योंकि हम सोच रहे हैं, आज जनता का लाखों रुपयों की कमाई का पैसा जो प्रिवीपर्स के रूप में, मुआवजे के रूप में, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के रूप में राजे-महाराजाओं और जागीरदारों को दिया जा रहा है, हम जानते हैं....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपके साथ जो राजे-महाराजे बैठे हैं उनकी तो आपने बन्द कर दी होगी ?

श्री मोहनराज : हम बन्द नहीं करना चाहते। कहा गया था करूणा भरे शब्दों में कि कांग्रेस अपने पुराने वादे तोड़ कर अगर प्रिवीपर्स लेना चाहती है तो भले ही ले ले। पर हम वादा नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं ? क्योंकि हम सबका रिहेबिलिटेशन चाहते हैं। अगर पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने में करोड़ों की, अरबों की पूंजी लगा दी तो कोई वजह नहीं कि जिन भाइयों ने अपना शासन छोड़ा, जागीरें दे दीं तो उनके मानसिक सन्तुलन को बनाये रखने के लिये हम उनको भी क्यों नहीं मुआवजा दें ? हम उनको भी रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट देना चाहते हैं। हमारे उधर के बैठे हुए नेता अभी अनुपस्थित हैं। पर मैं निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी से और दूसरे मिनिस्टर महोदयों से कि जिस प्रकार पाकिस्तान से आये लोगों को हमने घर दिया, रोजी और रोटी दी और बसाया, तो इन लोगों को जिन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी, जागीरें छोड़ीं तो उनको जरूर बसाया जाना चाहिये, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट उनको भी अवश्य दी जानी चाहिये। इसी नीति के अनुसार हमने उनकी प्राइवेट पर्सनल प्रोपर्टी को कायम रखा, उनके खेत कायम रखे, महल कायम रखे। तो यह दिमाग में बात आ सकती है कि यह रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट जो दी गई यह किसलिये दी गई।

एक माननीय सदस्य : ये हृदय-परिवर्तन के लिये दी गई है।

श्री मोहनराज : अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पंचायतें, जिला परिषद और पंचायत समितियां वगैरह बनाई तो उनके सही संचालन के लिये हमारे अफसरों को ट्रेनिंग देने के लिये रीओरियेन्टेशन क्लासेज़ रीओरियेन्टेशन कोर्सेज़ चलाये ताकि नई विद्या में वे पारंगत हो जावें। तो जिनसे बड़ी बड़ी जागीरें और राज्य छीने गये हैं, मैं समझता हूँ, उनके मानसिक सन्तुलन में गड़बड़ी हो सकती है इसलिये आवश्यकता है कि उनके मेन्टल रिहेबिलिटेशन के लिये भी इस तरह के रीओरियेन्टेशन कैम्प चलाये जावें जिनमें सही नागरिकों की शिक्षा दी जानी जरूरी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस प्रकार की महरबानी कब तक रहेगी ?

श्री मोहनराज : अभी एक साथी ने खड़े होकर कहा था कि हम पर यह इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है कि हम लोकतन्त्र में विश्वास नहीं करते ? माफ करिये, मैं आपके सामने ऐसे सुबूत पेश करूंगा जिससे बखूबी साबित हो जावेगा कि स्वतन्त्र पार्टी लोकतन्त्र में विश्वास नहीं करती, कुछ लोग हो सकते हैं जो करते हों। खुद की पार्टी से शाया किया हुआ एक डॉक्युमेन्ट है, पेम्फलेट है उससे स्पष्ट है कि उनको लोकतन्त्र में विश्वास नहीं, वे इसको बदलना चाहते हैं और इसके उदाहरण के स्वरूप....

श्री लक्ष्मणसिंह : यह बिल्कुल गलत चीज है, अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहनराज : आप मेरी आगे की बात सुन लेते तो यह कष्ट नहीं करना पड़ता। पाली जिले में....

श्री लक्ष्मणसिंह : अपनी बात स्पष्ट करने के लिये कष्ट अवश्य करूंगा।

श्री मोहनराज : एक पर्चा स्वतन्त्र पार्टी की ओर से....

श्री अमरसिंह (पचपद्रा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर····

श्री मोहनराज : जारी किया गया था। उसमें छः बातें लिखी गई थीं।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर रहे हैं।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय निवेदन करता हूँ····

श्री अध्यक्ष : आप पोइन्ट ऑफ ऑर्डर शुरू करिये।

श्री अमरसिंह : जो इश्यू हमारे सामने नहीं है उस पर दलीलें देना व्यर्थ है। अब नरेशों और जागीरदारों का कोई तबका नहीं है। वे आज प्रजातान्त्रिक ढांचे में प्रजा के चुने हुए नुमाइन्दों की हैसियत से यहां उपस्थित हैं। अगर स्वतन्त्र पार्टी के नेता किसी समय नरेश थे तो मैं सविनय अर्ज करना चाहता हूं कि इस समय वे एक स्वतन्त्र देश के नागरिक की हैसियत से....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): This is a speech, Sir. This does not at all form a point of order, Sir.

श्री अमरसिंह : My point was that this resentment was irrelevant.

श्री निरंजननाथ आचार्य : The Chair is there to check the irrelevancy, Sir.

श्री लक्ष्मणसिंह : हम दया के रूप में शासनारूढ़ दल से यह भी नहीं चाहते कि हमें वे प्रिवीपर्स दें या न दें। हम उनसे कुछ भी नहीं मांगते। उनका बहुमत है, वे जो चाहें कर सकते हैं। प्रिवी पर्स उन्होंने दी है, वे ही वापिस मांगें तो मांग भी सकते हैं। "Beggars Can't be Choosers." अपनी पेंन्शनका आप, हाई कोर्ट जजेज़ और दूसरे उप कर्मचारियों की पेंन्शन का भी विरोध क्यों नहीं करते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Again speaks, Sir, the Leader of the Swatantra Party without raising any point of order, information or clarification.

श्री मोहनराज : मैंने भूतपूर्व नरेशों और जागीरदारों के विषय में जो बातें कही उनसे कुछ को दुख हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन मैं उन पुरानी बातों को याद नहीं कर सकता। मैं तो बता रहा था कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये यह जरूरी है कि इस तरह के निहित स्वार्थवालों को फौरन हटाया जावे।

मैं बात कर रहा था लोकतन्त्र में विश्वास की।....

श्री लक्ष्मणसिंह : कृपा करके आपने हमें मुआवजा दिया, प्रिवीपर्सें दीं। इस कृपा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

के सिद्धान्त को मैं नहीं मानता। इसके विरोधी हैं, इस पर हमें आपत्ति है। हम नहीं मानते कि आपका यह कहना ठीक है।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़) : आप सुन तो लीजिये उनको पहले।

श्री मोहनराज : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि बाली जिले के अन्दर इन चुनावों के दिनों में स्वतन्त्र पार्टी ने एक पर्चा प्रसारित किया था; जिसमें ६ बातें लिखी गई थीं और उसका हैडिंग था कांग्रेस के अधिनायकवाद को खत्म करने के लिए स्वतन्त्र पार्टी को वोट दीजिए और ये निम्नलिखित ६ बातें उससे की जायेंगी जिसमें पहली चीज थी लगान माफ करने की बात। लेकिन आखिरी जो बात थी उसके शब्दों पर आप जरा गौर कीजिए, स्वराज्य को बदल कर सुराज्य स्थापित करना। स्वराज्य को बदल कर, डेमोक्रेसी को खत्म कर सुराज्य लाने की बात उस पर्चे में लिखी थी। अगर स्वराज्य को बदलना चाहते हैं जो वोट से गवर्नमेन्ट बनती है, फ्रेन्चाइज़ से गवर्नमेन्ट बनती है उसको बदलने का ही उनका स्लोगन है, उनका नारा है; फिर वे यहां कहते हैं कि हम यहां ऐसी बातें नहीं कहें कि हम लोकतन्त्र में विश्वास नहीं करते....

श्री लक्ष्मणसिंह : यदि स्वराज्य पार्टी सुराज्य लाती है तो स्वराज्य को भी बदल सकती है।

श्री मोहनराज : स्वराज्य को बदलने की बात स्वतन्त्र पार्टी के पर्चों में लिखी गयी है, क्योंकि वह स्वराज्य को कायम नही रखना चाहती है, बल्कि सुराज्य लाना चाहती है....

(एक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़ेहुए)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री मोहनराज : तो फिर जो सरकार आप बनाना चाहते हैं वह सुराज्य होगा; स्वराज्य नहीं; इसके दो मतलब नहीं निकाल सकते। आप पर्चा देखिये, दो मतलब इसके निकाले नहीं जा सकते और जिस संविधान के प्रति श्रद्धा की वे प्रतिज्ञा करते हैं उसी संविधान को बिल्कुल नेश्तनाबूद करने की बात स्वतंत्र पार्टी के पर्चों से जाहिर होती है, तो फिर हम कैसे मान लें कि लोकतन्त्र को वे यहां लाना चाहते हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह : तो स्वतन्त्र पार्टी गैर कानूनी पार्टी करार दे दी जाये और उसको चुनाव लड़ने देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाये। हम भारतीय संविधान को मानते हैं और अगर सत्ता रूढ़ दल के कोई सदस्य यह कहते हैं कि हम भारतीय संविधान के अन्दर विश्वास नहीं रखते या लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते तो यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री मोहनराज : मेरे कहने या नहीं कहने का सवाल पैदा नहीं होता। आपकी स्वतंत्र पार्टी के द्वारा ही जो पर्चे बंटे हैं उनमें लिखा है। आप जांच कर लीजिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: आप इलेक्शन पिटीशन द्वारा आपत्ति प्रकट कर सकते हैं।

श्री मोहनराज : नहीं, नहीं।

श्री लक्ष्मणसिंह : तो फिर यह आलोचना बिल्कुल वृथा है।

श्री मोहनराज : जिनको इसे इलेक्शन पिटीशन में रखना होगा वे वहां रखेंगे। मुझे तो यहां कहना था इसलिए मैं यहां पर पेश करता हूं। अगर मैं कोई बात गलत कहता हूं तो आप उसको साबित करें कि मैंने जो कुछ हाउस के सामने रखा है वह गलत है।

इसलिए मैं यह अर्ज कर रहा था कि लोकतंत्र की जो बात कह सकते हैं वह भी सचमुच में केवल शब्दों के कहने से नहीं होता है। यह जो आप गांवों में काम करते हैं यह उससे भी प्रकट होता है। इसलिए यकीन मानिये कि लोकतन्त्र में विश्वास करने के लिए जिस तरह की बातें कहनी चाहिए वे बातें कहें और उन्हीं के ढंगों को अपनायें। चुनावों के बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि क्या क्या ढंग अपनाये गये, लेकिन जो सीलिंग का विरोध किया जाता है तो हमें उन मकसदों का भान होता है कि किन मकसदों को लेकर सीलिंग का विरोध किया जाता है। चुनावों के दो दिन पहले जिनके पास हजारों बीघा जमीन थी, जिनके पास तीन-चार गांवों की सारे पशुओं को चराने की भूमि थी और बड़े बड़े जागीरदारों के पास थी वहां पर गांव के पशुओं को, मवेशियों को चरने के लिए रोक दिया गया और कहा गया कि अगर हमें ही वोट देंगे तो चर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि हमारे लोकतन्त्र को चलाने के लिए योग दें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में करीब ३ दिन से वाद-विवाद चल रहा है। उसके बारे में हमारे सत्तारूढ़ दल के साथियों ने यह बतलाया और इसको दोहराया कि कांग्रेस ने यह किया, कांग्रेस ने वह किया, कांग्रेस ने फलां काम किया। इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने सब कुछ किया, पर इसके माने यह नहीं हैं कि उन्होंने जो बहुत त्याग किया और आप उस त्याग के एवज में कुछ जागीर चाहते हैं या परमानेन्ट सीटें चाहते हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि कोई भी चीज इस तरह की हो तो उसको दोहराया नहीं जा सकता। राजाओं ने यह किया, जागीरदारों ने वह किया, ठीक है; वे भी कहने के हकदार हैं कि उनके बुजुर्गों ने एक एक चप्पे जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। इसी तरह से जो सत्तारूढ़ दल के साथी कहते हैं कि कांग्रेस ने यह किया और उसके एवज में हम आज जागीरदारी चाहते हैं। चाहे हम गलतियां करें, मैं भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस तरह से राजाओं ने और जागीरदारों ने अपने शासन काल में जो कुछ गलतियां कीं उनको फल मिल गया और समय आने पर उनकी सारी राजाशाही खत्म हो गई। परन्तु मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे न समझें कि वे भी इसी तरह की गलतियां करेंगे तो टिक कर रह सकते हैं। आप भी टिक कर नहीं रह सकते। आप भी बड़ी जल्दी खत्म हो

(श्री गोविन्दसहाय)

जाओगे, इसका भी आप ख्याल रखिये ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा ६, पृष्ठ ३ पर लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के बारे में लिखा है और उसके लिए कई मेम्बरों ने भी अपने विचार व्यक्त किये । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में अपनी कुछ राय व्यक्त करता हूँ । लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण सारा का सारा बहुत अच्छा है । मैं बराबर दो बार से पंचायत समिति के मेम्बर के रूप में हूँ । वह लोगों को सिर्फ भुलावा मात्र है जिससे कि नीचे वाले आदमी ऊपर वाले आदमियों को नहीं देख सकें, इसके अलावा कुछ नहीं है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि हमारे यहां केबिनेट मीटिंग जिस समय सवाई माधोपुर हुई थी उस समय केबिनेट मीटिंग में यह प्रश्न उठा था कि सरकार ने सत्ता अपने पास रख ली, अधिकार अपने पास रख लिए । जिस समय केबिनेट की मीटिंग सवाई माधोपुर में हुई थी उस समय कर्मचारियों में और वहां के प्रधान में इस तरह का संघर्ष था कि सारे के सारे प्रधान और प्रमुख इस्तीफा देने के लिए तैयार थे । उस समय मन्त्रियों ने समझाया कि इस तरह से करना हमारे प्रजातन्त्र को विफल करना है और यह हमारी बहुत बड़ी इन्सल्ट है और हम भारत सरकार की नजरों में बहुत अच्छे बने रहना चाहते हैं इसलिए हमारी इज्जत को रख लो । मैं, अध्यक्ष महोदय, सही निवेदन करना चाहता हूँ कि उस समय क्या स्थिति थी और जब आज भी वही है कि एक तरफ प्रधान खींचता है और दूसरी तरफ विकास अधिकारी खींचता है । ये सारी चीजें ढकोसलामात्र हैं । मैं निवेदन करता हूँ कि यहां जो स्पीचें होती हैं उनसे देश का विकास होने वाला नहीं है, इनसे विकेन्द्रीकरण सफल होने वाला नहीं है । मैं कहूँगा कि आज ऐसा तरीका बना हुआ है कि सत्तारूढ़ दल चाहता है कि वे चोरियां करें और बेईमानी करें । ऐसे मामलों के खिलाफ कोई इन्क्वायरी नहीं होती है, एक एक साल में भी कोई जांच नहीं हो पाती । वे अपने परिवार के नाम, अपने दोस्तों के नाम चाहे कुछ भी करते रहें पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । इसके साथ ही साथ जो शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक रखे गये हैं वह सिर्फ अपने कार्यकर्ता पैदा करने के लिए किया गया है । जितने भी अध्यापक हैं यदि वे सत्तारूढ़ दल का साथ नहीं देते हैं तो उनके साथ अन्याय किया जाता है, उनका ट्रान्सफर कर देते हैं और बेचारे परेशान होते हैं । इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि विकेन्द्रीकरण में शिक्षा को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया है । वह वहां पर नहीं होती है । सारे अध्यापक पढ़ाने के बजाय प्रधान की चापलूसी करते रहते हैं कि वे उनके स्थान के नजदीक उनको रखें । तो मैं इसमें यह संशोधन के रूप में पेश करता हूं कि शिक्षा को राजनीति से बिल्कुल पृथक रखा जाय और पंचायतों के आधीन जो यह शिक्षा रखी है उससे बिल्कुल अलहदा रखना चाहिये । अगर इसी तरह से रखेंगे तो मैं सही निवेदन कर रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद शिक्षा शिक्षा नहीं रह जायगी, एक नाममात्र का ढकोसला रह जायगा ।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने

(श्री गोविन्दसहाय)

फरमाया अपने अभिभाषण में कि चोरियां बहुत कम हो गई हैं, डकैतियां कम हो गई हैं; इतने डाके पड़े हैं। मैं सही अर्ज करूंगा कि शहरों में डकैतियां नहीं पड़ती हैं जहां कि रात दिन पुलिस का पहरा रहता है। उन्हें क्या मालूम कि देहातों में क्या होता है ? वहां पर दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं। मैं अपने पर बीती हुई बात को सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सपोटरा तहसील में स्टेट के टाइम में डाके नहीं पड़ते थे, लेकिन इन ६ सालों में वहां ७ डाके पड़े हैं, उनकी तफ्तीश नहीं होती है। पुलिस आती है और गांव वाले कहते हैं कि डाकू पूर्व की ओर गये हैं तो वे दक्षिण की ओर जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि उत्तर में गये हैं तो वे पश्चिम में भागते हैं। डकैतियां उस इलाके में बढ़ती जा रही हैं। सरकार का यह हाल है कि सपोटरा तहसील में जिसकी सब–तहसील करणपुर है, जोकि उधर मध्य भारत की सरहद है जहां कि भीषण जंगल है यहां से पुलिस स्टेशन को हटाकर केलादेवी कर दिया जाता है, जहां कि आबादी नहीं के बराबर है। वहां जरूरत नहीं है। जहां १५,००० आदमी रहते हैं वहां डकैतियां डलने में आसानी हो जायगी इसलिये वहां से पुलिस स्टेशन तोड़ कर केलादेवी कर दिया है। यह क्या प्रजातन्त्र हुआ है ? वह शहरवालों के लिए हुआ है जहां कि २० प्रतिशत आबादी रहती है। जहां सरकार यह मान कर चलती है कि ८० प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है, लेकिन सारी फैसिलिटीज शहरों को दी जाती है। सड़कें बनें तो पहले शहर की जनता के लिये, बिजली लगे तो पहले उन लोगों के और जो कुछ भी होता है वह उन लोगों के लिए। देहात वालों के लिए कोई सहूलियत नहीं। प्रजातन्त्र और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में छोटे मोटे स्थान लग जाते हैं। मैं सही अर्ज करूंगा कि कल ही मंत्री महोदय ने फरमाया कि देहातों में किसानों के मकान बहुत बन गये, पर मैं अर्ज करूंगा कि मकान जो बने हैं सरकार के रुपये से नहीं बने हैं। सरकार ने क्या सहायता दी ? परिश्रम करके पैदा करता है। कमाता है और मकान बनाता है। सरकार की तरफ से कोई सहूलियत दी गई हो या मुफ्त में पैसा सरकार ने इतना दे दिया कि मकान बनाओ ? यहां तो महल बनते रहे हैं। वहां पर मकान बन गये तो कोई खास बात नहीं है।

वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से इतने असुरक्षित हैं लोग उस इलाके में कि दिन में ही डाके पड़ते हैं। जहां के बारे में मैं अर्ज कर रहा हूं वहां की रिपोर्ट मंगवा कर देख लें। अभी कुछ दिन पहले मंडरायल में डकैती डली थी।

दूसरा निवेदन करना है सिंचाई के बारे में। हमारे यहां अध्यक्ष महोदय, आज सरकार सिंचाई पर इतना ध्यान देती है और बांध बनाती है लेकिन वहां पर उसका उपयोग नहीं हो पाता है। मैं उसके बारे में एक उदाहरण देता हूं कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में २ बांध बने हैं। एक तो काली सिन्ध का बांध है जो सपोटरा तहसील में है। अभी तक उसके बनने के चार साल बाद भी कोई नहर नहीं निकली है और न कोई उसका उपयोग होता है। अभी हाल में फसल पर

(श्री गोविन्दसहाय)

पानी चाहा तो दो महीने बाद पानी मिलता है। कभी कहते हैं कि नहर टूट गई, कभी कहते हैं वेस्ट वेअर्स में से पानी जाता है। आज अव्यवस्था है। बांध बंधाये जाते हैं परन्तु उससे जितना काम लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए वह नहीं लिया जाता है। खाली बांध बंधा कर उसका कुछ उपयोग नहीं किया जाता है। तो मेरे अर्जकरने का मतलब यह है कि यह विकास का कोरा ढिंढोरा पीटना है। बांध से सिंचाई होनी चाहिए १०,००० एकड़ की और ३,००० एकड़ की भी सिंचाई नहीं होती। इन आंकड़ों के बारे में मैं अर्ज करूंगा कि उन पर गौर फर्मायेंगे और संशोधन करने की कृपा करेंगे और पूछेंगे डिपार्टमेंट से कि क्यों नहीं उपयोग में लिया गया ? अध्यक्ष महोदय, नहर और कई मील तक बढ़ सकती थी परन्तु अभी तक क्यों नहीं बढ़ी ?

मेरा निवेदन करना, अर्ज करने का दूसरा यह है कि उस इलाके में कहने को तो बहुत जंगल हैं, चारों तरफ डांग हैं। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में सपोटरा तहसील में करनपुर सब-तहसील है और मंडरायल है। मैं अर्ज करूंगा कि वहां नजदीक में जंगलात होते हुए भी वहां के लोग लकड़ी नहीं काट सकते हैं। लकड़ी का जो भाव है वहां पर तो वहां की जनता यह महसूस करती है कि वह भाव शहरों में भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब आप पिछली बार वहां पर पंचायत का उद्घाटन करने पधारे थे तब पब्लिक के कुछ आदमी डेपुटेशन के रूप में आपसे कुछ अर्ज करना चाहते थे तो कलेक्टर महोदय ने उनको नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा कि सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। फोरेस्ट ऑफिसर से भी कई बार अर्ज किया गया पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। परमिट प्रणाली है। वहां पर फोरेस्ट का गार्ड रहता है उसको एक–दो रुपया दे दिया तो ठीक है, वर्ना चालान होता है, वर्ना एक सिर बोझ लकड़ी के लिए वहां से २० मील दूर करोली जायगा। यह सारी दुर्व्यवस्था है। इसके बारे में अर्ज करूंगां कि जो सारी अव्यवस्था है वह दिन पर दिन हमारे यहां बढ़ती जा रही है। उनके बारे में सत्तारूढ़ दल अवश्य ध्यान देगा।

दूसरा अर्ज करने का है, मेरा खास तौरसे सवाईमाधोपुर जिले के बारे में कि वहां पर पूर्ण पक्षपात हुआ है। अब तक जितना भी विकास हुआ है वह हो सकता है, जिस जिले से माननीय मुख्य मंत्रीजी आये हैं या जिस जिस जिले के मंत्री महोदय हैं उनके इलाके में हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण वह पहले ही डांग का इलाका है, अभी तक इतने दिनों तक कोई विकास का खास कार्य वहां हुआ हो, यह प्रत्यक्ष आंकड़ों से नजर नहीं आता है। गंगापुर में बिजली के खम्भे ८ साल से गड़े हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी ने वायदा किया था और भी कोई मंत्री वहां जाता है तो कोई ६ महीने की कहता है और कोई ३ महीने की कहता है कि बिजली आ जायगी मगर अभी तक खाली खम्भे गड़े हुए हैं और इलेक्शन के बाद वायर हटाये जा रहे थे और यह प्रचार किया गया था कि इलेक्शन में कांग्रेस हार गई इसलिए हटाये जा रहे हैं। वैसे कहा यह जाता है कि यह मिसफिट हो गये हैं इसलिए हटाये जाते हैं लेकिन पहले ही ठीक फिट क्यों नहीं

(श्री गोविन्दसहाय)

हुए जो दुबारा मजदूरी खर्च करनी पड़ी, इसका कारण क्या है ? ये सारी बातें इसलिए हैं कि जो व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए वह पूर्ण अव्यवस्थित ढंग से हो रही है ।

अब मैं सड़क के बारे में कहना चाहता हूं । सड़कों के बारे में हाल यह है कि जिन जिन इलाकों में सड़कें बनी है वे उन इलाकों में बनी हैं जिनमें मंत्री रहते हैं । सवाई माधोपुर में जो माड इलाका है उसमें ४ महीने बराबर पानी रहता है । आवागमन की कोई सहूलियत नहीं है । आदमियों को आने जाने में परेशानी रहती है । उस इलाके के बारे में सरकार को सोच नहीं; ठीक है, अपने अपने इलाके में सब कुछ कर लेते हैं, दूसरे इलाके का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है या कहने वाला नहीं होता है तो सरकार खुद नहीं सोचती है । प्रजातंत्र में एक तरफ कहा जाता है कि समान अधिकार दे रहे हैं, बराबर वितरण कर रहे हैं । मैं अर्ज करूंगा कि सवाईमाधोपुर के हितो को मद्देनजर रखा जायगा कि वहां की क्या हालत है ? मंत्री महोदय पधारें दौरे पर तो उनको मालूम होगा ।

दूसरा मेरा अर्ज करने का यह है कि चुनावों के बारे में हर सदस्य ने यह फरमाया था; इसके बारे में मैं अपनी ओर से अर्ज करूंगा कि चुनावों के कुछ दिन पूर्व मैं एक बार हाजिर हुआ था और डेपुटेशन भी आया था और हमारे यहां के भूतपूर्व राजस्व मंत्री साहब को अर्ज किया था कि फलानी जगह के तहसीलदार का यह हाल है तो उनका स्पष्ट कहना यह था कि वहां के जो मांगीलाल एम. एल.ए. हैं जिनको कांग्रेस का टिकट दिया गया था वह चाहेगा उसको तहसीलदार रखा जायगा । कम से कम १० आदमियों के सामने यह फरमाया था । वे दिन दहाड़े ऑफिस में बैठ कर शराब पीते हैं और आप यह फरमाते हैं कि जो कुछ मांगीलाल कहेगा वह होगा ।

एक तरफ तो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने यह कर दिया वह कर दिया, तो आपने अपने २ इलाकों में करवाया होगा, सब के साथ समानता के दृष्टिकोण से नहीं करवाया है, यह मैं दावे के साथ अर्ज करता हूं । जो कुछ भी हुआ है चुनाव के बारे में हमारे इलाके में इतने गड़बड़ घोटाले हुए हैं कि पटवारियों को ऑफिस के अन्दर बुला बुला कर कलेक्टर साहब ने कहा कि तुमको चान्स दिलवायेंगे । तो यह सारा एक पक्षपातपूर्ण तरीका है । इस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे पूर्व वक्ता ने कल फरमाया था चंदे के बारे में कि हर गुट और हर दल चन्दा मांगने जाता है और दूसरे दलों ने भी चन्दा मांगा है । इस बारे में मैं एक मिनट में अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि एक को तो आदमी चन्दा अपना आगे का फायदा देख कर देता है; जैसे कोई ठेकेदार रूलिंग पार्टी को एक हजार का चन्दा इसलिए देता है कि आगे चल कर वह ५० हजार का फायदा उनसे उठायेगा और जो दूसरी पार्टीज़ को लोग चंदा देते हैं वे उस पार्टी को चाहते हैं इसलिए देते हैं । यह फर्क है उनके चन्दा मांगने में और हमारे चन्दा मंगाने में । उनके यहां जो

(श्री गोविन्दसहाय)

चन्दा आया वह शर्त के साथ आया और हमारे यहां बगैर शर्त के आया। मैं निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से और सत्तारुढ़ दल से कि पिछड़े हुए इलाकों में भी पक्षपात का तरीका अपनाना उचित नहीं है। सड़क बिजली शिक्षा आदि के मामलेमें पक्षपात न करें मैं निवेदन करूंगाकि इस ओर पूरा ध्यान दें। राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के उपलक्ष में उनको धन्यवाद देने में मुझे इसलिए आपत्ति है कि हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : मैं समय की व्यवस्था के बारे में सूचित कर दूं कि जैसा कार्यक्रम निर्धारित किया था उसके अनुसार यह बहस आज २ बजे समाप्त होनी थी और उसके पश्चात् मुख्य मन्त्रीजी को उत्तर देना था। अब समय २.३० बजे तक कर दिया गया है। २.३० बजे मुख्य मन्त्रीजी अपना भाषण शुरु करेंगे। मैं अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य यदि संक्षेप में भाषण दें तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य हिस्सा ले सकते हैं और उनको बोलने का मौका दिया जा सकता है। १० मिनट का समय कर दें तो ठीक रहेगा।

एक माननीय सदस्य : इतने थोड़े टाइम में बहुत बोलनेवाले हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह (जायल) : अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशनल हैड के नाते श्रीमान् राज्यपाल ने जो इस विधान सभा में आकर भाषण दिया उसके लिए यह सदन उनको बधाई देता है इसके अतिरिक्त उन्होंने जो विधान सभा के के सदस्यों को उनकी विजय के उपलक्ष में बधाई दी उसके लिए यह सदन उनका कृतज्ञ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस सदन में सरकार की तरफ से जो पॉलिसी है उसका जो उद्घाटन किया उसके लिए भी हम उनके कृतज्ञ हैं। लेकिन हमें साथ ही साथ यह देखना है कि श्रीमान् राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं या नहीं। हमें यह देखना होगा कि उनके द्वारा जो सरकार की नीति का उद्घाटन किया गया है, सरकार जो कार्य करने वाली है या जो कार्य किये उनके लिए सरकार या राज्यपाल बधाई के पात्र हैं या नहीं।

मैं सर्व प्रथम आपने जो अपने अभिभाषण में यह बतलाया कि चुनाव जो यहां पर हुये हैं वे सही ढंग से हुए हैं; मैं उनके अभिभाषण की उन पंक्तियों को स्वीकार करता हूं जिसमें यह कहा है कि करीब ५२ प्रतिशत वोट डाले गये, करीब ११।। हजार पोलिंग स्टेशन्स पर वोट डाले गए। लेकिन यह कहना कि चुनाव नष्पक्षता से हुए यह सत्यता के परे बात है।

जहां तक सरकार के पक्ष का सवाल है उन्होंने चुनाव में ४० प्रतिशत वोट हासिल किये हैं। सरकारी पक्ष को जो ४० प्रतिशत मत मिले हैं वे कांग्रेस के सिद्धांत के आधार पर नहीं मिले हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो कांग्रेस के सिद्धांतों को अपना कर वोट मांगे थे उन सिद्धांतों की हत्या करके वोट लिए हैं। कांग्रेस ने सोशलिस्टक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के आधार पर वोट मांगे थे। इसके विपरीत वोटर्स के पास गये उन्होंने यहां

(श्री गंगासिंह)

तक कहा कि हम आपको सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में विश्वास नहीं करते। केवल पार्टी के सिद्धांत के आधार पर कुछ भी कहें, लेकिन हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को न मानेंगे। इसके अलावा सरकारी मशीनरी का दबाव डाला। जातीयता की भावना पर वोट मांगे गये। कांग्रेस को जो ४० प्रतिशत वोट दिए गए वे उनके सिद्धांतों के आधार पर नहीं दिए गये; बल्कि उन्होंने जातीयता की भावना उभार कर, जो कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के विरुद्ध है, वोट प्राप्त किए हैं। ऐसी हालत में आज हम जिस सरकार को देख रहे हैं वह टैक्निकल रूप से तो कांग्रेस सरकार है लेकिन असलियत में कांग्रेस सरकार नहीं है।

राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उसके आधार पर यह निवेदन करता हूं कि शिक्षा प्रणाली बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी। जो शिक्षा प्रणाली हमारे सामने आई है उससे सही तौर पर शिक्षा का ढांचा नहीं बनाया गया है। इसके अलावा हमें देखना होगा कि शिक्षा के लिए क्या क्या करना होगा, किस प्रकार आगे चलना होगा। शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों को सौंपी गई है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि शिक्षा जैसी चीज को पंचायत समितियों को न दिया जाय। इसका बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट हो और सैद्धांतिक रुप में इसका विश्लेषण किया जाय। तो मैं यह कहूंगा कि पंचायत समितियों को प्राइमरी स्कूल्स दिये गए हैं उससे राजनैतिक वातावरण आ जाता है और मास्टर लोग प्रधान या प्रमुख पर आधारित रहते हैं। ऐसी सूरत में मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहूंगा कि यदि शिक्षा को स्वस्थ रखना है और उसका ऊंचा स्तर करना है तो इसके लिए अलग डिपार्टमेंट हो और उसके आधार पर सही ढंग पर शिक्षा का प्रचार करना पड़ेगा।

इसके साथ साथ मैं चिकित्सा विभाग की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। यहां पर अस्पतालों की कमी है, गांवों में अस्पताल नहीं खुले हैं पंचायत समितियों के तो क्वार्टर तक भी नहीं खुल पाये हैं। कुछ खुले हैं उनमें दवाइयों और डॉक्टरों की कमी रहती है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अस्पतालों या चिकित्सा के सम्बन्ध में जो कार्य हैं उनको सुचारु रूप से चलाने की बात को मद्देनजर रखेंगे।

अब मैं आपके सामने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का जहां तक सैद्धान्तिक रुप है उसको मैं स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि जिला परिषद वगैरा ऊंचे उठें और कार्यभार सम्भालें। लेकिन उनमें जो कमियां हैं उस ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा। आज पंचायत समितियों के प्रधान राजनैतिक अखाड़े के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहां तक केसेज़ हमारे सामने आये हैं जिनमें पंचायत समितियों के प्रधान और सरपंच कार्यक्रम का रजिस्टर तक फाड़ देते हैं और पंचों की गैर–हाजरी लगातार ५ मीटिंगों में बता कर उनको निकाल देते हैं। ऐसा कार्य हमारे यहां जायल में भी हो रहा है। हाईकोर्ट में रिट हुई। अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह मानता हूं

(श्री गंगासिंह)

अध्यक्ष महोदय, कि हाल ही में इनका गठन हुआ है लेकिन इन में कईतरह की कमियां हैं। जब सरकार को यह मालूम हो जाता है कि वहां पर ऐसी ऐसी कार्यवाही हो रही है तो यह सरकार की ड्यूटी हो जाती है कि उसकी जांच करायी जाय और यदि कोई सरपंच या प्रधान गलती करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। हाईकोर्ट में रिट होती है, कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसले दिये हैं। पंचायतों के सदस्यों और सरपंचों ने ऐसे ऐसे कार्य बेईमानी के किए हैं, जो कानूनन गलत हैं लेकिन राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, जो पंचायत समितियों में कार्य हो रहा है वह राजनैतिक आधार पर होकर चलरहा है। मैं जायल का उदाहरण पेश करता हूं। जो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर का प्रश्न है, उसके लिए कुछ रुल्स बने हुए हैं जिनके आधार पर तय करना पड़ता है कि कहां हैल्थ सेन्टर बनाया जाय। जायल पंचायत समिति का हैड क्वार्टर है। इसके साथ ही तहसील हैड क्वार्टर भी है। वहां की पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया था कि इस हैड क्वार्टर पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनाया जाय। लेकिन कई राजनैतिक कारण हुए जिनके आधार पर एक गांव डेत है वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोला जाना तय हुआ है। मैं निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि अगर उस पंचायत समिति के गठन को देखें तो डेत गांव पंचायत समिति के एक कोर्नर पर आ जाता है और उसकी आबादी भी जितनी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए होनी चाहिए उतनी नहीं है। ऐसी सूरत में, मैं समझता हूं, राजनैनिक कारणों से चिकित्सालय नहीं खुलने चाहिए बल्कि पब्लिक की सुविधा के लिए होने चाहिए। जब कि जायल पंचायत समिति का हैड क्वार्टर है, वहां पर तहसील हैड क्वार्टर के कर्मचारी भी रहते हैं और पंचायत समिति के सेन्टर में है उसके बावजूद जो राजनैतिक कारणों से डेत गांव में चिकित्सालय खोला जा रहा है, उसको बन्द करके आप निष्पक्षता से, सद्भावना से, बिना किसी द्वेष से यह तय करवायें कि कहां चिकित्सालय होने चाहिए। मैं यह उम्मीद करूंगा पंचायत समिति के मन्त्री महोदय से कि वे इसकी जांच करें जिससे जो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर डेत में खुलवा रहे हैं वह जायल में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जावे; नहीं तो जायल में एक दूसरा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जाय।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बातें आई हैं जो टैक्सेज़ से सम्बन्धित हैं। टैक्सेज़ के सम्बन्ध में यह हमारी पार्टी का ध्येय है कि पब्लिक पर कम से कम टैक्स लगाये जायं और शासन प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा सुचारू रूप से बनाया जाय। उस पर ज्यादातर यह क्रिटिसिज्म आया है कि जब आप टैक्सेज़ नहीं चाहते हैं और उधर ऐसे ऐसे कार्य कराना चाहते हैं–स्कूल खुलवाना आदि–तो वे कैसे होंगे ? उसके लिए यह कहना चाहता हूं कि टैक्सेज़ की पॉलिसी है उसे आपको एक नये सिरे से सोचना पड़ेगा टैक्सेज़ की पॉलिसी है उसके हिसाब से आप को टैक्सेज़ लेने होंगे और हमको देने होंगे। परन्तु कौन से टैक्सेज लगाने चाहिए और क्या टैक्सेशन को पॉलिसी होनी चाहिए, अगर

(श्री गंगासिंह)

इस पर आप गौर फर्मा कर सही ढंग के टैक्सेज़ लगायें तो मैं वायदे के साथ कह सकता हूँ कि आप पब्लिक को खुश कर सकते हैं और पब्लिक के जो सारे कार्य हैं वे कर सकते हैं। तो जहां तक प्रश्न है टैक्सेशन का वह बड़ा महत्व का है। यह टैक्निकल सवाल है (घंटी) । मैं अनुरोध करता हूं कि टैक्सेशन के लिए गवर्नमेंट सोचे और टैक्सेशन के लिए सारी की सारी मशीनरी इस तरह की लगावे कि जो इसकी जांच करे और बाद में टैक्सेज़ लगावें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार की टैक्सेशन की पॉलिसी जो है वह सही रूप से आयेगी।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बहस में बहुत से माननीय सदस्य भाग ले चुके हैं और जिन प्रश्नों पर वे बोल चुके है; मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हीं प्रश्नों को दोहराऊं। सदन के सामने राज्यपाल साहब ने जो अभिभाषण दिया है उस पर धन्यवाद देने वाला मैं सबसे से पहला व्यक्ति होता जो धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाता बशर्ते कि गलत आंकड़े, गलत नीतियां, गलत घोषणायें या गलत बातें नहीं कही जातीं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है और आपका और आपकी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ता है कि जो बातें इस अभिभाषण में कही गई हैं, जो आंकड़े इस अभिभाषण में दिये गये हैं वे आंकड़े, दूसरे प्रकाशनों की बात तो दूर रही पिछले वर्ष के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिये गये आंकड़ों से नहीं मिलते हैं और उन महत्वपूर्ण बातों में इतना बड़ा विरोधाभास है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है जिससे जो सारे राज्य की पिक्चर दी गई है उसमें बहुत बड़ा फर्क आता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि पर केपिटा की बात जो १९६२ में कही है और पर-केपिटा की बात जो १९६१ में कही थी उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज कहा गया है कि पर केपिटा की इन्कम जो है, वह इस वर्ष २३७ रु० से बढ़ कर २४७) रु० हो गई है। हमको यह कहा गया है कि पिछले चार सालों में पर केपिटा इन्कम २३७) रु० से बढ़ कर २४७) रु० हो गई है। पिछले वर्ष यह कहा गया था कि पर केपिटा इन्कम २५६) रु० से २७८) रु० हो गई है। अब मैं नहीं समझता हूँ कि जो सरकार सही आंकड़े पेश नहीं कर सकती है, जो १९६१ में एक बात कहती है और १९६२ में दूसरी बात कहता है वह और क्या कर सकती है ? मैं चाहता हूँ कि दोनों बातों को माननीय मुख्य मंत्रीजी देखेंगे और फिर उसको क्लियर करेंगे। पिछले वर्ष राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, मैं उसको रेफर करता हूँ। पिछले वर्ष के अभिभाषण में पेज ९ पर है "The per capita income in Rajasthan would be from Rs. 256.00 to 278.00." यानी २५६ से हमारी आय बढ़ कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २७८ होगी। उसके बाद कहा गया था कि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आय की तुलना में हमारे यहां की पर-केपिटा इन्कम २७ रु० कम रहेगी और अखिल भारतीय पर-केपिटा इन्कम करीब ३०५ रुपये हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारी सरकार यह मानती है कि हमारे यहां की इन्कम ऑल इंडिया की पर-केपिटा इन्कम के कम्पोरिज़न में २७ रु० कम थी और इस वर्ष कहते हैं कि ३१५ रु० पर केपिटा इन्कम हो गई है। यह ३१५ रु० पर-केपिटा इन्कम के आंकड़े किस तरह निकाले गये हैं, इस बात की ओर भी गौर करेंगे। हमको कहा गया है कि १९५४-५५ के मूल्यों के आधार पर २४६ रु० की पर-केपिटा इन्कम हुई है और उन मूल्यों की १९५९-६० के मूल्यों से तुलना की आय तो ३१५ रु० प्रति व्यक्ति आय होगी। जिन मूल्यों के आधार पर पर-केपिटा इन्कम बताई गई है, मैं सदन के सामने कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इन्डेक्स नहीं रखती है, हमारी सरकार के पास इस बात के आंकड़े नहीं हैं कि हमारे राज्य में कितने परसेन्ट मूल्यों में वृद्धि हुई और जो आंकड़े दिये हैं १९५४-५५ के, उनसे १९५९-६० के मूल्यों से तुलना की गई है उसके आधार पर जो डिफरेन्स है उसके आधार पर १९५४-५५ में २४६ रु० पर-केपिटा इन्कम बताई है और उनके आधार पर ही १९५९-६० में प्रति व्यक्ति आय ३१५ रु० बताई है और मतलब साफ है कि वस्तुओं के मूल्य में पिछले सालों में २२ परसेन्ट वृद्धि हो गई है....

श्री अध्यक्ष : इसमें तो यह है कि सन् १९५५-५६ और १९५९-६० की पर-केपिटा इन्कम बताई है वह दोनों १९५४-५५ की कीमतों पर आधारित है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जी हां। उसके आगे कहा गया है : "Prices per capita at the end of 59-60 is said to have been 215."

श्री अध्यक्ष : इसमें यह नहीं लिखा है कि किस साल की इन्कम किस साल के मूल्यों के आधार पर मान कर बता रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऊपर से स्पष्ट है, साहब।

"The per capita income in the State is said to have raised to 246 in the year 1956 at 1954 prices."

१९५४-५५ के मूल्यों के आधार पर दोनों आंकड़े बताते हैं कि जो आय १९५५-५६ में २३७ रुपये थी वह १९५९-६० में बढ़ कर २४६ रु० हो गई है पिछले वर्ष कहा था कि २५६ से बढ़कर २७८ रुपये पर केपिटा इन्कम हो गई है। मैं समझता हूं कि सरकार एक कन्फ्यूजन में है। उसको यह मालूम नहीं कि पर-केपिटा इन्कम स्टेट की क्या है ? नये नये आंकड़े हमारे सामने हर वर्ष रखे जाते हैं और सदन के सामने रखे जाते हैं। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े सदन की मेज पर रखे जायं वे प्रमाणित होने चाहिए और मजबूती के साथ और सही ढंग से तैयार किये जाने चाहिए और इन आंकड़ों में विरोधाभास एक साल में नहीं आना चाहिए। इससे मुझे इस निष्कर्ष पर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हमारे आंकड़े झूठे हैं और गलत हैं। हमारी सरकार यह दावा करती है कि हम गरीबी से लड़ रहे हैं, हमारी सरकार आकड़ों

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के आधार पर कहती हैं कि हम गरीबी से लड़ रहे हैं और हमारा प्रजातंत्र का सिद्धान्त समाजवादी होने की वजह से समाजवादी दृष्टिकोण है और समाजवादी नीतियां हैं तो मुझे मजबूर होकर इस निष्कर्ष पर आना पड़ेगा कि हमारी सरकार के पास में सही आंकड़े नहीं हैं ।

एक दूसरी महत्वपूर्ण बात लीजिये । हमारे कृषि मन्त्री ने कृषि की तरक्की के आंकड़े रखे हैं, उसमें कहा है कि १९५१-५२ में डेढ़ परसेन्ट गांवों को सहकारी क्षेत्र में कवर करते हैं, वहां सैकंड फाइव इयर प्लान में २४ परसेन्ट को कवर करते हैं । इस तथ्य को और इन आंकड़ों को सही मान लिया जाय तो इसके अनुसार हमारे राज्य की पोपुलेशन २ करोड़ है और इस हिसाब से ४८ लाख आदमियों को हमने सहकारिता में शामिल किया है और यह सन् १९६१ का राज्यपाल महोदय का भाषण है जिसमें वे कहते हैं कि सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या २. ३ लाख से बढ़ कर ७,६७,००० हो गई है । एक तरफ आप कहते हैं कि ४८ लाख व्यक्ति सहकारी समितियों के सदस्य हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ७,६७,००० है । अगर ७ लाख ७६ हजार हैं तो यह कुल पोपुलेशन का ४ प्रतिशत होता है । जब वास्तव में ४ प्रतिशत पोपुलेशन को सहकारी क्षेत्र में कवर करते हैं तो यह कहना कि २४ प्रतिशत पोपुलेशन को कवर करते हैं, यह गलत है । मैं कहता हूं कि यह पुराने आंकड़ों के आधार पर भाषण तैयार नहीं किया गया है । यह अभिभाषण तो सरकारी अधिकारी सेक्रेटेरियेट में ही तैयार करते हैं और उसके बाद वह केबिनेट में पेश होता है । तो मैं यह कहूंगा कि आपका सेक्रेटेरियेट इतना निकम्मा है कि वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी ठीक तरह से तैयार नहीं कर सकता । जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी ठीक तरह से तैयार नहीं करते तो इस सरकार से आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में क्या हम धन्यवाद के प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं ।

कुछ हां पक्ष के लोग यू. एन. ओ. के ऑनऑफिशियल्स की बातें कहेंगे। कुछ बातें पहले कही गईं उनमें से कई अच्छी बातें भी थीं, मैं उनका स्वागत करता हूँ । मैं यह बताना चाहता हूं कि यूनेस्को में भी हमारे मुल्क का नम्बर पहले नम्बर पर नहीं आता है । आप देखेंगे कि एशिया में हिन्दुस्तान का प्रगति का नम्बर २४ वां है । जब एशिया में २४ वां नम्बर है हिन्दुस्तान का और राजस्थान हिन्दुस्तान में आता है तो आप ही सोचिये कि राजस्थान कहां रहता है ? इसलिये यह कहना कि राजस्थान ने इतनी उन्नति की है तो या तो यूनेस्को के स्टेटिस्टिक्स बेकार हैं या राजस्थान के लोगों को इस बात का अभी ज्ञान नहीं है । गरीबी से लड़ने के लिये जो कहा जाता है उसके लिये जब अंग्रेज यहां से गये उस समय रेशियो था १: ११० । ये आंकड़े आपको गवर्नमेंट पब्लिकेशन्स में मिलेंगे । उनके चले जाने के १५ वर्षों के कांग्रेस शासन के बाद ये आंकड़े हैं १: १३० । यह प्रोपोर्शन बढ़ गया है और इसके बावजूद भी कांग्रेस यह कह रही है कि वह गरीबी से लड़ रही है । यह कांग्रेस का स्लोगन कहां तक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

वाजिब है ? मैं यह कहूंगा कि आंकड़े स्पष्ट हैं और इस स्लोगन से वे इस सदन को धोखे में रख रहे हैं ?

अब मैं इन्डस्ट्रीज़ के बारे में कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया है कि १३ लाइसेन्स बड़े उद्योग स्थापित करने के लिये दिये गये हैं । उनमें से ५ लाइसेन्स कोटा के लिये; कुछ भरतपुर, कुछ धौलपुर और कुछ उदयपुर के लिये हैं। बीकानेर से मैं आया हूँ। बीकानेर में कोई उद्योग खुलने के लिये लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

राजा श्री मानसिंह (डीग) : भरतपुर में कोई नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराना : भरतपुर तो मैं समझता हूं डिविज़न नहीं है, वह तो डिस्ट्रिक्ट है। मैं डिविज़न की बात कहता हूं।

हम यह कहते हैं कि राजनैतिक प्रचार से समाजवाद हो, मगर राजनैतिक प्रचार से समाजवाद नहीं आ सकता। बीकानेर का हर नागरिक चाहता है कि वहां पर बीकानेर में उद्योग खुले, मगर आप उनके लिये कुछ ध्यान नहीं देते और आज आप देखते हैं कि वहां से १७ सीटों में से ६ सीटें आपको मिली हैं और वे इसी कारण से मिली हैं कि आपने बीकानेर को हमेशा नज़रअंदाज किया है । अगर आप यह कहें कि वहां पर इन्डस्ट्रीज़ के लिये पोटेन्शियेलिटी नहीं है तो मैं कहूँगा कि वहां पर इन्डस्ट्रीज़ के लिये काफी स्कोप है। उसके लिये पॉवर चाहिये तो वहां पर पलाना का कोयला तैयार है। ऊन का सेन्टर बीकानेर है, मगर फिर भी वहां पर ऊन को इन्डस्ट्रीज़ नहीं खुल सकतीं। अगर इन्डस्ट्रीज़ सरकार लगावेगी तो मालपुरा में, उदयपुर में, जयपुर में लगावेगी। आप यह कहेंगे कि आपके यहां से किसी ने उद्योग के लिये अर्जी नहीं दी, मगर मैं आपके इस तथ्य का पहले ही खंडन करना चाहता हूं। हमारे यहां से एक बीकानेर के बहुत बड़े उद्योगपति ने लाइसेन्स के लिये-प्रार्थना पत्र दिया था मगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। आज हम देखते हैं कि ऊन के उद्योग जयपुर और उदयपुर में खोलने की बात की जा रही है । हम नहीं कहते कि आप उदयपुर और जयपुर में न खोलें; आप अवश्य खोलिये मगर दूसरे स्थानों को भी नजरअंदाज न करिये।

आज बीकानेर में स्टेट के वक्त में बीकानेर ग्लास फैक्ट्री चल रही थी। वहां पर सलिका जो ग्लास बनाने का बड़ा अच्छा मेटीरियल है बहुत मिलता है और उसके मिलने के बावजूद भी वहां पर ग्लास इन्डस्ट्री नहीं है। स्वतन्त्र पार्टी के लोग और दूसरे लोग यही चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बढ़ाना चाहिये।

आज माइनिंग का क्या हाल है ? आपकी सरकार कहती है कि ५० लाख से १ करोड़ की आमदनी हो गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर में पलाना लिग्नाइट की खान है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(१. ५६ म. प.)

(श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

सामन्तशाही के जमाने में इसका उत्पादन ६७ हजार टन था। आज वहां का उत्पादन ६७ हजार टन से घट कर ३० हजार रह गया है । ३७ हजार टन का उत्पादन कम हुआ है इससे लाखों रुपयों का सरकार को नुकसान हुआ है । पलाना में एक्सपर्ट की यह रिपोर्ट है कि वहां पर ओपन कास्ट सिस्टम होना चाहिये । राजप्रमुख महोदय के अभिभाषण में सन् १६५६ में कहा गया था कि पलाना में लिगनाइट की उत्पादन-वृद्धि के लिये नया ढंग अपनाया गया व भीलवाड़ा में अभ्रक का पाउडर करने की मशीन व कोलायतजी पर मुल्तानी मिट्टी के कारखाने स्थापित करने का निश्चय भी किया गया है। कौनसा नया ढंग इसके लिये आपने अपनाया, जिसकी सदन को इत्तला दी गई । पिछले ६ वर्षों में जो बात कही गई है वह बिल्कुल गलत कही गई है और आज तक कोई ओपन कास्ट सिस्टम नहीं किया गया। आज कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। राजस्थान केनाल की यह मांग है कि उनको पलाना लिग्नाइट दिया जाए, मगर नहीं दिया जाता। पहले वहां पर फर्स्ट क्लास माइन मेनेजर नहीं था, अब फर्स्ट क्लास माइन मेनेजर आ जाने के बावजूद भी वहां का प्रोडक्शन सैकन्ड क्लास मेनेजर के समय के प्रोडक्शन से कम है। इसके लिये नहीं, बल्कि भीलवाड़ा में माइका के लिये भी खड्डे खोद दिये जाते हैं और वहां पर साइन्टिफिक मैथड से काम नहीं करने से बहुत नुकसान होता है ।

इसलिये मैं यह कहूंगा कि अगर हमारी राजस्थान सरकार पुराने सामन्तशाही राजाओं के समय से तुलना करके संतोष की सांस ले तो वह ले सकती है, मगर आपको प्रगतिशील देशों की तरफ ध्यान देना चाहिये और उनको देखते हुए कार्य की प्रगति को देखना चाहिये। सिर्फ यह कहना कि सामन्तशाही ने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया । अगर आपका यही एटीट्यूड है तो सरकार को अपने इस एटीट्यूड को बदलना होगा । सरकार को, प्रगतिशील देशों के मुकाबले में यहां पर क्या हुआ है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा आपको जनता के केवल ४० प्रतिशत वोट मिले हैं और आपकी जगह कोई दूसरी सरकार बनती । आपका इतना बहुत कम बहुमत है कि जिस एसेम्बली में इतना कम बहुमत हो मूलभूत सिद्धान्तों पर आपको ध्यान देना चाहिये ! यह कहना कि विरोधी पक्ष के भाषणों में कुछ तथ्य नहीं है, उन्होंने कोई कन्स्ट्रक्टिव सजेशन्स नहीं दिये इसलिये कोई तथ्य नहीं है, यह आपका एटीट्यूड है उसे आपको मूलभूत रूप से बदलना होगा ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जितने भी पार्टी लीडर्स हैं उनकी क्वार्टरली मीटिंग होनी चाहिये और उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिये। आप उनके सुझावों को मानें या न मानें, यह अलग बात है । मगर एक्सचेन्ज ऑफ व्यूज़ करना चाहिये, सरकार का जो मौजूदा रवैया है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिये।

तो मैंने आपके सामने इन्डस्ट्रीज़ और माइन्स के बारे में जिक्र किया और अब मैं आपको लॉ एन्ड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां मेरी कॉन्स्टी-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ट्यूएन्सी में यह हालत है कि वहां पर एफ० आइ० आर० दर्ज नहीं की जाती है। जब थानेदार या मुन्शी खुश होते हैं तो एफ० आइ० आर० दर्ज करते हैं। हजारों इस तरह के केसेज़ हैं जिनकी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की जाती है। हमारा जाब्ता फौजदारी कहता है कि जिस समय कोई भी व्यक्ति आकर शिकायत करे उसी समय एफ० आइ० आर० रजिस्टर करने का थानेदार या और कोई पुलिस कर्मचारी वहां पर हो उसका प्रथम कर्त्तव्य है। मगर बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि आपके राज्य में लॉ एण्ड ऑर्डर की यह हालत है कि एफ० आइ० आर० दर्ज नहीं होती है। जिस केस की पुलिस के कर्मचारी तफतीश करना नहीं चाहते उसकी एफ० आइ० आर० दर्ज नहीं करते। इस तरह से एफ० आइ० आर० को दर्ज नहीं करके जाब्ता फौजदारी को बिल्कुल खत्म किया है।

(र. म. प.)

लेकिन आप एक्सचेन्ज ऑफ व्यूज़ करायें और जो विचार, जो पोलिसीज़, जो व्यूज़ आपको मिलें उनके अनुसार उचित ढंग से सरकार को अपनी नीतियों को बदलना चाहिये। तो यह संक्षेप में मैंने इन्डस्ट्रियल माइन्स के बारे में जिक्र किया।

मैं अब थोड़ा सा लॉ एन्ड आर्डर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गृह मंत्रीजी ने कल उत्तर दिया; आप कहते हैं कि बहुत सुव्यवस्था हमारे राजस्थान में है। मेरा यह चार्ज है आपकी सरकार पर कि एक एफ० आइ० आर० दर्ज नहीं होती जब तक कि थानेदार, डी० एस० पी०, एस० पी० ऑर्डर नहीं दे दे। हजारों ऐसी एफ० आइ० आर्स हैं जो दर्ज नहीं होती हैं; इस पर भी आप कह दें कि सुव्यवस्था है, तो यह गलत है। जाब्ता फौजदारी का खात्मा कर दिया है। उसमें जो मूलभूत बात कही गई, उसकी, उस कानून की हत्या होती है। इस एटीट्यूड को आपको बदलना चाहिये, इस एटीट्यूड से करप्शन बहुत बढ़ गया है, इधर से कहा गया, कांग्रेस के भी बड़े बड़े लोग मानने लग गये हैं कि करप्शन बहुत बढ़ गया है। पर इस करप्शन को रूट आउट करने के लिये आपने क्या किया है? इस बड़े सारे अभिभाषण में किस तरह करप्शन को रूट आउट करेंगे, इस ओर कोई संकेत नहीं किया गया है। क्या क्या करना चाहते हैं, क्या पॉलिसी होगी, इसके लिए कौन कौन से लॉज़, लेजिस्लेशन्स पास करना चाहते हैं इसका कोई संकेत नहीं किया गया है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में करप्शन था, पर जैसी कि डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन की बात कही गई, मैं कहना चाहता हूं कि आज करप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव मशिनरी में ही नहीं, इस डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन के जरिये वह करपशन रूट में, पंचायतों में भी जा रहा है। आज करप्शन ७६०० पंचायतों में पहुंच रहा है। पंचायतों में पंच-सरपंच है, न्याय पंचायतों के सरपंच करप्शन करते हैं, तो उनको आज सेफगार्ड किया जाता है। चीफ मिनिस्टर का सक्यूलर उनको सेफगार्ड करता है कि इन ७६०० पंचायतों के सरपंचों आदि के खिलाफ जुर्म दर्ज नहीं किये जायं जब तक कि गवर्नमेंट जुर्म दर्ज

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करने के लिये इजाजत न दे दे। हजारों रुपयों का गबन हो सकता है, जो लोग गबन करते हैं, जिनके खिलाफ ४०६ और ४०६ के मुकदमे दर्ज किये जा सकते हैं वे उन लोगों से मिल जाते हैं जो सत्तारूढ़ दल में हैं। फिर सरकार को यह पॉवर दिया है कि जब तक गवर्नमेंट नहीं कह दे कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय तब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। आज कई पंचायतें ऐसी हैं जिनमें गबन हो रहे हैं, जिनके खिलाफ ४०६ और ४०६ के मुकदमे दर्ज किये जा सकते है। सैंकड़ों पंचायतों की मुझे मालूम है। जब बजट पर डिस्कशन होगा तो मैं अर्ज करूंगा कि आपके सी. एम. ने सक्यूलर निकाल रखा है कि जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे दे तब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। मैं कहूँगा कि आप इस तरह के सयूर्कलर से करप्शन को प्रोटेक्ट करते हैं।

आज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में करप्शन है, 'हां' पक्ष के लोग कहते हैं कि क्रॉन्क्रीट सजेशन दीजिये, तो मैं क्रॉन्क्रीट सजेशन देता हूँ कि जिन ऑफिसर्स की १,५०० रु० से ज्यादा तनख्वाह है उनकी पर्सनल प्रोपर्टी की जांच की जानी चाहिये, ऐसे लोगों में मन्त्री भी शामिल होने चाहिये। इनकी पर्सनल प्रोपर्टी की जांच की जानी चाहिये और इस तरह की जांच के लिये एक कमीशन मुकर्रर करना चाहिये। १,५०० रु० की तनख्वाह वालों के पांच पांच लाख की प्रोपर्टी मिलेगी। हमारा कानून कहता है कि जो यह नहीं बता सकता कि सम्पत्ति किस तरह से आई वह कल्प्रिट करार दिया जाय, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर रखें, जो नहीं बता सके कि इतनी प्रोपर्टी उसके पास कहां से आई तो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। यदि सरकार सही माने में करप्शन को मिटाना चाहती है, इस परिस्थिति को बदलना चाहती है तो इस तरह का कमीशन मुकर्रर करना पड़ेगा। सब सरकारी अफसर जो इसमें इन्क्लूड होते हों, सेक्रेटेरियेट के अफसर, दूसरे अफसर और मिनिस्टर्स भी इन्क्लूड होते हों तो उनको भी इन्क्लूड करिये और करप्शन को मिटाने के लिये इस तरह का कमीशन मुकर्रर करिये। तो करप्शन को मिटाने के लिये सरकार को मूलभूत दृष्टिकोण बदलना होगा।

बीकानेर के लिये मैं निवेदन करूंगा कि आज तक बीकानेर को नजरंदाज किया गया है, भविष्य में भी इसी तरह नजरंदाज किया गया तो इसका नतीजा बुरा होसकता है।

फूड प्रोडक्शन के बारे में कहा गया कि इस मामले में हमने सेल्फ सफिशियेन्सी हासिल करली है। 'हां' पक्ष के लोगों ने कहा कि इतनी सेल्फ सफिशियेन्सी करली है। मैं सदन के सामने आंकड़े रखना चाहता हूं कि दो लाख एकड़ नई जमीन को इर्रिगेट कर लिया, पर पर-एकड़ ईल्ड का क्या हुआ, पर एकड़ ईल्ड आज पहले से घट गई है। फर्स्ट प्लान में सीरियल और पल्सेज की ईल्ड पर-एकड़ ३६८ पाउन्ड होती थी वहां सेकन्ड प्लान के एण्ड में वह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

३८८ पाउन्ड पैदा होने लग गया। जो गेहूँ फर्स्ट प्लान के एण्ड में ८३३ पाउन्ड पर-एकड़ पैदा होता था वह सेकन्ड प्लान के एण्ड में ७८१ पाउन्ड पैदा होने लग गया; जब कि एक एकड़ की पैदावार घटती है, जबकि सिंचित जमीन बढ़ती है, लाखों रुपये उधार दिये जाते हैं, हमारी सरकार कहती है कि कृषि के नये नये आधुनिक औजार दिये जाते हैं, अच्छी किस्म का बीज दिया जाता है, नये तरीकों को काम में लिया जाता है; रसायनिक खाद दिया जाता है, नये तरीके के हल चलते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पर-एकड़ ईल्ड घटती है तो यह बड़ी शर्म की बात है हमारी सरकार केलिये। हमारी सरकार तभी इज्जत पा सकती है जब कि पर-एकड़ ईल्ड बढ़े। पर-एकड़ ईल्ड कम क्यों होती जा रही है, इसकी जांच के लिये हमारे सदन की एक कमेटी बनी। उसको एक साल हो गया। जब कमेटी बनाई गई थी तो इतने बड़े काम के लिये कहा गया था कि १५ दिन में वह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करे। ८ महीने से ज्यादा होगया उस कमेटी कीएक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई। पिछले सदन में पर-एकड़ ईल्ड घटने का प्रश्न श्री पी० के० चौधरी ने उठाया था पर हमारे कृषि मन्त्री और सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया।

हमारे प्रान्त में उत्पादन बढ़ा है, सेकन्ड प्लान में उत्पादन बढ़ा है, इससे हम मना नहीं करते। हम यह नहीं कहते कि हमारे यहां समाजवाद मत लाइये। हम तो यह कहते हैं कि समाजवाद लाने की आपकी रफ्तार बहुत धीमी है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रान्त में समाजवाद लाने की रफ्तार तेज की जाय। भूमि का इर्रिगेशन बढ़े, करप्शन मिटे, लॉ एन्ड ऑर्डर सुधरे, ऐसी स्थिति नहीं हो कि एफ० आइ० आर० भी एक आदमी दर्ज नहीं करा सके। तो माननीय अध्यक्ष, इन सारे तथ्यों को आपके समक्ष रखते हुए राज्यपाल महोदय के भाषण पर उनको धन्यवाद देने से इन्कार करना चाहता हूं। प्रायोरिटी की बात कही जाती है उसके मुत्तलिक कहना चाहता हूं कि सबसे प्राथमिक जो चीज होनी चाहिये जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, मैं इस सरकार को एक ही छोटी सी गारन्टी से, छोटी सी चीज से आंकना चाहता हूं, परखना चाहता हूं। आज छोटी से छोटी समस्या पीने के पानी की समस्या है। इस समस्या को हल कर दिया जाय। आपका चुनाव का घोषणा-पत्र है, जिस पर आप जीत कर आये हैं, पीने के पानी की समस्या को हल कर दें। हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी की सिफारिश थी कि पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये १० करोड़ रुपया चाहिये, वहां आपने इसके लिये २ करोड़ रुपया रखा है। आपने १० साल तक पीने के पानी की समस्या को हल नहीं किया................

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इन सब बातों को देखते हुए मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देने से इन्कार करना है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए प्रस्तुत होने पर)

Page No 69

श्री सभापति : माननीय श्री हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय,........

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापतिजी,....

श्री सभापति : माननीय श्री हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, चार दिन हो गये हैं, राज्यपाल के भाषण पर काफी वाद-विवाद चल रहा है । राज्यपाल ने अपने भाषण के आरम्भ में चुनावों के शांति पूर्ण हो जाने की घोषणा की है और इस पर सरकारी कर्मचारियों का आभार प्रदर्शित किया गया है । यह शांति किस प्रकार की है; मंदिर की शांति या मरघट की शांति ? यह तो इस सभा भवन में आये हुए जनता के विश्वास को प्राप्त करने वाले माननीय सदस्यगण जानते हैं । दोनों ओर से इस प्रकार की चीजें पेश की गई हैं कि चुनावों में भारी पक्षपात, धन का दुरुपयोग, जीपों का उपयोग, शराब का उपयोग हुआ । इस प्रकार की चीजें की की गई हैं । चुनावों के नतीजे ने एक चीज तो स्पष्ट कर दी ; कांग्रेस ने पिछले चुनावों में जितने प्रतिशत मत प्राप्त किये थे उससे कम मत अब की कांग्रेस ने प्राप्त किये हैं । स्पष्ट हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता पिछले चुनावों से अब कम हुई है, अधिक नहीं हुई है । इस बात का संकेत किया जाता है कि सामन्त चुन कर आये हैं । ये तलवार के जोर से चुन कर नहीं आये, जनता के मत प्राप्त करके आये हैं । क्या ट्रेज़री बेन्चेज़ पर बैठे लोग जिन्होंने सरकार बनायी है इस बात का विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे कि वे लोग जो तलवार के जोर पर देश जीता करते थे आज उनके मुकाबले में जो प्रजातन्त्र का नारा लगाते हैं, प्रजातन्त्र प्रणाली द्वारा अधिक वोट प्राप्त कर किस प्रकार आये हैं ? स्पष्ट है कि वे लोग, वह हुजूम, वह जनता जो हजारों की तादाद में इकट्ठा हुआ करती थी जब जमनालालजी बजाज जयपुर नगर में आया करते थे उतनी ही तादाद में महारानी गायत्री देवी का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए । क्या इस कारण का विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे ट्रेजरी बेन्चेज़ के लोग ? इस ओर भी नजर लगाइये । सागरमल गोपा की जिन लोगों ने हत्या की वे आज कुर्सियों पर नजर आते हैं, लोहारु ने गोलियां चलवायीं उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया और बिजोलिया में जिन्होंने गोलियां चलायीं वे लोग आज उन कुर्सियों पर नजर आते हैं । आज किसान की हजारों टैक्सों से कमर चरमरा रही है वहां लाखों रुपया इन ट्रेज़री बेन्चेज़ ने सामन्तों को दिया । महारानी गायत्री देवी लाख वोट से जीतीं । लाखों रुपये के हीरे और जवाहरात विदेशों में बिके । आज गरीब की झोंपड़ी में रोशनी हो या न हो, १ लाख, ८० हजार रुपया यह सरकार जयपुर महाराजाको चुकाती है । आज भाखरा की बिजली किसान की झोंपड़ी में पहुंचे या नहीं, भाखरा का पानी आज किसान को इस्तेमाल में मिलता हो या नहीं लेकिन १ लाख, ३० हजार रुपयों का पानी महाराजा जयपुर इस्तेमाल करते हैं । सदस्य महोदयो । अगर सत्ताधारी दल विश्लेषण करें अपनी नीतियों का तो स्पष्ट नजर आयेगा कि जनता ने ये वोट अन्धकार में डाले हैं । वे अपनी मजदूर नीति का, किसान—नीति का विश्लेषण करें ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आज किसान के लिए जितने कानून बनाये गये उन्होंने किसानों को सही राहत नहीं दी है। सन् १९४९ में टीनेन्सी प्रोटेक्शन एक्ट बना, घोषणा हो चुकी वार्निंग थी कि मुजारों को निकाल दो। हर इलाके में हुआ। एक्ट बनने से पहले ही मुजारे खत्म कर दिए। जिन पर जुल्म हुए उनकी एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं की गई, माली शुमारियां दर्ज नहीं हुई। परमानेन्ट अलाटमेंट की आज बात होती है, लेकिन जिन किसानों पर जुल्म ढाये गए, उनके मुजारों को खत्म कर दिया, माली शुमारियों को लिया नहीं, उसी किसान ने जिसने अपने खून पसीने से उस जमीन को आबाद किया, सींचा, जिसने उस धरती को अपने खून पसीने से फाड़ा, जिसने सही तरीके से श्रमदान किया उनका हाल यह हुआ।

सीलिंग की बात करते हैं; सीलिंग में इस प्रकार की छूट दी गई। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि सीलिंग से बाहर बड़े २ फार्म, सीलिंग से बाहर को–ऑपरेटिव सोसाइटी, सीलिंग से बाहर सहकारिता की बातें करते समय मैं आपको बता ऊंगा कि जिला गंगानगर में सहकारी समिति और विशेष कर कृषि सहकारी समिति का विश्लेषण किया जाय। लोगों ने सीलिंग से बचने के लिए सहकारी समितियां बनायीं। इस सम्बन्ध में रायसिंहनगर ने प्रस्ताव पास करके भेजा लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया। माननीय मुख्य मन्त्रीजी बैठे हैं मैं हाजिर हुआ था। मैं और मेरे साथी श्री श्योपतसिंह यह कहने के लिए गये कि हनुमानगढ़ की जमीनों को आप नीलाम न कराइये, गरीब किसान उसको खरीद नहीं सकेगा। लेकिन वे दामोदर व्यास और ये मुख्य मन्त्री सुनने से इन्कार हो गए। नतीजा क्या हुआ ? उनके इर्रिगेशन मन्त्री वहां १३॥ हजार वोटों से हार गये।

मजदूरों की बात सोचिए। मैं बताना चाहूँगा कि मजदूरों को राहत नहीं मिली। ब्यावर में वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और पुलिस दमन द्वारा वहां वर्क लोड सिस्टम लागू किया। गंगानगर में एक मजदूर २० दिन तक भूखा बैठा रहा। ५० दिन तक मजदूरों ने हड़ताल की। मालिकों ने उस मिल में मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी का प्रवेश बन्द कर दिया था, इसलिए हड़ताल की गई। लेकिन चन्दा प्राप्त करने वाले लोगों ने मजदूरों की पुकार सुनने से इन्कार कर दिया। गंगानगर शुगर मिल को ले लीजिए। मजदूर यूनियन रजिस्टर नहीं हो रही है, वेज बोर्ड रिपोर्ट लागू नहीं हो रही है। बॉलबीयरिंग की बात को लो। बॉल बियरिंग के मजदूरों का केस १॥ साल तक मुख्य मंत्री जी की मेज पर पड़ा रहा बृजसुन्दर जी इस यूनियन के सेक्रेटरी थे। बाद में जवाब दिया कि कम्पनी मुनाफे में नहीं है, घाटे में चल जाती है। इस तरह से आपके हाल हैं। सत्ता–धारी अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए जो काम किये वे सामने हैं। वे चाहते हैं कि कुर्सियों पर चिपके रहें। समाजवादी कितने हैं, यह नमूना दिखाया जा चुका है।

आंकड़ों का खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। आपके सामने माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये हैं उन्होंने आंकडों की डिस्क्रि–पेन्सी पेश की। पर-कैपिटा आंकड़ों के बारे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में ट्रेज़री बेन्चेज़ के भाषणों में और खुद मुख्य मन्त्रीजो ने १२.५ बताया है । सन् ५१-५२ से लेकर सन् १९६२ तक २५ परसेन्ट है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इसमें अन्तर जिस समय २३७ या २४७ कहा है कॉन्स्टेन्ट प्राइसेज़ पर और यह कहा है प्रेजेन्ट प्राइसेज पर ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हो सकता है इस प्रकार हो । लेकिन एक चीज बता दूं । यह सर्वे कराया गया है डॉ० लोकनाथन की प्राइवेट सर्वे कमेटी के द्वारा । उनकी प्राइवेट कन्सर्न द्वारा जो आंकड़े तैयार किये गये हैं उनको मैं सही नहीं मानता ।

कल बिजली के आंकड़ों की बातें हो रही थी । विद्युत मंत्री महोदय ने फरमाया था कि फर्म जेनरेटिंग केपेसिटी बढ़ गई है जो २.५ युनिट्स से बढ़ कर पर केपिटा ३.८ पर युनिट हुई । यह विकास हुआ है । आज बिजली के ऊपर सारी इन्डस्ट्रीज बेस्ड हैं । बिजली की कमी के कारण हेन्डी-केप है । हमारे राजस्थान में केवल कोटा एक नगर है जहां बिजली द्वारा इन्डस्ट्री स्टार्ट हो सकती है । भाखरा को बीजली आने वाली है, उसके लिए आप चाहे शासन की कमजोरी कहिये या शिथिलता कहिये सरकार लाइन नहीं बना सकी । दूसरी योजना तक ११ हजार किलोवाट का जहां उत्पादन करना था वहां सिर्फ ४,४०० किलोवाट बिजली ही पैदा कर सके हैं । तीन टर्बाइन २३ हजार किलोवाट के पड़े हैं जिनमें एक टर्बाइन काम कर रहा है, दो पड़े हैं । ट्रान्समिशन लाइन जो गंगानगर तक बनने वाली थी, जिसके लिए हम गांव में बैठे सुना करते थे वह ट्रान्समिशन लाइन आधी ही बनी रह गई । सवाईमाधोपुर, और टोंक, इन दो जगहों के लिए जो टर्बाइन्स मंगायें थे वे बिना उपयोग के पड़े हैं । आप हैवी प्लान्ट्स को छोड़िये पब्लिक सेक्टर के अन्दर जहां जहां आप समाजवाद का नारा लगाते हैं वहां डीडवाना में चल रही केमिकल फैक्ट्री के लिये दो, तीन साल पहले फॉरिन एक्सचेन्ज प्राप्त किया, आठ महीने पहले इसकी मशीनरी खरीद की गई और तीन महिने पहले इस पर सिविल वर्क शुरू हुआ । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतनी लापरवाही क्यों हुई ? चार-पांच लाख का फॉरिन एक्सचेन्ज प्राप्त कर लिया लेकिन इस स्कीम को कार्यान्वित नहीं कर सके । आप ही गौर फरमाइये, इससे कितना भारी नुकसान हो रहा है ? ६६ रुपया पर टन सोडियम सल्फेट की प्रोडक्शन कोस्ट है और जिसका बाजार भाव २८५ पर टन है, जिसके लिये दो तीन, साल पहले फॉरिन एक्सचेन्ज प्राप्त कर लिया था । लेकिन इसके लिये तीन महीने पहले ही सिविल वर्क शुरू हुआ है ।

(२. २८ म.प.)

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, पलाना खान की ओपन कास्ट माइनिंग की बात १९५२ में हमने सुनी थी । इस संबन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैंने माइनिंग के सम्बन्ध में डाइरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन्स द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक, जिसमें एम० एल० सेठी द्वारा ओपन कास्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

माइनिंग पर एक लेख लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि पलाना में ओपन कास्ट माइनिंग का पूरा प्रबन्ध हो चुका है, मशीनरी को ऑर्डर किया जा चुका है, वह मशीनरी आई लेकिन वह इर्रिगेशन विभाग को दे दी गई, अब इसको दूसरी योजना के अन्दर ओपन कास्टमाइनिंग में रखा गया है।

तीसरी योजना के अन्दर को-आपरेशन द्वारा ३॥ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया है। इसके लिये एक माइनिंग बोर्ड का गठन किया गया है। एक तरफ तो आप को-ऑपरेशन की बात रखते हैं। दूसरी तरफ माइनिंग बोर्ड की बात रखते हैं और एक तरफ एटोमिक स्टेशन की बात रखते हैं; ट्रान्समिशन की बात नहीं। एटोमिक स्टेशन की बात राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कही लेकिन जहां ट्रान्समिशन लाइन नहीं वहां एटोमिक स्टेशन की बात कहते हैं इससे अच्छा तो यह होता कि एटोमिक एनर्जी की गोलियां बंटवा देते तो बहुत अच्छा होता, आखिर गोलियां तो मीठी होतीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमद) : This expression is very contemputous for the Head of a State and I will request the Chair to look into the affair.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें क्या बुरी बात हुई, मैंने तो मीठी गोलियां खिलाने की बात कही है?

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को सत्ता का लालच कितना है मैं इसके लिए एक सुबूत पेश करूंगा। हनुमानगढ़ में फर्टीलाइजर फैक्ट्री के निर्माण का सवाल था। उसके लिये हमारे यहां मुकर्जी कमीशन आया, लेकिन उसके सामने विरोधी बात कही गई। हमारे भारत का लिग्नाइट सबसे बेस्ट माना जाता है। जब आसाम तेल की रिफाइनरी कायम करने का सवाल था वहां कायम करने से भारत सरकार ने इन्कार कर दिया तो वहां के लोगों ने स्ट्राइक कर दी। उस पर सरकार को झुकना पड़ा और वहां रिफाइनरी कायम करनी पड़ी। इसी प्रकार जब फर्टीलाइज़र फैक्टरी का सवाल आया तो हमारी सरकार ने मुकर्जी कमीशन के सामने घुटने टेक दिये। अब इस बारे में जो व्यवस्था हो रही है वह निवेदन करना चाहता हूं। इसका ठेका–जालान एन्ड को० को फर्टीलाइज़र फर्म को ठेका दिया जा रहा है और वह प्राइवेट सेक्टर में आ गई है। इसको लिग्नाइट दो रुपया प्रति टन के हिसाब से दिया जायगा और जिप्सम भी इसको लीज़ पर दिया जायगा और २५ हजार किलो-वाट बिजली रियायती दर पर दी जायगी। यह सब हो गया। इससे जालान यदि कारखाना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद वे किस दर पर फर्टीलाइज़र किसानों को देंगे, इसके लिए उनसे कोई शर्त नहीं। इस बात का फैसला किसी ने नहीं किया, सभी कुछ इनको रियायती दर पर दिया जायगा लेकिन सरकार ने यह शर्त तय नहीं की कि वह फर्टीलाइज़र किस भाव से देंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा राज्यपाल महोदय ने समाजवादी समाज रचना

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में सदस्यों से सहयोग की आशा की है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा समाजवाद हमारी सरकार यहां कायम करने जा रही है, जिसके जरिये वह अपनी कुर्सियों को कायम करने में लगी हुई है, जिनके द्वारा गरीबों की झोंपड़ी का दिया बुझता है और सामन्तों के महलों में बिजली रोशन होती है वैसे भाषण के लिये हम राज्यपाल महोदय को कभी भी धन्यवाद देने में सहयोग नहीं देने वाले हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अभी तक जो वाद-विवाद हुआ उसमें कई अच्छे सुझाव आये, कई आलोचनाएं सामने आईं और कई केवल आलोचना की दृष्टि से, आक्षेप करने के लिहाज से सामने आईं।

इन चुनावों के बाद सदन के अन्दर कांग्रेस के जो सदस्य पिछले चुनावों में जीत कर आये उनके मुकाबले में कम जीत कर आये; इसके सम्बन्ध में भी चर्चाएं आई और विरोधी पक्ष में जो पार्टियां जीत कर आईं उन्होंने अपनी पार्टियों के नतीजों के सम्बन्ध में और दूसरी बातों के बारे में भी इस सदन के समक्ष विचार रखे। लेकिन मैं सारे भाषणों को बहुत गौर के साथ, सिवाय एक रोज के और कुछ समय आज के, लगातार सुनने का प्रयत्न कर रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि जो अलग अलग पार्टियां हैं वे क्या निश्चित तौर से सुझाव देती हैं।

हमारे सामने आज जो भी सरकार चलाये, मैं समझता हूँ सदन के माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि अब सरकार केवल एक शासन चलाने की दृष्टि से चलाने का प्रश्न नहीं, बल्कि सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो हमारे देश के सामने हमारी जो गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए कौन सरकार क्या करना चाहती है और उस सम्बन्ध में उसने क्या किया है; वह उसकी कसोटी हो सकती है और इस लिहाज से हमें अपनी बातों को सोचना होगा और उसके अनुसार ही उस पर अमल करने की बात आवेगी। मैं भी जो सुझाव सामने आये हैं उनको उसी दृष्टि से अधिक देखने का प्रयत्न करता हूँ और देखता हूँ कि दरअसल जो आज देश आजादी के बाद एक भागीरथ प्रयत्न कर रहा है इस बात का कि किस प्रकार जो हमारी गरीबी है, बेकारी है उसको दूर कर पावें, उसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है।

हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने यह कहा कि हमारी योजनाएं ओवर एम्बीशियस हैं और साथ साथ स्वतन्त्र पार्टी ने भी समय समय पर यह कहा था कि हमारी जो योजनाएं हैं उनके आधार पर जो देश को चलाया जा रहा है वह देश के लिए हितकर नहीं होगा।

बहस के दौरान में यह भी प्रश्न आया कि टैक्स सरकार ने ज्यादा लगाए। बहस के दौरान में यह भी प्रश्न आया कि कर्जदारी ज्यादा बढ़ाई; यह भी प्रश्न आया कि विकास तेजी से होना चाहिए। बहस के दौरान यह भी प्रश्न आया कि हमारा विकास जो हम करना चाहते हैं जरूरत से ज्यादा सोचकर चलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ, सभी सदस्यों को इस प्रश्न पर दरअसल गहराई के साथ सोच कर अपना मार्ग निश्चित करना होगा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि आया हम अपनी योजनाओं को ऑवर एम्बीशियस मानते है, आया हम राजस्थान को पुनः किस ओर आगे ले जाना चाहते हैं; इसके बारे में आपको निर्णय करना होगा। जहां तक विकास का प्रश्न है, गरीबी को दूर करने का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ, यह किसी से छिपा नहीं कि यह बात इस पर निर्भर करती है कि हम अपनी योजनाओं के अन्दर कितना इन्वेस्टमेन्ट कर सकते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी मैन पावर को किस प्रकार युटीलाइज़ कर सकते हैं और धन की कितनी शक्ति हमारी लग सकती है। हमारे देश के अन्दर, जिसको डोमेस्टिक आउट पुट कहिए या धन कहिए; इन दोनों चीजों पर खास तौर पर निर्भर करेगी।

आज भी राजस्थान, भारतवर्ष में जहां तक कि पर–केपिटा इनकम का सवाल है, काफी पिछड़ा है। हर पांच वर्ष की योजना में देश का हर एक प्रदेश अधिक से अधिक प्रयत्न करके आगे बढ रहा है। सारे देश की भी प्रति व्यक्ति औसत आमदनी बढ़ती जा रही है। इस सदन को फैसला करना होगा, भारतवर्ष आगे बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है तब हमें यह नीति अख्तियार करनी है कि हमें आगे बढ़ना। हमारे और देश के बीच जो गरीबी और प्रति व्यक्ति आमदनी का भेद है वह बढ़ता जाना चाहिए, मतलब गैप बढ़ता जाना चाहिए या कम करना है?

माननीय अध्यक्षजी, इस वक्त जो तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई है, जिसमें कि २३६ करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर के अन्दर एक प्रकार से रखा गया है और तीसरी योजना के अन्त तक जो कि प्रति व्यक्ति औसत आय की कल्पना भारत में की गई है, ३८०) रु० इसकी पूर्ति के लिए जो देश के इकोनोमिस्ट्स हैं या दूसरे लोग हैं उन लोगों की यह राय है कि राजस्थान के अन्दर अगर हम चाहते हैं कि जो भारतवर्ष की औसत है उस तक राजस्थान पहुंचे तो ४५.० करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट राजस्थान में होना चाहिए।

२३६ करोड़ की जो राजस्थान की पंचवर्षीय योजना है अगर वह ओवर एम्बीशियस हैं तो दरअसल ४५० करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट दोनों में मिला कर हो राजस्थान में, तब हम कल्पना कर सकते हैं कि सारे भारतवर्ष की औसत के नजदीक पहुंचने की हम उम्मीद कर सकते हैं। अब जो सूरत है, ऐसा मालूम पड़ता है, २३६ के अलावा ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं, लोकल बॉडीज़ के जरिए ४० करोड़ का और है, स्माल स्केल एग्रीकल्चर के अन्दर इन्वेस्टमेन्ट है उसको हम ज्यादा से ज्यादा ५० से ६० के आसपास मान सकते हैं। इन सबको मिला कर करीब ३३० या ३३५ करोड़ के आसपास हम पहुंचते हैं।

इसके बाद इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर इन्वेस्टमेन्ट को ६० करोड़ मान सकते हैं जो तीसरी योजना में इतना इन्वेस्टमेन्ट हो उन सब को मिलाकर ३८६ से ४०० करोड़ के आस–पास असल आता है। इसका मतलब यह है कि सारे प्रयत्न जोरों से करें इसके लिए और इन रिसोर्सेज़ की पूर्ति की जावे। तब भी जो स्थिति

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस वक्त है, पचास से साठ करोड़ के लगभग की कमी का अन्दाज मालूम पड़ता है; तब भी देश के एवरेज के साथ पहुंचने में पीछे रह जाते हैं। तो हमें अपनी दिशाएं स्पष्ट करनी होंगी कि दरअसल हम किन दिशाओं की ओर जाना चाहते हैं, दरअसल में हम क्या करना चाहते हैं ? आज राजस्थान के सामने यह बहुत स्पष्ट बात है कि हम अपने यहां कृषि की ज्यादा से ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं। इसके साथ साथ यह भी चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर उद्योग-धन्धे भी ज्यादा से ज्यादा पनपें जिसकी वजह से बेरोजगारी को हम समाप्त कर सकें; वह बड़े नहीं, बल्कि लगातार आगे विकास करने में हम कामयाब हों।

इस काम में, जैसा मैंने निवेदन किया मैं स्वयं इसको मानता हूं और हम लोग विश्वास करते हैं कि राजस्थान चाहे किसी जमाने के अन्दर पिछड़ा रह गया हो, पर राजस्थान का आज का और जहां तक कांग्रेस पार्टी का और हम लोगों का प्रश्न है। हम पूरी मेहनत करके, पूरी कोशिश करके, जनता का त्याग भी करना पड़ता है, श्रम भी करना पड़ता है तो वह करके भी राजस्थान को आज पिछड़ा नहीं रहने देना चाहते। इसको देश में इसका उचित स्थान दिलवाना चाहते हैं।

(विराम)

इसके बिना, पिछड़े प्रदेश के तौर पर राजस्थान को रखना, मैं समझता हूं, न आज के लोगों के साथ अन्याय होगा बल्कि भविष्य की सन्तति के साथ भी सबसे बड़ा अन्याय होगा क्योंकि हम किसी भी देश के इतिहास को उठा कर देखें संसार में बिना कठिन परिश्रम और त्याग के आजादी प्राप्त होने के बाद आराम के साथ किसी देश का विकास होता है तो ऐसा किसी देश ने नहीं किया। बिना कठिन परिश्रम और त्याग के किसी देश ने आराम से अपना विकास किया हो, ऐसा कोई उदाहरण संसार में नहीं मिलता। हर एक देश ने अपने उस युग में काफी कठोर श्रम किया है, त्याग किया है और तब फल उसका आगे प्राप्त कर पाये हैं। पर हमारा राजस्थान जो इतना पिछड़ा राजस्थान रहा, जिसके कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, पर जिसके बारे में आज इस तरफ बैठे लोगों से कई बातों की उम्मीद की जाती है कि हमने इसके अन्दर अभी तक ११ परसेन्ट इर्रिगेशन किया है, यू. पी. में तो इससे बहुत अधिक है। हमने अधिक तरक्कियां क्यों नहीं कीं ? पर मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह मुकाबला करते समय आप उस वक्त की परिस्थितियों को भी जरा ध्यान में रखें। इस राजस्थान के अन्दर तो ओवरसियर नहीं थे, इन्जीनियर नहीं थे, एग्रीकल्चर के अफसर नहीं थे। राजस्थान में डॉक्टर नहीं हैं। डिस्पेन्सरियां हैं। पर डाक्टर नहीं; हास्पिटल हैं पर नर्सें नहीं। उस राजस्थान का निर्माण करने का प्रश्न आता है तो उसमें हमें तो नींवे भी खोदनी पड़ रही हैं और इमारतें भी बनानी पड़ रही हैं और साथ ही साथ उसमें रहने वालों का इन्तजाम भी करना पड़ रहा है। आज जैसे राजस्थान नहर को लाने की बात कह रहे हैं, आज तो इसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेन्ट ही हो रहा है। भाखरा में क्या, चम्बल में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

क्या, हालांकि इसका रिटर्न पिछले साल से कुछ आना शुरु हुआ है। हजार एकड़ जमीन पिछले साल सिंचित हुई, हजार एकड़ इस साल हो सकेगी, तो राजस्थान की नहर खुदेगी; वर्किंग इस साल था, आगे भी जारी रहेगा, चौथी योजना के आरम्भ तक या हो सकता है समाप्ति के बाद जब पोंग डेम पूरा हो जावेगा तब पानी आने लगेगा। तब बारह मासी नहरें हो पावेंगी और फिर लाभ मिलने वाला है। तब तक हम इधर वालों पर तो केवल लागत लगाने की जिम्मेदारी आई है, इसका फल तो भविष्य की सन्तति को मिलने वाला हैं। पर हमारी इसकी जिम्मेदारी से हम पीछे हटना नहीं चाहते;इसलिए कि हम समझते हैं कि यह हमारा पवित्र कर्तव्य है। हम समझते हैं कि राजस्थान के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि जो ज्यादा से ज्यादा किया जा सके करें। पर इसके साथ में, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा हमारे सामने टैक्निकल पर्सोनल की कमी थी और और चीजों की कमी थी तो इनके निर्माण के लिए भी एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाते जाते हैं, इन्जीनियरिंग कॉलेज बनाते जाते हैं, नहरों का निर्माण भी साथ साथ करते जाते हैं, सड़कों का निर्माण भी करते जाते है, स्कूलों का जाल बिछाते जाते हैं, बिजली फैलाते जाते हैं। सब तरफ-चारों तरफ कोशिश में लगे हैं कि सब मिला कर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हों कि जिनके अन्दर यह राजस्थान आगे बढ़े।

हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर अधिक बिजली पैदा करें। हमें मालूम है कि उद्योग लगाने वालों को किस मेहनत से राजस्थान में लाना पड़ता है, उनको जाकर तैयार करना पड़ता है ताकि आज के दिन वे उद्योगों को लगाने के लिए यह मान कर नहीं चलें कि राजस्थान ऐसी जगह है जहां कोई व्यक्ति आकर उद्योग लगा सकता है और हिन्दुस्तान में कहीं नहीं लगा सकता। उद्योगपतियों के सामने सभी जाकर अपनी अपनी पैरवी करते हैं और उस मौके पर हमें भी उद्योगपतियों को जाकर कहना पड़ता है कि राजस्थान में उद्योग लगाइये। साथ ही साथ हमें यह भी कहना पड़ता है कि हम सारी सुविधायें देना चाहते हैं। यह ठीक बात है कि दो-चार वर्षों से राजस्थान में भी यही परिस्थिति पैदा हो जाये कि जिससे डैड लॉक सा आ गया कि जहां औद्योगीकरण नहीं चल रहा था। आज से २–२।। वर्ष पहले राजस्थान में स्थिति ऐसी थी कि कारखाने बन्द होते चले जा रहे थे, नये कारखानों का तो सवाल ही नहीं है। हम औद्योगीकरण के लिए राजस्थान में उद्योग चलाने की कोशिश करते हैं तो एक माननीय सदस्य कहते हैं कि राजस्थान के उद्योग को गिरवी रख दिया गया है, राजस्थान को गिरवी रख दिया गया है। बड़ा आसान है यह कहना, कहने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम राजस्थान में औद्योगीकरण करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक राजस्थान के अन्दर दो-एक कारखाने चालू हुए हैं, दूसरे चालू होने वाले हैं और इस सदन की चर्चाओं का असर हिन्दुस्तान के अन्दर यह पड़ता है कि राजस्थान में उद्योग लगाओ तो गालियां सुननी पड़ती हैं। तो मैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वह सही तरीका नहीं होगा। इस तरीके से राजस्थान के अन्दर यही होगा कि जब भी औद्योगीकरण की बातें करें तो हमें दूसरी तरह की चर्चा करने को मिले। अगर हमें जहां राजस्थान के अन्दर उद्योग लगाने हैं, हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना है तो इस बात का प्रयत्न करना होगा कि हम आवश्यक वातावरण बना कर चलें। आज कोई भी व्यक्ति चुन कर आया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान का विकास हो, और उसके लिए आवश्यक वातावरण बना रहे। यह सभी दलों की भावना होनी चाहिए। जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है, प्राइवेट सेक्टर का सवाल है यह बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित है और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा इस ओर कितना ध्यान है। राजस्थान सरकार के पास और भारत सरकार के पास जितने साधन हैं उनके अनुसार ही तो हम पब्लिक सेक्टर चला सकते हैं। हम उसके बारे में कोई दो राय लेकर नहीं चलते कि पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। हमारी मान्यता है कि जो कुछ पब्लिक सेक्टर में सम्भव हो उसको करवाया जाना चाहिए। अभी फर्टीलाइज़र फैक्टरी के लिए जिक्र किया गया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी तरफ से जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न होना चाहिए उसको मैंने किया कि राजस्थान के अन्दर फर्टीलाइज़र फैक्टरी पब्लिक सेक्टर के अन्दर लगे। उसके लिए रात-दिन कोशिश की गयी; लेकिन भारत सरकार की तरफ से यह तय किया गया जो कुछ विभाजन किया गया है उसके अनुसार यह फर्टीलाइज़र फैक्टरी प्राइवेट सेक्टर में होगी। तो जब भारत सरकार ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया तो मैं यह नहीं कहना चाहता था कि अगर आप इसे प्राईवेट सेक्टर में लगाना चाहते हैं तो हम यह फर्टीलाइज़र फैक्टरी नहीं चाहते। मैंने बहुत सोच-समझ कर यह कहा कि यह फैक्टरी हमें जरूर चाहिए, पर मैंने उनको साफ कहा कि यदि यह फर्टीलाइज़र फैक्टरी अगर प्राइवेट सेक्टर में लगती है और उसके कारण नाकामयाब रहती है तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी और फिर उसके बाद में पब्लिक सेक्टर में लगाये।

पलाना में लिग्नाइट का सवाल है। हमने भारत सरकार को कहा कि इसको आप पब्लिक सेक्टर में चलायें तो अच्छा हो और जो यहां कमेटी एस्टेब्लिश की गयी उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि यह काफी टेक्निकल सवाल है भारत सरकार के एक्सपोर्ट्स से और मिनिस्टरी के कई सदस्यों से बात करने के लिए मैं स्वयं गया हूं और बातचीत की है और बातचीत करने के बाद उन्होंने पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है, आवश्यक टेक्निकल स्टाफ देने के लिय भी कहा है। तो हमारी तरफ से ढिले करने का प्रश्न नहीं आता और उसे पब्लिक सेक्टर में चलाने का प्रश्न नहीं आता। हो सकता है, कहीं पर देरी हो सकती है, लेकिन उसके कई कारण हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में कोई चीज न हो, उसके बारे में हमारा सवाल नहीं आता है। प्रेसेशन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी और कॉपर स्मेल्टर के लिए, उसी प्रकार हमारे यहां पर दूसरे पैट्रोलियम के लिए जो कुछ भी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पब्लिक सेक्टर के लिए हो सकता है उसके लिए जोर दिया है बल्कि भारत सरकार से कहा है कि राजस्थान के अन्दर पहली और दूसरी योजना में जितने पब्लिक सेक्टर के अन्दर कार्य होने चाहिए वे नहीं हो पाये। इसलिए उनको और ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट करना चाहिए जिससे राजस्थान का टोटल इन्वेस्टमेन्ट भी बढ़े और पब्लिक सेक्टर की एक्टीविटीज़ भी बढ़ें क्योंकि हम मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर में पूरी एक्टीविटी, जो हमारा इकोनामिक पैटर्न है उसके अन्दर जिसको हम कहते हैं कि हम सोशियलिज़्म चाहते हैं, जितने काम इसके लिए हो सकें उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अन्दर हम एक निगेटिव एटीट्यूड लेकर चलें कि कोई भी काम होगा तो पब्लिक सेक्टर में ही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए और खास कर जब कि हम देखते हैं, राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स के अन्दर लगभग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को लेकर अपनी स्टेट को डेवलप करते हैं। तो राजस्थान के अन्दर कि हम एक ही सेक्टर को एन्करेज करेंगे तो मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में सम्भव नहीं हो सकता और न व्यवहारिक बात होगी। इसलिए इन चीजों की तरफ पूरा ध्यान देकर चलेंगे तो विकास हो सकेगा और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर जैसा कि सब सदस्यों को विदित है कि हमारा विकास रुका रहा इसलिए कि हमारे यहां हम शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, हमारे यहां हम पानी की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, हमारे यहां हम बिजली की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ट्रान्सपोर्ट के लिहाज से पिछड़े हुए हैं और यह सैकड़ों वर्ष से चली आ रही परिस्थिति थी। आज के दिन चाहे हम यहां बैठ गये हों उससे सारी चीजों में एकदम परिवर्तन नहीं आ जाता और वह भी खासतौर से जहां समाज का वातावरण बनाया जाता हो कि टैक्स की आवश्यकता नहीं है, कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं; लेकिन देश का विकास तेजी के साथ होना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि ये तीनों चीजें एक साथ कैसे सम्भव हैं? मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब बजट का डिस्कशन आये उस समय यह बताने का प्रयत्न करें कि हम लोग इस बात को जान सकें, जैसा कि एक सदस्य ने कहा था कि हमारे हाथ में राज्य दे दिया जाये तो हम टेक्स कम करेंगे और विकास भी पूरा करेंगे तो कम से कम बजट जब आयेगा तो स्पष्ट चीजों के साथ और ठोस सुझावों के साथ बातें सामने आयेंगे। उस समय चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, चाहे स्वतंत्र पार्टी के हों या जनसंघ के नेता हों; मैं आशा करता हूं कि वे पोज़ीटिवली इस बात को बतायें कि किस प्रकार राजस्थान का विकास ज्यादा किया जा सकता है। हमारे यहां का कुल मिला कर निगेटिव एटीट्यूड से अन्दाजा लगता है कि एक तरफ हम कहते हैं कि टैक्स नहीं हों और दूसरी तरफ कहते हैं कि कर्जा नहीं होना चाहिये और तीसरी तरफ कहते हैं कि तनख्वाह बढ़नी चाहिये। यहां तक कि चुनावों के दौरान में कहा गया कि एक कर्मचारी की आय कम से कम १२५।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रुपया होनी चाहिये; ये सभी चीजें कैसे संभव हो सकती हैं ? यहां मैं जनसंघ के नेता से आशा करता हूँ कि बजट के मौके पर बताने का कष्ट करें कि इस तीनों चीजों की पूर्ति किस तरह से की जा सकती है क्योंकि जनता में भी सोचने के लिए एक पोज़ीटिव आस्पेक्ट सामने आना चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हम सहयोग देना चाहते हैं तो हम इस प्रकार का सहयोग चाहते हैं क्योंकि मैं यह मान कर चलूं कि कोई भी सरकार क्यों न हो वह नहीं चाहती कि अंधाधुंध टैक्स लगतो चली जाये और लोगों पर उसका वजन डाले। यह जो कुछ करना पड़ता है वह एक मजबूरी की स्थिति में आकर करना पड़ता है। इनमें से हर एक व्यक्ति; क्या वह स्वतन्त्र पार्टी का हो, जनसंघ का हो जैसा वे कहते हैं कि कम से कम वेतन १२५ रुपये का तो होना चाहिए, अगर ऐसा कर सकें तो हम लोगों को ही सबसे ज्यादा खुशी होगी। हम भो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको मिले। लेकिन हमारे सामने प्रश्न आता है गांवों में स्कूलें खोली जायं या नहीं ? दवाइयों का इन्तजाम किया जाये या नहीं ? हमारे सामने यह भी प्रश्न है कि बिजली और सड़कों के लिये इन्तजाम करें या नहीं और अगर करते हैं तो किनको प्रायोरिटी दें ? ज्यादातर हमने सिलेक्शन पोस्टें करके उससे लाभ पहुंचाया है और बहुतों को तत्काल लाभ नहीं पहुंचा है, लेकिन आज तो परिस्थिति है उसके अन्दर जो कुछ हम लाभ पहुंचाने की स्थिति में हैं वह पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो और उसको किसी भी हालत में नहीं रोका जाये और यह न हो जाये कि सारे के सारे एक तरफ काम करके लोगों के पास जायें कि न इस तरफ जायें न उस तरफ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर यह भी कहा गया है कि राजस्थान के अन्दर जो भी भूमि-हीन लोग हैं उन भूमिहीनों के बारे में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मैं आपके सामने यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर ३,२१,१८३ एकड़ ज़मीन ७७,२६२ लैंडलेस फैमिलीज़ को एलॉट की गई है। इसी प्रकार गंगानगर के इलाके के अन्दर जो लैण्डलेस टीनेन्ट्स हैं उनको ६१,००० बीघा एलॉट की गई है। जो कोऑपरेटिव्ज़ हैं उनको ३००० बीघा एलॉट की गई है। जो एक्स भोमियाज़ हैं उनको २६,००० बीघा एलॉट की गई है। एक्स मिलिटरी मैन को २८,००० बीघा एलॉट की गई है। गाडोलिया लुहारों को वहां पर बसाया गया, उनको ५०० बीघा एलॉट की गई है। टेम्परेरी कल्टीवेटर्स हैं उन लोगों के लिए १६,००० बीघा जमीन पर पर्मानेन्ट करने के लिए राइट्स दिये गये। इस प्रकार से जो भूदान बोर्ड है। उसके जरिये ११,४६५ फैमिलीज़ जो लैण्डलेस हैं उनको ६७,०७३ एकड़ एलॉट की गई है। इससे यह अन्दाजा हो गया कि राजस्थान के अन्दर जो यह कहा जाता है कि भूमिहीन किसानों या परिवारों को जमीन नहीं दी गई, ऐसा नहीं है; बल्कि करीब १ लाख परिवार हैं। इससे यह मालूम होता है कि जिन लोगों को जमीनें दी गईं और उनको बसाने के बारे में राजस्थान के अन्दर कार्यवाही की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष,यह भी साथ में निवेदन करूंगा कि इस सदन में यह भी प्रश्न आया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि जो डीसेन्ट्रलाइज़ेशन हम लोगों ने किया उस डीसेन्ट्रालाइज़ेशन की वजह से कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुनने से तो ऐसा लगता था कि वे डीसेन्ट्रलाइजेशन के बारे में, पंचायती राज्य के बारे में शायद दिल से विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों से यह मालूम होता था कि छोटे उदाहरणों को लेकर उनको पेश करके पंचायती राज्य का एक मजाक करना चाहते थे। कुछ लोगों के भाषणों से यह मालूम होता था कि उनका इसके अन्दर विश्वास है। कोऑपरेटिव के बारे में भी कुछ लोग विश्वास रखने वाले माने जाने चाहिए। कुछ लोगों ने कोऑपरेटिव के मूवमेंट में विश्वास नहीं किया, इसलिए क्रिटिसाइज़ किया है। दोनों तरफ की बातें सामने आईं। जहां तक पंचायती राज्य का प्रश्न है हजारों टीचर्स पंचायती राज्य में काम कर रहे हैं, उनमें से एक टीचर जिसको मैं नहीं जानता हूं उसके लिए नहीं कह सकता कि हुआ या नहीं, क्या सच है क्या झूट है; लेकिन अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं मान कर चलता हूं कि यह नहीं होगा उस बात को स्वीकार करलें तब भी आप कहते हैं कि एक टीचर ने गलती की तो पंचायती राज्य समाप्त नहीं होगा। हो सकता है कि किसी जगह रुपया दिया गया उसका दुरुपयोग हुआ हो। हो सकता है कि जो रुपया दिया गया हो उससे ज्यादा खर्च किया हो, जो उन्हें करना चाहिये था। श्रमदान या लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं किया उससे जितना काम पूरा करना चाहिये था वह काम पूरा नहीं कर पाये हैं। ये सब बातें अगर सामने रख कर चलें तो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात को बताया गया है कि पहले जो सहयोग एक एक पंचायत समिति के द्वारा प्राप्त होता था उसमें और आज की पंचायत समितियों के जरिये जो सहयोग प्राप्त होने लगा है उन दोनों के बीच में आज अन्तर पड़ा है। वह कुल मिलाकर एक तस्वीर हमारे सामने देता है कि किस प्रकार जनता का सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है।

जहां तक पंचायतों के जरिये टैक्सेशन का प्रश्न है तो कोई कम्पलशन नहीं है। पंचायतें लगाना चाहें तो लगायें। उनको सलाह के तौर पर हो सकता है कि कहीं किसी ने लिख कर भेजा हो, लेकिन उसमें कम्पलशन की बात नहीं आती है। यह पंचायत और पंचायत समितियों के ऊपर छोड़ा हुआ है। वे लोग इसके बारे में जिस प्रकार का फैसला करना चाहें वे उसी प्रकार से फैसला करके चल सकती हैं। मैं यह मान कर चलता हूं और आज भी यह कहना चाहता हूं कि पंचायत राज्य की वजह से जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों की वजह से गांवों में कई प्रकार के दल बन गये। तो दल बनने की वजह से विरोधी पार्टी और दूसरे दलों के पास एप्रोच करने में आसानी हुई है, चाहे पोलिटिकल दृष्टि से कांग्रेस को नुकसान हुआ हो; तब भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनता में एक तरह का आर्टिकल ऑफ फैथ है कि पंचायती राज्य कायम किया है और किसी राजनैतिक दृष्टि से काम नहीं किया हैं। हमने यह पंचायती राज्य कायम किया है, हम जनता के अन्दर विश्वास करने वाले है और जनता की मूल शक्ति में विश्वास रखने की वजह से किया है क्योंकि हम मानते हैं कि केवल भाषण की छटा से देश का विकास

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं किया जाता जब तक कि जनता इस देश के विकास का, अपने विकास का संकल्प लेकर आगे नहीं आती। तो इस डेमोक्रेटिक राज्य में, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अन्दर हमारे पास कोई कम्पलशन या कॉन्सक्रिप्शन तो है नहीं कि अमुक आदमी को अमुक काम करना पड़ेगा। हमारे सामने तो यह हो सकता है कि हम उत्साह पैदा करें जिससे मानव शक्ति उसमें लग सके और वह लग कर देश का निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो और उस निर्माण के अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो देश का विकास हो रहा है उसको आम जनता ने दर्शक बन कर देखा। जनता का विकास जनता स्वयं करे; इस भावना का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। पंचायत राज्य उस दिशा की ओर बहुत बड़ा कदम है।

३.० म. प्र.

हम मानते हैं कि इस ट्रान्जीशनल फेज़ के अन्दर गल्तियां भी होंगी और वे बातें सामने आयेगीं। पंचायती राज्य का कानून जब हमने रखा था उस रोज भी प्रश्न किया गया था तब भी कह दिया था कि गल्तियां होंगी क्योंकि वे एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन गांवों के अन्दर रहने वाले लोगों में उत्साह पंचायत राज्य के अन्दर आया है और बहुत सी बार गल्तियां भी हो सकती हैं, जाने में गल्तियां हो सकती हैं, अनजाने में गल्तियां हो सकती हैं। हमको इन्हें गाइड करना होगा, सलाह देनी होगी, करेक्ट करना होगा। बहुत बड़ी गल्तियां हों तो जो कानून है उसके मुताबिक जो सजा कायम है वह भी देनी होगी। लेकिन इन सब बातों को सामने रखते हुए पंचायत राज्य का जो सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में कहें कि हम पंचायती राज्य को पसन्द नहीं करते, उनके काम को घटाना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं; यह एक गलत बात है। हम इसके अन्दर विश्वास रखना चाहते हैं। जो कुछ कदम उठाया है वह कदम वापिस पीछे नहीं मुड़ने वाला है, यह मैं निश्चित तौर पर कह कर चलता हूं।

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, इसी बहस के दौरान में यहां लैण्ड रिफॉर्म्स के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जो लैण्ड रिफॉर्म्स इन्ट्रोड्यूस किये हैं राजस्थान के अन्दर उनका अमल होने के अन्दर कई जगह जैसी कि उनकी मान्यता थी उसके विपरीत उनका अमल हुआ। कुछ उदाहरण हमारे सामने भी समय समय पर आये और हम बहुत जल्दी ही एक ऐसी कमेटी बना रहे हैं जिसमें ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स दोनों तरह के लोगबाग हों जो इस बात में जाकर और मौके पर जाकर देखें कि राजस्थान में लैण्ड रिफॉर्म्स जो किये गये हैं उसका इफेक्ट लोगों पर जाकर क्या हुआ, जिससे इस बात का अन्दाजा हो सकता है कि जो लैण्ड रिफॉर्म्स की मन्शा है कि चाहे सबटीनेन्ट्स हों, चाहे दूसरे लोग हों उनका प्रोटेक्शन हो; जो जमीन पर मेहनत करता है उसका लाभ उसको मिल सके। वे चीजें कहां तक पूरी हुई हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हुई, उन सब बातों की जांच करने के लिए हम स्वयं जल्दी से जल्दी कदम उठाने वाले हैं।

(विराम)

माननीय अध्यक्षजी, यहां पर यह बात

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी कही गई भाषणों के दौरान में कि देश का विकास तो कोई भी पार्टी शासन के अन्दर बैठे, होने वाला ही है। मैं समझता हूँ कि यह भ्रमात्मक नारा है इस दृष्टि से कि देश के विकास के लिए जो आवश्यक उसके साथ में जुड़ी हुई बातें हैं उनके बारे में दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि विकास अपने आप होता हुआ नहीं चला जाता है, परिस्थितियों से विकास होता हुआ नहीं चला जाता आम जनता के जरिये हम जिस काम को लेना चाहते हैं उसके बारे में क्या विश्वास है? दूसरी तरफ सिद्धान्तों के बारे में क्या विश्वास है, किसको प्रायोरिटी देना है और किस तरह से हमारा उद्देश्य क्या है? विकास के पीछे ये सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं।

एक माननीय सदस्य, जो अलवर जिले से आये हुये हैं, ने यह प्रश्न उठाया कि जो योजनाओं के दर्मियान संपत्ति का निर्माण हुआ है देश के अन्दर वह कुछ हाथों के अन्दर चली गई और आम लोगों को उससे उतना लाभनहीं पहुंचा पाये, वह दृष्टिकोण विचारणीय है और जिसके ऊपर विचार करना होगा कि जो देश के अन्दर विकास होता है वह कुछ व्यक्तियों तक ही न पहुँच जाय और आम जनता विकास के फायदे से पीछे तो नहीं रह जाती। जैसा कि मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों में से कइयों को पता होगा कि प्लानिंग कमीशन ने खुद ने एक कमेटी कायम की है। वह कमेटी इस बात को एग्ज़ामिन कर रही है कि जो कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर हमारे देश के अन्दर धन बढ़ा है वह कुछ व्यक्तियों के पास ज्यादा पहुंचे और आम लोग उससे अलग रह गये हों, ऐसी परिस्थिति तो पैदा नहीं हुई।

विकास हम करना चाहते हैं। विकास कैसे करेंगे, यह प्रश्न भी है और साथ ही साथ विकास का क्या परिणाम चाहते हैं इसमें भी स्पष्ट होना पड़ेगा क्योंकि हम निश्चित तौर से जानते हैं कि विकास के सारे काम में जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम यह नहीं होना चाहिये कि सारे का सारा फायदा कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रह जायगा और समाज अधूरा रह जायगा। जिसको हम सोशियलिस्टिक पैटर्न कहना चाहते हैं, कोई कहता है वह अधूरा है, नाकाफी है; इसे अधूरा या नाकाफी जो कुछ भी कहें लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है उसको लेकर चलना चाहते हैं। जो कुछ काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने में सन्तोष मान कर चलते हों; बल्कि यह हो सकता है कि ऑल इंडिया पर-केपिटा में इन्क्रीज़ हुआ है उसमें तो फिर भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की इन्कम आ जाती है ज़िसकी वजह से पर-केपिटा में अन्तर आ जाता है लेकिन राजस्थान में पर-केपिटा इन्क्रीज़ हुई है उसमें कृषि, एनिमल हसबेन्ड्री, माइनिंग आदि से हुई है क्योंकि इनसे ज्यादा लाभ हुआ। सारे हिन्दुस्तान की पर-केपिटा इन्क्रीज़ पर इण्डस्ट्रीज़ का इफेक्ट हो सकता है। यह इसलिये कहा कि इन फैक्ट्स को हम इग्नोर करके चलते हों, यह बात नहीं है। इन चीजों की ओर सदन के माननीय सदस्य सजग हैं, मुझे खुशी है, किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। साथ ही

Page No 83

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

साथ यह भी निवेदन कर दूं कि यहां पर यह कहा गया कि विरोधी पक्ष ज्यादा मजबूत होता है तो सरकार ज्यादा ठीक तरह से चलने लगती है। विरोधी पक्ष है, मजबूत है, जैसा है, विरोधी पक्ष जनतन्त्र में होता है, होना चाहिये, इसमें दो राय नहीं। मैं यह नहीं कहता कि विरोधी पक्ष नहीं होना चाहिये; अवश्य हो लेकिन यह बात भी सही है कि विरोधी पक्ष किस तरह से आगे ले जाना चाहता है, यह दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिये क्योंकि सब कुछ इस पर निर्भर करता है। विरोधी पक्ष देश को आगे बढ़ने के लिये ट्रेज़री बेन्चेज़ पर जो आज हैं उनको प्रोत्साहन देता है, यह एक बात है। यदि विरोधी पक्ष का दृष्टिकोण दूसरा होता है तो सारी परिस्थिति से हम लाभ नहीं उठा सकते। मैं आशा करता हूं कि विरोधी पक्ष हमारी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा। यहां पर कई उदाहरण दिये गये हैं। कइयों ने कहा कि आयुर्वेद औषधालयों में वैद्य नहीं पहुंचे। अवश्य पहुंचने चाहिये। कहां पर रुपयों का दुरुपयोग हुआ है, काम नहीं हुआ है, कुआ नहीं खुदा है, मैं समझता हूं माननीय सदस्यों का आभार मानूंगा, वे लिख कर चिट्ठी भेज दें तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने में नहीं हिचकेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। आप हमें सूचित कर दें, क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि जो धन दिया जाता है उसका दुरुपयोग हो या गलत काम में आवे; यह सही नहीं है, इसकी रोक होनी चाहिये। हम यह समझते हैं कि राजस्थान में जो विकास कार्यों पर खर्च होता है उसका यदि दुरुपयोग होता है तो उसको ध्यान में लाना हरेक माननीय सदस्य का कर्तव्य है और उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी कन्स्ट्रक्टिव सुझाव हमारे सामने आयेंगे उनका हम हमेशा स्वागत करेंगे और स्वागत करते हुए जो भी कार्यवाही हमसे हो सकती है उसका ध्यान रखा जायगा।

साथ ही साथ मैं यह निवेदन कर दूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि चुनाव के दौरान में मैंने यह कहा था कि यदि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो उनका विनाश कर दिया जायगा, यह गलत बात है।

साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूं कि ये जो बातें हैं, विरोधी पक्ष खास कर जन संघ का जो कार्यक्रम, टैक्स विरोधी कार्यक्रम, कर्जा विरोधी कार्यक्रम, लगान माफी का कार्यक्रम, सेल्स टैक्स माफी का कार्यक्रम; इस प्रकार का कार्यक्रम रखकर यदि इस प्रकार की पार्टियें चलती हैं तो निश्चित मान कर चलिये कि देश का विकास नहीं हो सकता है। मैं यह कहता हूं कि देश का विकास कांग्रेस कर सकती है, दूसरे नहीं कर सकते, यह स्पष्ट है; आज के दिन स्पष्ट है इसलिये मैंने कहा। पोज़िटिव तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि किस प्रकार से विकास के काम में रचनात्मक कार्यक्रम रखते हैं। निगेटिव एप्रोच एक अहम सवाल है, आगे बढ़ें या पीछे रहें; लेकिन निगेटिव

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एप्रोच से आगे नहीं बढ़ सकते । कॉम्युनिस्ट पार्टी के लिये कहा जा सकता है कि उनके पास पोज़िटिव प्रोग्राम है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं, देश उससे सहमत नहीं है । प्रोग्रेसिव प्रोग्राम तो कह सकते हैं लेकिन निगेटिव प्रोग्राम की बात को पहुंचना मुश्किल बात होती है । कोई भी आदमी उसके खिलाफ राय जाहिर कर सकता है ।

सीलिंग के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कानून तो बना दिया गया, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं । मैं अर्ज करूं कि सीलिंग कानून बनने के बाद अलग अलग जगह क्या लिमिट हो, उसके लिये अफसर कायम किये । उनमें से बहुतसों ने काम पूरा कर लिया है । सरकार की यह मंशा नहीं है कि सीलिंग के काम में ढील रखी जाय । जो कानून पास किया गया है उस पर पूरी तौर से अमल किया जायगा, अन्तर नहीं रहनेवाला है ।

साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में भूमि सुधार हो । जितना विकास सम्भव हो सकता है हम उस क्रम को बराबर रख कर चलेंगे । मुझे मालूम है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि तावान का झगड़ा है, कहीं कोलोनाइजेशन का झगड़ा है, कहीं कन्सोलिडेशन का झगड़ा आया । जो भी बातें हैं, मेरे पास यह विभाग अभी आया है, इन झगड़ों को समझने की कोशिश करता हूं और समझ कर जो भी संभव हो सकेगा वह किया जायगा, यह मान कर चलें, यह समझ कर न चलें कि जो कुछ एक बार हो चुका है उसके बारे में पुनः सोचना नहीं चाहते हैं, आंख मींच कर चलना चाहते हैं । यह बात नहीं है ।

जहां हमारे रिसोर्सेज़ के बारे में चुनाव के समय दो-तीन बातें विरोधी पक्ष की ओर से निगेटिव एप्रोच लेकर सामने आईं; लेकिन बैटरमेन्ट लेवी के बारे में, करोड़ों रुपये खर्च करके नहरें और तालाब बनाये जाते हैं उसमें भी विरोधी पार्टियां निगेटिव एप्रोच रखती हैं । मान लीजिए रेगिस्तानी इलाके में जो जमीन है उसकी कीमत २०-२५ रुपये बीघा होती है, लेकिन नहरी जमीन की कीमत ५०० रुपये होती है वहां बैटरमेन्ट लेवी के तौर पर सरकार अपने रिसोर्सेज़ को कर्जा चुकाने के लिए बढ़ाना चाहती है और रुपये लेना चाहती है । वहां भी कहा जाता है कि यह भी वसूल नहीं होना चाहिये, तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है । जहां पर लोगों की स्थिति सुधरी वहां भी नहीं लें तो आखिर हजारों-लाखों की तादाद में जनता ऐसी है जिनके यहां तालाब बनते हैं और काम होता है, नहर आती है, विकास का काम होता है उसका सारा वजन राजस्थान की जनता पर पड़ता है । राजस्थान की जनता जब इतना वजन उठाती है तो वह यह भी आशा करती है कि एक वजन जो आसानी से कम हो सकता है उसमें तो सहयोग मिलना चाहिये । मुझे आशा है, दूसरी तरफ से इस बात को ध्यान में रख कर चला जायगा जिससे कि सारा काम पूरा किया जा सके ।

दूसरी बात यह कही गई, मैं आदी हूँ सुनने का, कुछ माननीय सदस्य क्षेत्रीय बातों

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को लेकर यह कहने की कोशिश करते हैं कि अमुक जगह ज्यादा खर्चा हुआ। बीकानेर की तरफ से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा, कुछ व्यक्ति सदन के बाहर भी कहते हैं कि बीकानेर की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। मैं निवेदन करूं कि जल्दी में कुछ आंकड़े एकत्रित करने का प्रयत्न किया और जो कुछ एकत्रित किया उसके आधार पर निवेदन करना चाहता हूँ कि सन् ५६ से लेकर ६१ तक जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल है उसमें सब मिलाकर करीब १०२ करोड़ रुपये खर्च होने का हिसाब है। उसमें मैं प्रति व्यक्ति औसत तौर पर जो खर्चा होता है उसको मोटा आधार मान कर चलता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनक्लूडिंग भाखरा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह विकास नहीं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : वही पूछ रहा हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह विकास नहीं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : १०२ करोड़ रुपये बताये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जिसको विकास कहेंगे उसको दूसरा विकास नहीं समझे। कोई भाखरा को विकास न समझे, कोई राजस्थान नहर को विकास नहीं समझे। क्या यह मान कर चल सकते हैं कि भाखरा और राजस्थान केनाल विकास क्रम में नहीं आ सकते ? तीसरा व्यक्ति कहेगा कि जो बिजली का विकास हो रहा है उसको विकास नहीं मानते। उनको इनक्लूड करके चलते हैं तो अलग अलग की पसन्दगी से तय करके चलना होगा। मुझे निवेदन करना है कि गंगानगर जिले में पंचवर्षीय योजना में १०३ रुपये पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर हुआ है जब कि उदयपुर, जिसके ऊपर कि सबसे ज्यादा मार पड़ा करती है ४३ परसेन्ट प्रति व्यक्ति एक्सपेन्डीचर हुआ है........

श्री भैरोंसिंह : खर्चा बराबर हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सुनिये ! मैं निवेदन कर दूं। बीकानेर जिले के अन्दर जहां भाखरा और राजस्थान केनाल का प्रश्न नहीं है वहां पर बीकानेर जिले के अन्दर प्रति व्यक्ति २ रुपये ३४ नये पैसे खर्चा प्रति व्यक्ति हुआ है........

एक माननीय सदस्य : अकाल में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह इसलिए रखने का प्रयत्न किया कि जिससे यह ख्याल न बने कि जो करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं उनमें बीकानेर जिले को अवोइड करके बता दें। अब यह कहा जाय कि दूसरी जगह जो काम हो रहे हैं वे नहीं होने चाहिए; तो यह एक निगेटिव एप्रोच है, वाजिब एप्रोच नहीं है। यह हो सकता है कि एक जगह कम हो और दूसरी जगह ज्यादा हो लेकिन हर एक क्षेत्र के विकास के अन्दर काम हो रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। अब यह सोच कर चलें कि पोलिटिकल रीजन्स हैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और इस स्लोगन को ज्यादा से ज्यादा यूज़ करना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि इस स्लोगन को यूज करने का प्रयत्न न किया जाय तो ज्यादा उचित है, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बहस के दौरान में यह प्रश्न उठा मालपुरा को लेकर और मालपुरा के प्रश्न को लेकर। आमेर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जो एस. डी. ओ. मालपुरा है उसका यू. पी. से वारन्ट आया हुआ है, उसको कब हैंड ओवर करने वाले हैं? मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यू. पी. गवर्नमेंट से न कोई वारन्ट आया है, न कोई रिक्वीज़ीशन आया है, कोई चीज नहीं आई और अगर आपको किसी ने कहा है तो वह गलत कहा है। आपने डी. एस. पी. के लिए कहा कि उसको आड़े-तिरछे तरीके से इस जगह पर नियुक्त किया गया है और डी. एस. पी. ने सारी की सारी गड़बड़ी की है। इसके लिए मैं निवेदन करदूं कि जो डी. एस. पी. है वह आर. पी. एस. के अन्दर नियुक्त किया गया है और चुनाव के दौरान में नियुक्त नहीं किया गया। मैं साथ ही साथ बता दूं कि आर० पी० एस० के अन्दर सिलेक्ट हुआ है। वह जब प्रमोशन लिस्ट बनी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद में उसने पी. एस-सी. को अपील की थी। उसमें कहा था कि पी. एस. सी. के सामने रिकॉर्ड नहीं था। उसने अपील में कहा कि रिकॉर्ड को देखा जाय। उसके बाद में पी. एस. सी ने उसको सिलेक्ट किया और १९५८ में सिलेक्ट किया....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैंने कहा था....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : और १९६२ में चुनाव हुए। आप जवाब को पूरी तरह सुन लें।

श्री मानसिंह महार : मैंने कहा था, उसके फैक्ट्स को आप तोड़िये-मरोड़िये मत।

ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा था कि उन महानुभाव ने पी. एस. सी. को थ्रू प्रोपर चेनल अप्लाई नहीं किया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका एतराज प्रोपर चेनल का है, बाकी कुछ और भी है?

श्री मानसिंह महार : बाकी की फेहरिश्त है, वह तो अलग है। आप सब अफसरों को छुट्टी दे दीजिए कि डाइरेक्टली एप्रोच कर लिया जाय, तो उसे मान लिया जाय। ऐसी रियायत दामोदरजी ने की थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसने एप्लाई डाइरेक्टली पी. एस. सी. को किया; या थ्रू प्रोपर चैनल किया या नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। वैसे पी. एस. सी. कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी है। वह इसमें फैसला दे सकती है। तो पी. एस. सी. का फैसला और मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि जिस आदमी के मामले में साढ़े तीन साल पहले फैसला हुआ है उस चीज के अन्दर ऐसे व्यक्ति को जो इस सदन में सदस्य नहीं है, बीच में घसीट कर इस सारी चीज को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस रूप में लाकर कहने की कोशिश करें कि वह व्यक्ति पी. एस. सी. से सिलेक्ट हुआ तो किसी के कहने से हो गया, यह उचित नहीं है। इस प्रकार तो जो हाईकोर्ट से सजा होगी उसके लिए भी कहेंगे कि अमुक आदमी को सजा अमुक के कहने से हो गई। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कॉन्जेक्चर पेश किये जाते हैं तो उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार सिलेक्शन हुआ और कहां जाकर उसका फैसला हुआ; अगर होम मिनिस्टर ने कर दिया होता तो यह कहने वाले कहते कि दामोदरजी के फोर्स में आकर होम मिनिस्टर ने कर दिया होगा। वह आदमी पी० एस० सी० के सामने अप्लाई करता है और यह कहता है कि पी० एस०–सी० के पास रेकॉर्ड नहीं। इस प्रकार का पोइन्ट उठता है तो वह........

श्री मानसिंह महार : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह रिकॉर्ड नहीं मिल पाया था और........

श्री मानसिंह महार : ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I am in possession of the floor. मैं जब बोल रहा हूं तो बिना किसी कारण के कौनसा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर हो सकता है........

श्री मानसिंह महार : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर........

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त करने दीजिये।

श्री मानसिंह महार : भाषण समाप्त करने के बाद मौका नहीं मिलता, इस समय मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बजट स्पीच के समय मौका मिल सकता है। अभी भाषण समाप्त करने दें।

श्री मानसिंह महार : आप बजट के समय पर इतना मौका न देंगे। आप यह बता दीजिये, आपने डिफेन्स किया, मैं नाम-जद नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर कहूंगा कि आज यह मान लिया जाय कि जो सरकारी अफसर एग्रीड़ हों, वे किसी से बिना पूछे, बिना थ्रू प्रोपर चैनल के अप्लाई किये डाइरेक्टली पी. एस. सी. को अप्लाई कर दें तो क्या मुख्य मन्त्रीजी एतराज नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी ने स्वीकार नहीं किया कि डाइरेक्टली किया है।

श्री मानसिंह महार : मेरा मुख्य एतराज यह था कि पी० एस० सी० के पास एप्लीकेशन दी that was not forwarded through proper channel मि० कर्नेटकर आई. जी. पी. ने उसको रिकमन्ड नहीं किया। उसने डाइरेक्टली कर दिया, पोइन्ट तो यह है। अगर फैक्टस को तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है तो कोई बात नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरा,

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

माननीय अध्यक्ष, इस बहस के दौरान में यह सवाल उठा था कि खातेदारी राइट्स के मामले में सेक्शन १५ के अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? यह भी कहा कि बहुत शिथिलता से काम होता है । मैं निवेदन करदूं कि अब तक ३,६४,३५२ व्यक्तियों, जिसमें ३७ लाख एकड़ जमीन आती है को खातेदारी राइट्स देने के बारे में कार्यवाही की जा चुकी है । उसी प्रकार सेक्शन १६ के तहत ६६,४०८ व्यक्तियों, जिसमें ६,४५,७६० एकड़ भूमि आती है को राइट्स देने की कार्यवाही की जा चुकी है । जो राइट्स दिये गये हैं उसके सम्बन्ध में यह कार्यवाही की गई है । इसलिए यह कहना कि कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसी बात नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे जागीरदारों को जमीन ज्यादा दे दी गई और लैंडलेस टिनेन्ट्स को जमीन नहीं दी गई । मैं आपको निवेदन करूं कि जिस वक्त जागीर एबोलिशन कानून बनाया तो उसके अन्दर हमने इस बात को कहा था और मैं समझता हूँ कि वह वाजिब बात थी कि जिन जागीरदारों को खत्म कर रहे हैं उनके भविष्य जीवन के लिए हम उन लोगों को कोई न कोई ऐसा जरिया दें जिसके जरिये वे जीवकोपार्जन कर सकें और उसके लिए जो जागीरदारी उन्मूलन कानून बनाया उसके अन्दर इस बात को रखा । अगर कोई व्यक्ति उसके लिए, जमीन के लिए, जिसके पास जमीन नहीं है, दरख्वास्त देता है तो यह कानून में है कि अमुक कानून के मुताबिक जमीन दी जा सकती है । इसके अन्दर बहुत जमीन देने का प्रश्न नहीं आता है ।

मुझे जहां तक जानकारी मिली है, जो रामसिंह डी० एस० पी० का जिक्र चला उसने थ्रू प्रोपर चैनल अप्लाई किया था ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं अब की डिटेल्स दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : अब टीक है, जवाब मिल गया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सम्बन्ध में मैं एक बात निवेदन कर दूं कि मालपुरा के मामले में कल वैसे गृह मन्त्रीजी आपके सामने इस सदन में जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि मुझे कोई द्वेष–भावना नहीं है । मैं निवेदन कर दूं कि मैं १७तारीख को मालपुरा गया था। १७ तारीख को मालपुरा में जाने पर मैंने देखा कि वहां एक–दो मीटिंग में जिस प्रकार से मीटिंग के लोग उठ कर और आपस में जाकर नारा लगा कर किस प्रकार मीटिंग को डिस्टर्ब करने का प्रयत्न कर रहे थे, ये उदाहरण मेरे स्वयं के सामने आये........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : आपने भी उदयपुर में ऐसा किया है ।........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह आपके अखबारों की खबर है

श्री भैरोंसिंह : मशाल जुलूस निकाल कर मीटिंग को डिस्टर्ब किया गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह आपका मुगालता है ।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप सुनिये........

श्री भैरोंसिंह : मैं वहां जाकर आया हूं । लोगों ने देखा है और मुझसे कहा है ।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, यह सही है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अखबारी दुनिया की बात है । उसको आप सही मानते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं, माननीय अध्यक्ष, सही मानता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जो बातें मैं कहना चाहता हूं, मैं टोडा ग्राम की मीटिंग से जब लौट रहा था और जो चीज़ की वह बात, बात तो आप छोड़ दीजिए । मैं खुद इस वातावरण को देख कर सुट रह गया और मेरे पर भी धूल और कंकर फैंके गये । यह घटना मेरे साथ हुई ।

हम लोग जो कांग्रेस के सदस्य इस तरफ बैठे हैं इस कांग्रेस के झन्डे को हमारे हाथ में सत्ता आने के बाद इसको कांग्रेस का झंडा बनाया हो, ऐसी बात नहीं है । इस झन्डे के नीचे, जब सत्ता हमारे पास नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने गोलियें और लाठियें इस झन्डे के नीचे खाई थीं । आज के दिन हम कांग्रेस के झण्डे को किसी व्यक्ति द्वारा चीरता हुआ या फाड़ता हुआ या जलता हुआ हर्गिज नहीं देख सकते और कभी भी झण्डे को नहीं फाड़ने देंगे और उसके लिए उसको बचाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे ।

मैं जहां इस बात को कहता हूं कि हम झण्डे को बचाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हम दूसरों के झण्डों का भी आदर करेंगे । हम, किसी भी पार्टी का झण्डा हो, वह उस पार्टी का प्रतीक है, उसका सम्मान करेंगे और अगर कोई उस झण्डे को अपमानित करने का प्रयत्न करें तो यह उचित नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : ओन ए पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या आपको यह मालूम है कि स्वतन्त्र पार्टी के झण्डे को कुम्भेर में फाड़ दिया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसकी पुलिस में आपको रिपोर्ट करनी चाहिए ।

श्री मानसिंह महार : जब थानेदार ने ही झण्डे को फाड़ा तो फिर रिपोर्ट किसके पास जाकर करते ?

(दो-तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप (मुख्य मन्त्री से) जारी रखें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चुनावों के दौरान में कुछ जगह बिजलियें व पानी के पाइप लगाने की व्यवस्था की गई और व्यवस्था के जरिये लोगों से वोट प्राप्त करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न किया गया। तो मैं उनकी जानकारी के लिये सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिजली और पानी की व्यवस्था करने का काम क्या चुनावों के समय में ही किया गया और पहले कभी कार्यवाही इसके लिए नहीं की गई, है ? यह आपका भ्रम है। बिजली और पानी के प्रबन्ध के लिये हर वर्ष व्यवस्था होती रहती है और मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि जयपुर में इस साल जनवरी के महीने में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से ४२,३७० रूपये खर्च किये गये।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आदर्श बस्तियें हैं वे शामिल हैं। आम तौर से ऐसा नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मैं कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे आपके पास जो रिपोर्ट आई है वह मालूम है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चूंकि आपने यह सदन में कहा है इसलिये मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं। आप इसके बारे में कह चुके हैं, मैं भी सदन को इसके सम्बन्ध में जानकारी दे दूं। इस वर्ष खर्चा किया गया ४२,३७०) रु. जब कि पिछले साल ४५,००० रु. से ज्यादा किया गया। इसी तरह से बिजली के लिये इस साल १६,००० रूपया खर्च किया गया और पिछले साल १५ हजार रूपया खर्च किया गया।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात की चुनौती देता हूं कि आपके ये आंकड़े सही नहीं हैं। आप इन आकड़ों पर विश्वास न करें। आप कुछ बस्तियों पर चलें तो आपको मालूम होगा कि वाकई में बिजली और नल तभी लगे हैं जब चुनावों का समय आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको इससे ऐतराज क्या है ? नल-बिजली लगाने पर आपको ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मुझे नल-बिजली लगाने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वोट लेने के लिये गरीबों को खरीदने पर ऐतराज है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बिजली और पानी देकर वोटर्स को खरीदने का सवाल है। मैं यह कहूंगा कि बिजली किसी के घर में नहीं जाती है इसलिये इसको खरीदना क्यों कहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : आप ये सब कार्य पहले करते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरी बात मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह कहा था कि नल और कुछ खंभे जो पड़े हुए हैं उनको सरकार वापिस उठा कर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ले जा रही है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो खंभे जहां के लिये दिये गये हैं और पड़े हुए हैं वे वहीं पर लगेंगे, उठा कर नहीं ले जाये जावेंगे। जब वे उठा कर ले जावें तो आपके दिल में परेशानी ही रहेगी, मगर वे नहीं हटाये जावेंगे और नहीं ले जाये जावेंगे। इसलिये आपकी परेशानी दूर हो जावेगी।

इसके अलावा दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह भी कही गई कि एक्विज़िशन का नोटिस पहले दिया गया और बाद में वापिस ले लिया गया। मुझे जहां तक जानकारी मिली है वह यह है कि दो महीनों में........

श्री भैरोंसिंह : आप इस रिपोर्ट के आधार पर मत कहिये, यह रिपोर्ट गलत है। लालजी की कोठी पर जमीन एक्वायर करने का नोटिस था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वे गलत रिपोर्ट क्यों देंगे ?

श्री मानसिंह महार : मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजीसे निवेदन करूंगा कि क्या गलत रिपोर्ट भेजने वाले पर कोई एक्शन लिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी रिपोर्ट आने दीजिये।

श्री मानसिंह महार : एक्शन लेने का वायदा तो कीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गलत रिपोर्ट देने की क्या मंशा है ?

श्री मानसिंह महार : हम जानते हैं कि क्या मंशा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिल जाने के बाद अवश्य कार्यवाही करेंगे। इसी तरह आपने कहा कि लालजी की कोठी पर पहले जमीन एक्वायर को जा रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट उस जमीन को एक्वायर करना चाहता था। बाद में उसने फैसला किया कि अब उस जमीन को ट्रान्सपोर्ट विभाग एक्वायर नहीं करेगा। अब मुझे बताया गया कि एक्वीज़िशन का नोटिस वापिस नहीं लिया गया है। मैं यह निवेदन करूं कि किसी प्रकार का फर्दर एक्शन लें उससे पहले स्कीम का एप्रूवल हो सकता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं होती है।

मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि यहां बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने लेबर के बारे में कहा कि गंगानगर में लेबर बोर्ड का जो फैसला हुआ उसको लागू नहीं किया गया। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि गंगानगर में वहां के लेबर वापिस वहां जावेंगे उससे पहले उस पर अमल हो जावेगा।

इसी तरह से नेशनल बॉल बियरिंग के बारे में प्रश्न आया। उसमें बोनस का प्रश्न सामने आया। हमने उस मामले को लेबर डिपार्टमेंट को रेफर किया। उन्होंने कहा कि बोनस का सम्बन्ध हमसे नहीं है। उसके बाद

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी लेबर यह चाहता था कि हम आउट ऑफ कोर्स जाकर कुछ करें। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि आउट ऑफ कोर्स जाकर कैसे काम किया जा सकता है ? हमने कोशिश की और इसको लेबर ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया। वह जो फैसला करेगा उस पर अमल किया जावे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आप उस ट्रस्ट में आर्बिट्रेटर मुकर्रर हुए थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लेबर यह चाहती थी कि मैं आर्बिट्रेटर बन जाऊं। यह बात सही है। मैंने कहा कि मैं आर्बिट्रेटर तो नहीं बन सकता लेकिन अगर कोई फैसला हो सकता है तो मैं करा सकता हूँ। मैं आर्बिट्रेटर बनना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, मैंने संक्षेप में कुछ बातें कही हैं....

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : ब्यावर के बारे में कल हमने बताया उसके बारे में कुछ बता दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई विभागों के प्रश्न हैं। आगे डिमान्ड और बजट पर डिस्कशन आवेगा; जैसे फोरेस्ट का प्रश्न है, इर्रिगेशन के लिए आया कि उदयपुर में इर्रिगेशन का वर्क हुआ है वह Protective का है या Productive का है उसके बारे में फैसला होना चाहिये। इसके बारे में जब बजट या डिमान्ड आवेगी, मैं अवश्य जानकारी दूँगा और जो जो संबंधित मंत्री हैं वे भी आपके सामने जानकारी रखेंगे।

साथ ही माननीय अध्यक्ष, मैं सदन से आपके द्वारा नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें हमारे सामने आती हैं और जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है उसकी जानकारी सदन को देने की कोशिश करता रहा हूं और करता रहूंगा और मैं आशा करता हूं कि चुनावों में जो सरगर्मियां थीं उनकी बातों को भूल कर और और बातें हुई उनके भी ख्याल को भूल करके चाहे हम किसी पक्ष से जीत कर आये हों एक मूल बात ध्यान में रखें कि राजस्थान के विकास के लिये मतभेदों को भूलकर, एक दूसरे के साथ मिल कर, राजस्थान को किस प्रकार का धक्का नहीं लगे, इस बात का हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न हो। इसके लिए मैं विशेष तौर से सबसे अपील करता हूं। इसके लिए जैसा कि मैंने कहा; कइयों ने सहयोग का कहा, सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री मानसिंह महार : भ्रष्टाचार के बारे में फरमा दें, उसमें हम सहयोग देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो भी आप सहयोग देंगे उसका स्वागत होगा। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें कहें, लिखें वे निश्चित आधार पर कहें, कोई ऐसी बात न हो जो सुने हुए आधार पर हो, कन्जेक्चर के आधार पर हो। दूसरे, यह देखा है कि कभी सब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर को क्रिटिसाइज़ करने की इस सदन में

Page No 93

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कोशिश की जाती है। अच्छा यह हो कि सदन में उन प्रश्नों की चर्चा के बजाय ऐसे प्रश्न हों उनको सम्बन्धित मन्त्री के पास या हमारे पास लिख कर भेजें जिससे डीमोरेलाइजेशन न होकर सर्विसेज़ को पोलिटिक्स से दूर, इन चीजों से दूर रख सकें और जो कार्यवाही हो वह और आसानी से हो सके। हमारा इरादा किसी को प्रोटेक्शन देने का नहीं है। हम तो चाहते हैं कि गम्भीरता से इन बातों को लेकर चलें। हम नहीं चाहते कि सर्विसेज़ को पोलिटिक्स का मामला बना लें। यही चीज निवेदन करना है और मैं आशा करता हूं कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसको यह सदन सर्व सम्मत राय से स्वीकृत करेगा।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष एक प्रस्ताव है जो इस प्रकार है :

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपा-पूर्वक सदन में दिया, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

(मतदान के पश्चात्)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही मार्च २६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ३.३४ बजे दिनांक २६ मार्च, १९६२ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

संक्षिप्त-विवरण

(रविवार, १८ मार्च, १९६२)

स्कम्भ

(द्वितीय खण्ड) के विवरण का उपस्थापन ६७८

श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९६१–६२ (द्वितीय खण्ड) के विवरण का उपस्थापन किया ।

राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण पर वाद-विवाद ६७९

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री नारायणसिंह मसूदा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद-प्रस्ताव पर बहस का आज अन्तिम दिन था जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री भगराज

२. श्री केसरीसिंह (पाली)

३. श्री हरिप्रसाद (मंडावर)

४. श्री सतीशकुमार

५. श्री जगनसिंह

६. श्री मथुरेशबिहारी

७, श्री रघुनाथ विश्नोई

८. श्री उमरावसिंह

९. श्री मोहनराज

स्कम्भ

१०. श्री गोविन्दसहाय

११. श्री गंगासिंह

१२. श्री मानिकचन्द

१३. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर की गई बहस का उत्तर सरकार की ओर से श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री ने दिया । तत्पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

सदन की बैठक ३ बजकर ३५ मिनट पर दिनांक २६ मार्च, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

सोमवार, दिनांक २६ मार्च, १९६२ की कार्य-सूची

१. जन लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव ।

२. अनुपूरक अनुदान की मांगें १९६१–६२ (द्वितीय खण्ड) पर मतदान ।

३. राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारण)

शुद्धि-पत्र

(रविवार, दिनांक १८ मार्च, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६७०	शीर्षक	–१८ मार्च, ३२–	–१८ मार्च, ६२–
,,	शीर्ष	(श्री रामप्रसाद लड़ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
६७१	२५	दिसम्बर ६१	दिसम्बर, '६१
६७६	७	श्री मोहरसिह	श्री मोहरसिंह
६८०	१	सुभाव	सुझाव
,,	१६	लेते है	लेते हैं
६८१	११	लोगों को	लोग
,,	२८	ऑब्जेक्शन	ऑब्जेक्शन्स
६८२	शीर्षक	अमिभाषण	अभिभाषण
,,	शीर्ष	श्री भगराज चौघरी,	श्री भगराज चौधरी
६८३	२४	दसरी	दूसरी
६८४	७	ब्राद	बाद
६८५	१८	मजदू री	मजदूरी
,,	२४	fn formatian	information
६८८	अंतिम से ५	समभते	समभता
६८९	२०	लैड रिफॉर्म्स	लैंड रिफॉर्म्स
,,	अंतिम	होल्डिगज़	होल्डिंग्ज़
६९०	७	इन्ट्रेस्टके	इन्ट्रेस्ट के
,,	१८	होल्डिग्ज़	होल्डिंग्ज़
६९२	६	समभते है	समभते हैं
६९५	१६	जो और	और जो
६९८	अंतिम से ४	रहेंगी	रहेंगे

१	२	३	४
७०२	शीर्ष	(श्री केसरीसिह)	(श्री केसरीसिंह)
७०४	२५	इरेगुलेरिटीज़	इर्रेगुलेरिटीज़
,,	अंतिम से २	चीजों के सिलसिले में मैंभी	चीजों के सिलसिले में मैं भी
७०५	१	इरेगुलेरिटीज़	इर्रेगुलेरिटीज़
,,	२	निंदंनीय	निंदनीय
,,	७	आवेश, में	आवेश में,
७०६	४	वहां	जहां
७०८	५	यूनाइटेड़	यूनाइटेड
७०६	३	सफलन	सफल न
७१०	१६	नन्बूदरीपाद	नम्बूदरीपाद
,,	२६	emplo ment	employment
७११	२४	एम्प्लॉयमेंट	अन्-एम्प्लॉयमेंट
७१२	शीर्षक	महोदय क	महोदय के
,,	६	हमारी	हमारा
७१५	६	हो	हों
७२०	५	जनसाधारण	जनसाधारण,
७२२	१२	हाथों मे हैं	हाथों में दें
७२३	२७	या	यानी
७२४	शीर्ष	(श्री जगनसिह)	(श्री जगनसिंह)
७२६	२३	की और	की ओर
७३५	७	हुआ	हुआ
,,	२०	देखेंगे	देखेंगे तो
७४०	१८	कया	क्या
७४४	१३	देखें को	को देखें जो
७४५	६	ड्राक्ट	ड्राफ्ट

१	२	३	४
७४५	१२	ड्राफ्टिग	ड्राफ्टिंग
७४७	८	रूपदिया	रूप दिया
,,	१६	बिरानी	विरानी
७४८	२४	विरोघ	विरोध
७५०	१	सभापतिमहोदय	सभापति महोदय
७५१	४	सकतो	सकती
,,	२६	हुआ हैं	हुआ है
७५३	१०	बाते	बातें
७५४	अन्तिम से ४	वी कीमते बढ गई है	की कीमतें बढ़ गई हैं
७५५	१५	हों रही है	हो रही है
,,	२५	का मार	का भार
७५६	अंतिम से ६	बहु'त	बहुत
७६०	१४	मतलव	मतलब
,,	अंतिम	तफ	तरफ
७६६	१३	पेंनशनका	पेन्शन का
७७०	शीर्ष	(श्री लक्ष्मणसिह)	(श्री लक्ष्मणसिंह)
७८०	७	सड़कें बनी है	सड़कें बनी हैं
,,	२०	हितो	हितों
७८२	५	सड़क बिजली	सड़क, बिजली
,,	७	करूंगाकि	करुंगा कि
७८३	२	सभा के के	सभा के
७८५	२३	श्राक	आक-
७८६	५	कॉन्ट्रडिक्शन	कॉन्ट्राडिक्शन
,,	२२	कहता	कहती
७९०	अंतिम से ७	१९५९–५०	१९५९–६०

१	२	३	४
७६१	६	स्पष्ट	स्पष्ट
,,	१७	हो गई है	हो गई है,
७६२	२४	है	हैं
७६३	१३	बाते	बातें
७६५	१२	लिये–प्रार्थनापत्र	लिये प्रार्थना-पत्र
८००	१३	सकते है	सकते हैं
,,	१६	सयूर्क्यलर	सर्क्युलर
८०१	२२	फ ड	फ्रूड
८०३	२६	नर्पी	नहीं
८०५	१२	लोंग'	लोग',
,,	३०	महोदयो । अगर	महोदयों, अगर
८०७	३२	आंकड़े,	आंकड़ों
८०८	२२	हभारे	हमारे
८०६	१३	मशीनरी	मशीन की
,,	२७	श्री ।मनिवास	श्री रामनिवास
,,	३२	माइनिग	माइनिंग
८११	२५	दैंगे	देंगे
८१३	१७	पार्वे	पावें
,,	१७	हैं	है
८१४	२	मानते है	मानते हैं
,,	२२	आमदनो	आमदनी
,,	२६	बढ़ना ।	बढ़ना है।
८१५	१०	रुपये	रुपयों
८१६	२३	का त्याग	को त्याग
८२१	२१	एक्सपोर्ट स	एक्सपर्ट स

१	२	३	४
८२१	२५	लिय भी	लिये भी
८२५	१०	लैडलेस	लैंडलेस
८२६	२५	रुयया	रुपया
८२८	१७	३.० म० प्र०	३. म. प.
,,	१६	आयेगीं	आयेंगी
,,	२२	क्यो कि	क्योंकि
८३१	२४	ज़िसकी	जिसकी
८३२	शीर्ष	सुखाडिया	सुखाड़िया
८३४	५	प्रोग्रे सिव्र	प्रोग्रे सिव
८३८	२३	और चुनाव	और वह वहाँ चुनाव
८३६	१७	उसे गान	उसे मान
८४०	१६	श्री मानसिह महार	श्री मानसिंह महार
८४१	१४	एग्रीड़	एग्रीव्ड
,,	२७	फैक्टस	फैक्ट्स
८४२	शीर्ष	(श्री मोहनलाल सुखडिया)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
८४४	३	श्री मैरोंसह	श्री भैरोंसिंह
८४६	२५	श्री मैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
८५०	१८	व्यावर	ब्यावर
८५६	२२	श्री उमरावसिह	श्री उमरावसिंह